NFDC
cinemas of india

37 वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2011–12

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

National Film Development Corporation Limited
(A Government of India Enterprise)

NFDC

cinemas of india

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

37 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

National Film Development Corporation Limited

A Government of India Enterprise

37th Annual Report 2011–12

संस्कार
नवेंदु चटर्जी । बंगाली

Sanskar
Nabyendu Chatterjee | Bengali

मायाबाजार
जॉयदीप घोष । बंगाली

Maya Bazaar
Joydeep Ghosh | Bengali

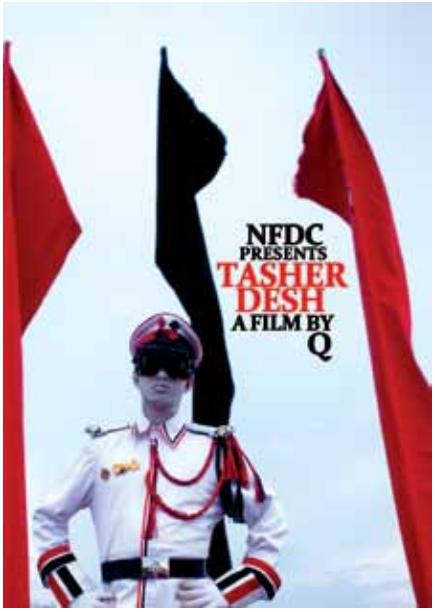

ताशेर देश
क्यू। बंगाली

Tasher Desh
Q | Bengali

आदिगारम – 79
विनोद रवि शंकर । तमिल

Adigaram – 79
Vinod Ravishankar | Tamil

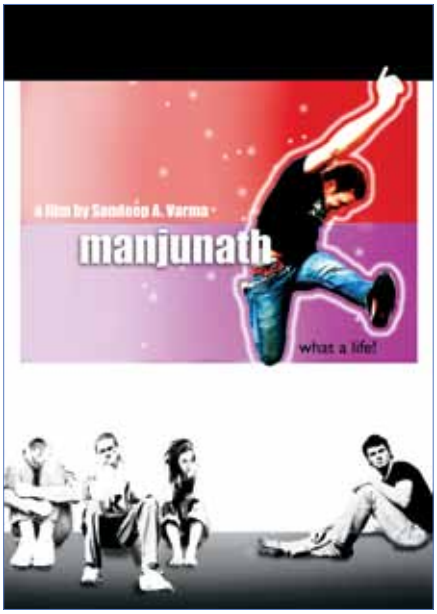

मंजूनाथ
संदीप वर्मा । हिन्दी

Manjunath
Sandeep Varma | Hindi

कलियच्चन
फारूक अब्दुल रेहमान । मलयालम

Kaliyachan
Farook Abdul Rahiman | Malayalam

विषय सूची
Contents

निदेशक मंडल
Board of Directors 5

सूचना
Notice 6

अंशधारकों को अध्यक्ष का पत्र
Chairman's Letter To Shareholders 7

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report 10

व्यवस्थापन विश्लेषण रिपोर्ट
Management Analysis Report 22

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोट
Report on Corporate Governance 33

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र
Auditors' Certificate on Corporate Governance 40

दिनांक 31 मार्च 2012 का तुलन पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2012 41

दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण
Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2012 42

रोकड़ प्रवाह विवरण 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष पर
Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2012 43

लेखाओं पर टिप्पणियां
Notes on Accounts 45

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Auditors' Report 68

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
Annexure To The Auditors' Report 70

वर्ष 2011-12 के लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन की तरफ से प्रत्युत्तर
Reply of Management to the Auditor's Comments on the Accounts for the Year 2011-12 73

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां
Comments of the CAG of India 74

पंजीकृत कार्यालय

डिस्कवरी ऑफ इंडिया (6 ठी मंजिल),
नेहरु सेंटर, डॉ. ॲनी बेसंट रोड,
वरली, मुंबई-400 018.

क्षेत्रीय कार्यालय

चेन्नई
1 ली मंजिल, कोप्टेक्स वेअर हाउस बिल्डिंग,
350, पॅन्थोन रोड, इगमोर,
चेन्नई-400 034.

शाखा कार्यालय तिरुवनन्तपुरम
चित्रांजली स्टुडिओ कॉम्प्लेक्स, तिरुवल्लम,
तिरुवनन्तपुरम-695 027.

कोलकाता
आर.आय.सी. इंडस्ट्रीयल इस्टेट कंपाऊंड,
बॅनर्जी रोड, पर्नाश्री, बेहाला,
कोलकाता - 700 060.

नई दिल्ली
चौथा मजला, सूचना भवन,
फेज-1, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003.

बैंक

एच.डी.एफ.सी. बैंक,
भारतीय स्टेट बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर,
इंडियन बैंक
पंजाब नैशनल बैंक
आयडीबीआय बैंक
येस बैंक
बैंक ऑफ इंडिया

लेखा परीक्षक

मेसर्स के.एस. अय्यर एन्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफ-7, लक्ष्मी मिल्स, शक्ति मिल्स लेन,
(ऑफ डॉ. इ. मोजेस रोड),
महालक्ष्मी, मुम्बई-400 011.

Registered Office

Discovery of India Building (6th Floor),
Nehru Center, Dr. Annie Beseant Road,
Worli, Mumbai – 400 018.

Regional Offices

Chennai
1st Floor, co-optex Warehouse Building,
350, Pantheon Road, Egmore
Chennai – 600 008.

Camp office at Thiruvananthapuram
Chitranjali Studio Complex
Thiruvananthapuram – 695 027

Kolkotta
R.I.C. Industrial ,Estate Compound,
Upen Banerjee Road, Parnasree,
Behala, Kolkota – 700 060.

New Delhi
4th Floor, Soochana Bhavan,
Phase I, C.G.o. Complex Lodhi Road,
New Delhi – 110 003.

Bankers

H.D.F.C Bank
State Bank of India
State Bank of Travancore
Indian Bank
Punjab National Bank
IDBI Bank
Yes Bank
Bank of India

Auditor

M/s K.S. Aiyar & Co.
Chartered Accountants
F–7 Laxmi mills, Shakti mills lane
(off Dr. E. Moles Road)
Mahalaxmi, Mumbai – 400 011

निदेशक मंडल
Board of Directors

ओम पुरी
अध्यक्ष
(2 अप्रैल 2011 तक)
Om Puri
Chairman
(Upto 2 April 2011)

रमेश सिप्पी
अध्यक्ष
(16 जनवरी 2012 से)
Ramesh Sippy
Chairman
(From 16 January 2012)

नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
Nina Lath Gupta
Managing Director

साहब नारायण
निदेशक (वित्त)
Sahab Narain
Director (Finance)

दीपाली खन्ना
सरकारी नामित निदेशक
Dipali Khanna
Government Nominee Director
(Upto 04 April 2012)

डी.पी. रेड्डी
सरकारी नामित निदेशक
D. P.Reddy
Government Nominee Director
(Upto 12 September 2012)

जवाहर लाल वट्टल
स्वतंत्र निदेशक
(16 जनवरी 2012 से)
Jawahar Lal Wattal
Independent Director
(From 16 January 2012)

केतन मेहता
स्वतंत्र निदेशक
Ketan Mehta
Independent Director
(Upto 24 June 2011)

जानू बरुआ
स्वतंत्र निदेशक
Jahnu Barua
Independent Director
(Upto 24 June 2011)

ए.के. बीर
स्वतंत्र निदेशक
(16 जनवरी 2012 से)
A.K.Bir
Independent Director
(From 16 January 2012)

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की 37 वीं सर्वसाधारण सभा शुक्रवार दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को सुबह 11.00 बजे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल कक्ष, 7वीं मंजिल डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरु सेंटर, डॉ. ए.बी. रोड, वरली, मुम्बई-400 018 में निम्नलिखित विषयों के सम्पादनार्थ होगी ।

सामान्य विषय

1. 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट तथा निगम के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों एवं उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा संशोधन सहित या संशोधन रहित निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना ।

   ''संकल्पित है कि दिनांक 31 मार्च, 2012 के लेखा परीक्षित तुलन पत्र और दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित प्राप्त किये, उन पर विचार किया गया तथा पारित की गई"।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

(ई.जे. पॉल)
कम्पनी सचिव / प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

दिनांक : 20.09.2012
स्थान : मुम्बई

टिप्पणी

1. सभा में उपस्थित रह कर मत देने का अधिकार प्राप्त सदस्य अपने स्थान पर मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति कर सकते हैं. परोक्षी कम्पनी का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं.

सेवा में,
सभी अंशधारीगण, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

Notice

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the National Film Development Corporation Limited will be held on Friday, the 28th September, 2012 at 11.00 a.m. in the Board Room of NFDC, at 7th Floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018 to transact the business mentioned herein below:

Ordinary Business

1. To read, consider and adopt the Director's Report and Audited Annual Accounts of the Corporation for the year ended 31st March 2012 and Auditors' Report and the comments of Comptroller and Auditor General of India thereon and to pass with or without modification the following Resolution as an Ordinary Resolution.

   "RESOLVED that the Audited Balance Sheet as on 31st March, 2012 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2012 together with the Director's Report and the Auditors' Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India are hereby read, considered and adopted."

By Order of the Board of Directors

(E.J.PAUL)
COMPANY SECRETARY/MANAGER(F&A).

Date: 20/09/2012
Place: Mumbai

Note

1. A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a member.

To,
All Share Holders of NFDC

अंशधारकों को अध्यक्ष का पत्र

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) के निदेशक मंडल की ओर से एनएफडीसी तथा इसकी भविष्य की योजनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है.

सन 2010 में भारत सरकार ने आंतरिक सुधारों, व्यापारिक गतिविधियों में विविधता तथा अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करके कंपनी का पुनर्गठन किया था. तब से निगम निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है. इसका टर्नओवर, जो वितवर्ष 2008-09 में रुपये 17.31 करोड से बढकर वितवर्ष 2011-12 में रुपये 255.21 करोड़ हो गया जिसके परिणामस्वरुप सीएजीआर में चार वर्ष में 392% की वृद्धि हुई. कर्मचारी : टर्नओवर अनुपात उसी वर्ष में रूपये 9 लाख से बढ़कर रु. 239 लाख हो गया. वित्तवर्ष 2011-12 में एनएफडीसी का कर पूर्व लाभ रु. 4.08 करोड़ है जबकि वित्तवर्ष 2008-09 में इसमें रु. (-) 10.30 करोड़ की हानि हुई थी. साथ ही साथ पिछले पांच वर्षों में 50% से भी अधिक श्रमशक्ति कम कर दी गई. पिछले पांच वर्षों में कंपनी ने न सिर्फ जबर्दस्त टर्नअराउंड हासिल किया अपितु उन प्रोजेक्शंस को भी पार कर लिया जो इसने वित्तवर्ष 2009-10 में आने वाले वर्षों के लिये निर्धारित किये थे.

यह जबर्दस्त टर्नअराउंड सिर्फ बिजनेस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है. एनएफडीसी की केन्द्रीय भूमिका फिल्म विकास संस्था की है और इसने पिछले वर्ष तथा उसके पहले इस जनादेश को संपन्न करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. भारत में फिल्म उद्योग का संतुलित विकास तभी संभव है जब विकास के लक्ष्य दूरगामी तथा लंबे समय तक टिक पाने वाले हों. इसी के अनुरूप यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रमुखत: इंडस्ट्री के विकास का विशिष्ट लक्ष्य दिये जान से एनएफडीसी की विकासात्मक भूमिका धारणीय हो. यह माना जाता है कि फिल्में सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव तथा सॉफ्ट कूटनीति लाने की महत्वपूर्ण ंवाहक हैं. अत: निगम का यह दृढ़ विश्वास है कि इस क्षेत्र को देश तथा विदेश, दोनों स्तरों पर कहीं अधिक शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है. एनएफडीसी यह भी स्वीकार करता है कि इसके लिये विकास तथा उन्नयन का प्रसार फिल्म क्षेत्र के सभी पक्षों, एक ओर कथ्य विकास से लेकर प्रशिक्षण तथा निर्माण, एवं दूसरी ओर वितरण और फिल्मों के उन्नयन तक होना चाहिये.

इसी के अनुरूप निगम ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक नये कदम उठाये हैं और बहुत से शीघ्र उठाये जाने वाले हैं. मैं यहां उनमें से कुछ का, उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं, दोनों श्रेणियों में आकलन करना चाहूँगा.

फिल्म बाजार एनएफडीसी का अपने ढंग का एक अनूठा कदम है. इसकी शुरूआत 2007 में सभी भारतीय भाषाओं में फिल्मों के सहनिर्माण तथा वितरण को एक केंद्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी. अब यह अंतरराष्ट्रीय फिल्म क्षेत्र के वार्षिक आयोजनों में दक्षिण ऐशियाई सिनेमा का प्रमुख वैश्विक बाजार बन चुका है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सिनेमा के उन्नयन की इसकी भूमिका विश्व भर में सराही गई है. इसी का नतीजा है कि बहुत सारी फिल्म परियोजनाएं बनीं तथा कार्यान्वित हुईं जिन्हें आगे चल कर अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली. इसने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी सहयोग प्रदान किया और उनके लिये विकास राशि तथा सहनिर्माण राशि जुटाने, बिक्री तथा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र मं फेस्टिवल्स के चुनाव में भी मदद की.

भारत में अच्छे सिनेमा के विकास आंदोलन की अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए एनएफडीसी ने प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न भाषाओं में फिल्म निर्माण के उनके प्रयत्नों में सहयोग देना जारी रखा है. इसकी वर्ष की सबसे चर्चित फिल्म रही पंजाबी फीचर फिल्म ''अन्हे घोरे दा दान" जो नवोदित निदेशक गुरविंदर सिंह द्वारा बनाई गई है. इसका वर्ल्ड प्रीमियर 2011 में प्रतिष्ठाप्रद वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किया गया था. किसी पंजाबी फिल्म को इस तरह का अंतरराष्ट्रीय सम्मान पहली बार मिला. 59 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अलावा इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तथा सभी भारतीय भाषाओं की फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार मिला. यह फिल्म विश्व के अनेक देशों में फिल्म समारोह में दिखाई जा चुकी है. तथा विश्व में इस साल की उल्लेखनीय फिल्म से प्रशंसित की गई.

Chairman's Letter To Shareholders

On behalf of the Board of Directors of the National Film Development Corporation Ltd. (NFDC), I am happy to present a report on NFDC and it's future plans.

Following the restructuring of the company in 2010 through internal reforms, diversification of business activities, and infusion of additional equity by the Government of India, the corporation has been on a steady growth chart. It's turnover has increased from INR 17.31 Crores in FY 2008-09 to INR 255.21 Crores in 2011-12, resulting in CAGR of 392% over four years. While the employee:turnover ratio increased from INR 9 Lakhs to INR 239 Lakhs in the same years, Profit before Tax of NFDC in FY 2011-12 stands at INR 4.08 Crores as against a loss of INR (-)10.30 Crores in FY 2008-09. Simultaneously, manpower was reduced by more than 50% over the past five years. In the past five years, the company has not only achieved a dramatic turnaround, but has also exceeded the projections it had cast in FY 2009-10 for the years ahead.

This dramatic turnaround is not confined to business projections alone. The central role of NFDC is that of a film development body and it has taken substantial steps towards achieving this mandate in the past year and more. A balanced growth of the film industry in India is only possible if the growth aimed at is inclusive and sustainable in the long run. Accordingly, given the main object of facilitating the growth of the industry, the developmental role of NFDC must keep in mind this goal of achieving inclusive and sustainable growth. Given that film is an important tool of socio-cultural change and of soft diplomacy, it is the considered view of the corporation that greater leverage needs to be given to this sector both domestically and on a global scale. NFDC also recognizes that, in order to do so, development and promotion must straddle all aspects of the film sector, from content development and training on the one hand, to production, distribution and promotion of films on the other.

Accordingly, it has taken various initiatives over the last few years, while several more are underway. I would like to take this opportunity to enumerate a few of these, both in terms of achievements and future plans.

Film Bazaar, a unique initiative set up in 2007 by NFDC as a central platform focusing on co-production and distribution opportunities for Indian cinema across all languages, has now become the key global market for South Asian cinema in the annual event calendar of the international film sector. Its role in promoting Indian cinema in international markets is internationally acknowledged and is evident from the large number of film projects developed and promoted by it that have subsequently attained international acclaim. It has also been instrumental in facilitating a large number of international co-productions and in procuring development funding, co-production funds, sales, and festival selections in the international arena.

In keeping with its role of developing the good cinema movement in India, NFDC continues to support young talent in their endeavor to make films in various Indian languages. Its most noteworthy film of the year was the Punjabi Feature Film *Anhey Ghodein Da Daan*. Made by debutant director, Gurvinder Singh, this was the first Punjabi Film to premiere globally, marked by its selection in competition in the prestigious Venice International Film Festival in 2011. It also went on to win the National Film Award for Best Punjabi Film, and Best Director and Best Cinematography award across all Indian languages for the director and the cinematographer. The film has also travelled all over the world to film festivals and has been acclaimed as one of the most significant films of the year across the globe. Besides acting

उभरती प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करने के अलावा एनएफडीसी ने भारत में निजी क्षेत्र के साथ सहनिर्माण की अपनी योजना जारी रखते हुए दिबाकर बनर्जी की बहुचर्चित फिल्म ''शंघाई" के निर्माण तथा प्रदर्शन में सहयोग किया वितरण का क्षेत्र निगम के लिये पारंपरिक रूप से कमजोर क्षेत्र रहा है.

पिछले कुछ वर्षों में निगम की इस बात के लिये आलोचना भी हुई है कि जो बेहतरीन फिल्में बनाईं उन्हें रिलीज नहीं कर सका. इस स्थिति को सुधारते हुए, निगम ने इस वर्ष सिनेमाज ऑफ इंडिया वितरण ब्रांड लॉन्च किया और अपनी 30 शानदार फिल्में प्रदर्शित की. इन फिल्मों को बाजार में उतारने से पहले इनकी पिक्चर और साउंड का पुनरुद्धार किया गया था. इस ब्रैंड का होम वीडियो लेबल बेहद सफल रहा है जहां आठ फिल्में फ्लिपकार्ट्स की बैस्टसैलर सूची में आई. कंपनी का प्रस्ताव सिनेमाज ऑफ इंडिया के होम वीडियो खंड में वित्तवर्ष 2012-13 मं कम से कम 40 और लेबल्स रिलीज करने का है.

कंपनी ने एक वीओडी साइट सिनेमाज ऑफ इंडिया डॉट कॉम के लॉन्च पर भी काम शुरु किया जिसके वित्त वर्ष 2012-13 तक प्रारंभ हो जाने की उम्मीद है. इस साइट का उद्देश्य एनएफडीसी की अपनी फिल्मों के अलावा भारतीय सिनेमा की प्रशंसित कृतियों का उन्नयन है.

एनएफडीसी के लिये वितरण क्षेत्र में फिल्मों का सिनेमाघरों में प्रदर्शन कई वर्षों से एक बड़ी चुनौती रहा है. बोर्ड तथा प्रबंधन ने सभी फिल्मों को रेखांकित करती है कि सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या में वृद्धि, थियेटरों से होने वाली आय का बड़ा नाजुक मसला है और इसमें तुरंत वृद्धि संभव नहीं है. इसलिये उन प्रशंसित फिल्मों के सिनेमाघरों में प्रदर्शन को दर्शक की स्वीकृति कुछ समय के बाद ही मिलनी शुरु होगी जो स्पष्टत: मुख्य धारा की फिल्में नहीं हैं. होम वीडियो खंड में एनएफडीसी की पुरानी फिल्मों की रिलीज की बड़ी सफलता ने इन फिल्मों के लिये दर्शकों का एक बड़ा वर्ग खड़ा कर दिया है. होम वीडियो की सफलता का कारण दर्शकों द्वारा इन फिल्मों की एक दूसरे से की जाती रही वह तारीफ भी है जो पिछले कुछ वर्षो में निरंतर होती रही है. इन फिल्मों के लिये थियेटरों में दर्शक संख्या बढ़ाने के प्रयत्नों में एनएफडीसी के सहयोग स्वरूप इसके द्वारा फिल्म क्लब की स्थापनी भी की जा रही है जिसका लक्ष्य पूरे भारत में इसका प्रसार होगा.

फिल्म क्लबों के साथ साथ ऐसी फिल्मों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिये ऐसे सांस्कृतिक केंद्रों की आवश्यकता है जो इन चलचित्रों के प्रति जागरूकता फैलाने तथा दर्शकवर्ग के बीच जनमत जगाने का काम कर सकें. ये ऐसी जगहें होंगी जहां फिल्मप्रेमियों, युवाओं तथा स्थानीय लोगों को फिल्मों के प्रदर्शन, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, रिसर्च सामग्री तथा फिल्मकारों के साथ आपसी बातचीत की सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकें. इस तरह का केंद्र स्थापित करने की एक पहल एनएफडीसी द्वारा चेन्नई में की गई है जहां तमिलनाडुकी राज्य सरकार से इस तरह की एक जगह लीज पर ली गई है जिसमें एक थियेटर भी है. आशा है कि इसे वित्तवर्ष 2012-13 में लॉन्च कर दिया जायेगा.

जैसा कि वित्तीयवर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, एनएफडीसी का प्रस्ताव है कि अपनी वर्तमान प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करके और अधिक वर्कशॉप्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएं जिनमें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह के प्रशिक्षकों / सलाहकारों की सेवाएं ली जाएं. प्रशिक्षण तथा विकास विभाग की स्थापना के लिये आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दी गईं हैं और पहली कार्यशाला अक्तूबर 2012 में लॉन्च करने की घोषणा की जा चुकी है.

जैसा कि पिछले वर्ष सुनिश्चित किया गया था, एनएफडीसी 2013 में डॉक्यूमेंटरी फिल्म मार्केट के पहले संस्करण की भी स्थापना करेगा जिसका नाम होगा, डॉक बाज़ार. जिसका उद्देध्य यह है कि उद्योग के गैर फीचर फिल्म खंड में अंतरराष्ट्रीय सह निर्माण तथा बिक्री को बढ़ावा दिया जा. इस संबंध में एनएफडीसी योजनाएं तैयार कर रहा है. भारत में शूटिंग के उपयुक्त स्थलों का विकास करने की दृष्टि से एनएफडीसी के अंतर्गत एक फिल्म कमीशन की स्थापना का प्रस्ताव सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को भेजा जा चुका है जहां उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है.

अपनी ही 80 से अधिक फिल्मों का पुनरुद्धार कर लिये जाने सफल प्रयास से प्रोत्साहित होकर अब एनएफडीसी ने नेशनल फिल्म हैरिटेज मिशन पर काम करना चाहता है जिसकी परिकल्पना भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है.

as a platform for new talent, NFDC also continued its ventures in co-productions with the private sector in India with the production and release of Dibakar Banerjee's much acclaimed film *Shanghai*.

Distribution has traditionally been a weak point for the corporation and over the years, the failure of the corporation to release landmark films produced by it have evoked criticism. In a significant course correction, this year NFDC launched its Cinemas of India distribution brand with the release of 30 acclaimed films that underwent picture and sound restoration prior to release of the same in the market. The Home Video label of the brand has been immensely successful, with eight films figuring on Flipkart's bestsellers list. The company proposes to release at least another forty labels in FY 2012-13 in the Home Video segment of Cinemas of India.

The company has also commenced work on launching a VoD site cinemasofindia.com that it expects to launch in FY 2012-13. The site will aim to carry acclaimed films of Indian cinema, apart from NFDC's own catalogue.

Theatrical release of films has been a key challenge for NFDC in the distribution division over the years. The Board and the management have taken a decision to release all films on the theatrical circuit, irrespective of the possible returns from such theatrical releases. The company recognizes that audience development is a critical component of building theatrical returns over time, and as such, making acclaimed films available on the theatrical circuit will in time result in greater acceptance to content that is not necessarily mainstream. The fact that there is a potential audience borne out by the successful release of NFDC's old catalogue of films in the Home Video segment, which has witnessed a huge demand on account of the word-of-mouth publicity that the films have garnered over the years. To support its endeavor to enable audience development, work is also underway in NFDC on setting up a film club that will aim at a pan-India reach.

Alongside film clubs, venues that act as centres of cultural dissemination in the field of motion pictures are central to building audiences and awareness of such films. These would be places where film screenings, workshops, lectures, research material, and interactions with the film fraternity can be offered to cinephiles, youth and local residents. A first step in setting up such venues has been taken by NFDC in Chennai where it has obtained on lease, from the State Government of Tamil Nadu, a facility including a theater. It is expected that the same shall be launched in FY 2012-13.

As mentioned in the Annual Report for the FY 2010-11, NFDC proposes to expand upon its existing training activities by offering more workshops and training programs involving both international and domestic trainers/ advisers. Skill sets requisite for setting up the training and development division have since been brought on board, and the first of the workshops has already been announced for launch in October 2012.

As committed to in the previous year, NFDC will also be setting up the first edition of a Documentary Film Market, namely Doc Bazaar, in the year 2013 with a view to providing a platform for international co-productions and sales to the non-feature film segment of the industry. Plans for the same are underway. A proposal for setting up a Film Commission under NFDC with a view to promoting filming locales in India has been submitted to the Ministry of Information & Broadcasting where the same is under consideration.

Following the successful completion of restoration of more than 80 films from its own catalogue, NFDC looks forward to the execution of the National Film Heritage Mission that is envisaged by the Government of India under the 12th Five Year Plan.

निगम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उन नियमों का पालन करती है जिन्हें सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है और इसे निगम के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी दिया गया है. ग्राहकों की संतुष्टि की इनकी वचनबद्धता पूर्ववत कायम है जिसका प्रमाण है उन ग्राहकों द्वारा इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दिया जाना जिनके साथ एनएफडीसी निर्माण तथा पब्लिसिटी कैंपेंस का काम करता है. इसी तरह, विदेशी बाजारों में भारतीय सिनेमा के उन्नयन के लिये एनएफडीसी द्वारा उठाये गये कदमों को सराहते हुए फिल्म बिरादरी ने 4.66 की रेटिंग प्रदान की है.

बोर्ड के निदेशकों तथा निगम के सभी अधिकारियों की ओर से मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अंबिका सोनी तथा सूचना तथा प्रसारण तथा प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं जिनसे हमें अत्यंत सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा निगम की ओर से मैं सूचना तथा प्रसारण के एडीशनल सेक्रेटरी तथा फाइनंशियल एडवाइजर श्री. सी. विश्वनाथ एवं सूचना तथा प्रसारण के संयुक्त सचिव (फिल्म्स), अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री. डी.पी. रेड्डी के प्रति भी उनसे मिले प्रोत्साहन. सलाह तथा सहयोग के लिये हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं.

मैं बोर्ड के अपने सभी सम्माननीय साथियों, एनएफडीसी के सभी कर्मचारियों एवं कंपनी के स्टेकहोल्डरों को उनसे द्वारा निगम निगम को दिये गये बहुमूल्य सहयोग तथा सहायता के लिये धन्यवाद देता हूं.

रमेश सिप्पी
अध्यक्ष

The company adheres to the requirements of corporate governance notified by the Department of Public Enterprises and have been given a certificate to this effect by the statutory auditors of the Corporation. Its commitment to ensuring customer satisfaction continues, as is evident from the customer rating of 4.5 given on a scale of 1 to 5 by clients for whom NFDC carries out production work and publicity campaigns, as also the 4.66 rating given by the film fraternity towards the steps taken by NFDC for promoting Indian cinema in film markets abroad.

On behalf of the Board of Directors and all officials of the Corporation, I would like to convey my sincere gratitude to the Hon'ble Union Minister of Information & Broadcasting, Smt. Ambika Soni, and Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Shri Uday Kumar Verma, for the immense support and guidance received from them. On behalf of the Corporation, I would also like to extend my deep gratitude to Shri C Viswanath, Additional Secretary & FA, and Shri DP Reddy, Joint Secretary (Films), Ministry of Information & Broadcasting, for their unstinting support, advice and cooperation.

I would also like to express my thanks and appreciation to my esteemed colleagues on the Board and to all employees of NFDC, as also to the other stakeholders of the Company for their valuable support and cooperation to the Corporation.

Ramesh Sippy
Chairman

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
अंशधारक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

निगम के निदेशक 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये अपनी 37वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके साथ निगम के लेखा परिक्षित खाते भी संलग्न हैं.

1.निष्पादन की विशिष्टताएं

क) वित्तीय वर्ष 2010-11 के मुकाबले वर्ष 2011-12 में कंपनी की निष्पादन विशिष्टताएं इस प्रकार रहीं.

Directors' Report

To,
The Shareholders

The Directors have pleasure in presenting the Thirty Seventh Annual Report together with Audited accounts of the Corporation for the financial year ended March 31, 2012.

1. Performance Highlights

a. The highlights of performance of the company for the year 2011-12 as against the performance in FY 2010-11 were as under

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

मापदण्ड	Parameters	2011-12	2010-11
सकल राजस्व	Gross Revenues	25571.03	18499.69
सकल अतिरिक्त लाभ (ई बी आई डी टी ए)	Gross Margin (EBIDTA)	781.61	698.57
कर पूर्व लाभ	Profit before Tax	407.63	168.63
पूंजी निवेश	Capital Employed	2741.02	1914.09
निवल सम्पत्ति	Net Worth	1643.19	1235.55

ख) टर्नअराउंड
एक दशक से अधिक समय तक हानियों तथा टर्नओवर में गिरावट के बाद राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम विगत तीन क्रमबद्ध वर्षों में लगातार कार्य निष्पादन के साथ टर्नओवर बढ़ाने में समर्थ हो गया है. वर्ष के लिये निगम का सकल राजस्व 38% बढ़ा और पिछले वर्ष के रु. 18,500 लाख के मुकाबले रु. 25,571.03 लाख हो गया तथापि कर पश्चात लाभ (पी ए टी) 142% बढ़ कर रु. 407.63 लाख हुआ जबकि पिछले वर्ष यह लाभ रु. 168.63 लाख हुआ था.

b. Turnaround
After more than a decade of recurring losses and declining turnover, NFDC has been able to establish a consistent turnover escalation in performance for three financial years in a row. The total revenue of the Corporation for the year increased by 38% to Rs. 25571.03 Lakhs from Rs. 18500 Lakhs during the previous year. However, Profit after Tax (PAT) increased by 142% to Rs.407.63 Lakhs from a profit of Rs.168.63 Lakhs for the previous year.

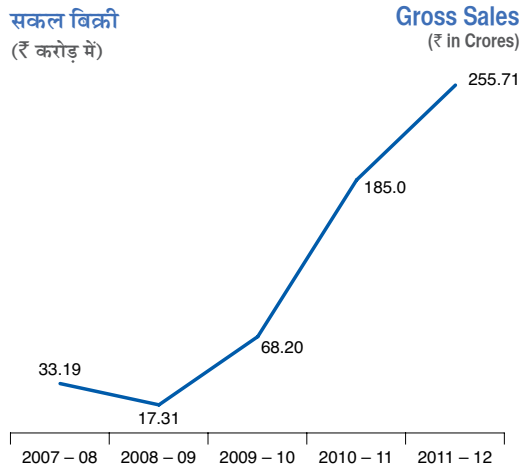

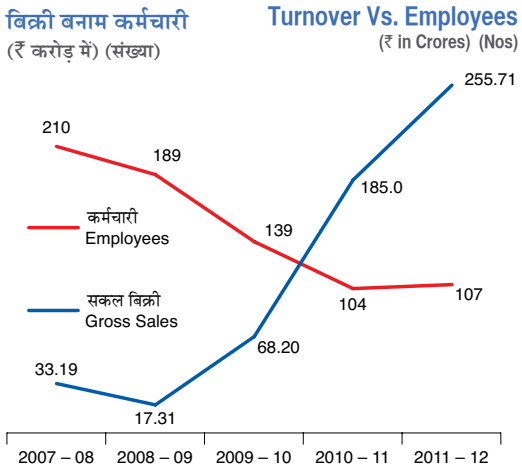

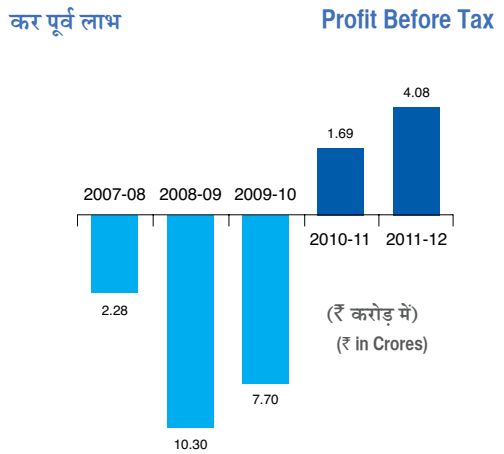

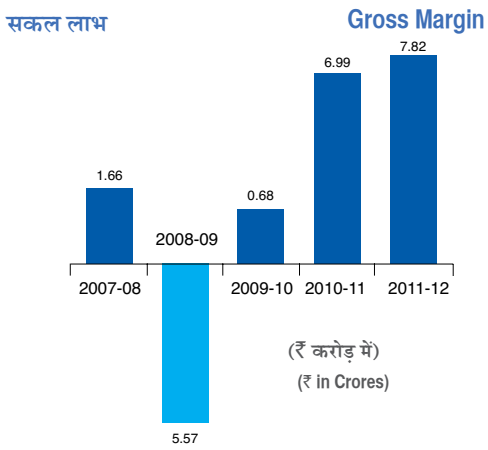

ग) लाभांश

31 मार्च 2012 को पिछले जमा तथा आगे लाये गये रु. 2899.13 लाख के नुकसान के कारण 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये लाभांश की संस्तुति नहीं की जा सकी.

घ) भारत सरकार की ओर से 11वीं योजना स्कीम के अंतर्गत निधियो से

सन 2008 में भारत सरकार ने निगम की विकास तथा व्यापारिक गतिविधियों को दो भागों विभक्त कर देने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया. इस तथ्य को मान्यता मिली की फिल्म निर्माण/ सह निर्माण और फिल्मों के मूलरूप निरूपण (दोनों ही गहन पूंजी की आवश्यकता वाली गतिविधियां) में मूलत: सांस्कृतिक परिपेक्ष्य को भी ध्यान में रखना पड़ता है. 11वीं पंचवर्षीय योजना से इन कार्यों को उन निधियों से किया जाना निर्धारित हुआ जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से विविध क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के निर्माण के लिये उपलब्ध कराये जाने थे. इस नीतिगत निर्णय को एन एफ डी सी की उस पुरुत्थान योजना में भी समंजित कर लिया गया जिसकी सिफारिश बी आर पी एस ई द्वारा की गई थी और तदनुसार जिसे केंद्रीय सरकार ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी थी.

i. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म निर्माण के लिए रु. 1167 लाख स्वीकृत किये.

ii. रु. 500 लाख की राशि पुरानी फिल्मों के पुन:स्थापना तथा डिजिटलीकरण के लिये स्वीकृत की गई.

2. वित्तीय समीक्षा

क) वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी के वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप निम्नानुसार है :-

c. Dividend

Due to accumulated and carried forward losses of Rs.2899.13 Lakhs as on March 31, 2012, payment of dividend is not recommended for the year ended March 31, 2012.

d. Funds from Government of India under Eleventh Plan Scheme

In 2008, the Government of India accepted the need for bifurcation of the development and business activities of NFDC. IN recognition of the fact that production/ co-production of films, and restoration of films (both highly capital intensive activities) are primarily carried out from a cultural perspective, with effect from the Eleventh Five Year Plan, the same were undertaken through funds made available under the Ministry of Information and Broadcasting 's Plan Scheme for " Film Production in Various Regional Languages". This policy view was also ratified in the Revival Plan of NFDC recommended by BRPSE and approved by the Union Cabinet. Accordingly

i. During the financial year 2011-12, the Ministry of information and Broadcasting sanctioned funds of Rs. 1167 Lakhs for production of films.

ii. An amount of Rs. 500 Lakhs for restoration and digitization of old films.

2. Financial Review

a. Summary of Financial Results

The summary of financial results of the company for the year ended March 31, 2012 is given below –

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	2011–2012	2010–2011
सकल आय	Gross Income	25571.03	18499.69
सकल अतिरिक्त राशि	Gross Margin	781.61	698.58
वी आर एस खर्चों का परिशोधन	Amortization of VRS Expenses	1.09	426.02
वित्तीय खर्च	Financial Expenses	6.06	3.13
संदेहास्पद ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful debts/advances	100.36	28.34
मूल्यह्रास	Depreciation	113.47	81.31
प्रारंभिक खर्च	Preliminary Expenses	17.76	4.44
पिछले समय का समंजन	Prior period Adjustment	(0.23)	4.58
अतिरिक्त प्रावधान से वापसी	Excess Provision Written Back	–	(17.88)
परिशोधन व्यय	Amortization Expenses	76.44	–
पुरानी पड चुकीं अचल संपत्तियां जिन्हें रद्द किया गया तथा बट्टेखाते में डाला गया	Obsolete Fixed Assets Discarded & Written Off	59.02	–
कर पूर्व लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) Before Tax	407.63	168.63
कर के लिये प्रावधान	Provision for Tax	–	–
शुद्ध लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss)	407.63	168.63
घटाएं : लाभ / (हानि) आगे लाया गया	Less: Profit/(loss) brought forward	(3306.76)	(3475.39)
तुलनपत्र पर ले जाये गये शेष	Balance Carried to Balance Sheet	(2899.13)	(3306.76)

ख) अभिवृद्धि

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी की सकल आय में 38% की वृद्धि दर्ज की गई. कंपनी को वर्ष के दौरान 142% की पर्याप्त वृद्धि दर्ज कराने वाला रु. 407.63 लाख का रिकार्ड शुद्ध लाभ हुआ.

ग) निवल सम्पत्ति

31 मार्च 2012 को कंपनी का निवल सम्पत्ति रु. 1643.19 लाख का था. (पिछले वर्ष: रु. 1217.79 लाख).

घ) समझौता ज्ञापन मूल्यांकन

भारत सरकार के साथ सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में हस्ताक्षरित एम ओ यू के अनुरूप वित्तवर्ष 2010-11 में कंपनी के कार्यनिष्पादन को ''बहुत अच्छा" रेटिंग प्राप्त हुई थी.

वर्ष 2011-12 के लिये कंपनी अपने कार्यनिष्पादन के लिये ''उत्कृष्ट तम" रेटिंग पाने की ओर अग्रसर है.

ङ) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा निर्गामी व्यय संबंधी विवरण

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा निर्गामी व्यय का विवरण जो समीक्षा के अंतर्गत है, का विवरण वार्षिक लेखे के लेखा खंड-नोट नं. 45 में दिया गया है. विदेशी मुद्रा में आय रु. 221.36 लाख की है जबकि पिछले वर्ष यही आय रु. 200.08 लाख थी. विदेशी मुद्रा में व्यय रु. 427.76 लाख हुआ (पिछले वर्ष व्यय : रु. 82.10 लाख).

3. निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए ए) के अंतर्गत यह पुष्ट किया जाता है कि :

i. 31 मार्च 2012 के अंत तक की अवधि के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में वही लेखा मानक अपनाए गये है इसके साथ ही दी गई सामग्रिओं के लिए उचित विवरण यदि हो, को भी शामिल किया गया है.

ii. निदेशकों ने हिसाब किताब के संबंध में उन्हीं नीतियों का चुनाव किया तथा सुसंगत रूप में लागू किया और अनुमान एवं निर्णय लिये जो सही तथा तथ्यपरक हैं, जो कंपनी के मामलों का सही और सच्चा विवरण देने में समर्थ हैं, कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और लाभ अथवा हानि का सही और सच्चा विवरण देते हैं.

iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की अनियमितताओं तथा जालसाजी आदि को रोकने के लिये लेखे जोखे का रिकॉर्ड अधिनियम कि धाराओं इस कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों अनुसार पर्याप्त रूप से रखा है और इसकी देखभाल के लिये पर्याप्त इंतजाम किये हैं.

iv. वार्षिक लेखा एक निरंतर सम्बन्धित विषयों के आधार पर तैयार किया जाता है.

4. कंपनी की गतिविधियां

फिल्म निर्माण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के जरिये ''विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण योजना" कार्यान्वित की. इसी के अंतर्गत निगम फिल्म निर्माण के मौजूदा दिशा निर्देशों के अंतर्गत फिल्म निर्माण का कार्य करता है. इस उद्देश्य से नवोदित/ नये प्रवेश करने वाले फीचर फिल्म निर्माताओं को उनकी पहली फिल्म के लिये 100% अंडरटेकिंग देकर प्रोत्साहित करना है. इसके साथ ही भारत तथा विदेश के निजी फिल्म निर्माताओं के साथ मिलकर उत्तम दर्जे की फिल्मों का निर्माण/सहनिर्माण करता है.

वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने निम्नलिखित फिल्मों का निर्माण पूर्ण किया इनमें से पांच का निर्देशन, नवोदित फिल्मकारों द्वारा किया जा रहा है, इन फिल्मों का विवरण इस प्रकार है :

b. Growth

In the Financial Year 2011-12, the company has recorded a growth of 38% in Gross Income. The company recorded a substantial jump of 142% in its Net Profit by achieving a figure of Rs. 407.63 Lakhs during the year.

c. Net Worth

The net worth of the company stands at Rs.1643.19 Lakhs as on March 31, 2012 (Previous year Rs.1217.79 Lakhs).

d. MOU Rating

The performance of the Company in terms of MOU signed with the Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting for the financial year 2010-11 has been rated as "VERY GOOD".

For the Year 2011-12, the performance of the company is poised to receive "EXCELLENT" rating.

e. Particulars regarding conservation of Foreign Exchange Earnings and Outgo

The particulars regarding foreign exchange outgo during the year under review are given in Note 45 on Accounts forming part of the Annual Accounts. Earnings in foreign exchange are Rs. 221.36 Lakhs against Rs. 200.08 Lakhs in the previous year and expenditure in Foreign currency is Rs. 427.76 Lakhs (previous year Rs. 82.10 Lakhs).

3. Directors' Responsibility Statement

Pursuant to Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, it is hereby confirmed that –

i. In the preparation of the Annual Accounts for the period ended March 31, 2012, the applicable accounting standards have been followed, along with proper explanations relating to material departures, if any;

ii. Such accounting policies are selected and applied consistently, and judgments and estimates made are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the Financial Year, and of the profit or loss of the company for that period.

iii. Proper and sufficient care is taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, for safeguarding the assets of the company, and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

iv. The annual accounts have been prepared on a going-concern basis.

4. Activities of The Company

Film Production

Under the Eleventh Five-Year Plan, the Ministry of Information and Broadcasting executed its Plan Scheme "Film Production in Various Regional Languages" through NFDC. From the same, NFDC produces films under its extant guidelines for film production whereby it aims to encourage emerging/debutant feature filmmakers by undertaking 100% production of their first feature film and to produce/ co-produce good quality films in partnership with private players both from India and abroad.

During the year 2011-12, NFDC produced/ completed the following films, of which 5 were directed by debutant filmmakers. Details of these films are as under –

फिल्म का नाम	भाषा	निर्देशक	स्थिति
संस्कार	बंगाली	नवेंद्रु चटर्जी	पूर्ण
ही ...	भोजपुरी	मगंश जोशी	पूर्ण
अन्हे घोरे दा दान	पंजाबी	गुरविंदर सिंह	पूर्ण
गंगूबाई	मराठी/हिन्दी	प्रिया कृष्णस्वामी	पूर्ण
एज द रिवर फ्लोज	असमी	बिद्युत कोटकी	पूर्ण
द गुड रोड	गुजराती	ज्ञान कोरिया	निर्माणाधीन

- पंजाबी फिल्म ''अन्हे घोरे दा दान" पुरस्कृत लेखक गुरदयाल सिंह की इसी नाम की पुस्तक पर आधारित है. इसका वर्ल्ड प्रीमियर 2011 में प्रतिष्ठित वेनिस अंतराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किया गया था. किसी पंजाबी फिल्म को इस तरह का अंतराष्ट्रीय सम्मान पहली बार मिला. 59 वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अलावा इस फिल्म के निर्देशक गुरविंदर सिंह को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तथा पहली बार स्वतंत्र सिनेमेटोग्राफी कर रहे सत्य राय नागपॉल को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार मिला. पांचवे आबू धाबी फिल्म समारोह में इस फिल्म को जूरी द्वारा विशेष उल्लेख सम्मान दिया गया तथा ब्लैक पर्ल ट्रॉफी दी गई. रॉटरडम अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इसे इसके गीतों और सीनिक नरेशन के लिये स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया. तबसे यह फिल्म विश्व के अनेक देशों में दिखाई जा चुकी है. इनमें 55वां लंदन फिल्म फेस्टिवल, बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आदि शामिल हैं. हाल ही में इसे एम ओ एम ए, न्यूयॉर्क में प्रदर्शित किया गया.

- भोजपुरी फिल्म ''ही..." जिसका निर्देशन मंगेश जोशी ने किया है और बंगाली फिल्म ''संस्कार" निर्देशित नबेंदु चटर्जी द्वारा गोवा में नवंबर 2011 में आयोजित किये गये भारत के 42वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के इंडियन पैनोरमा में प्रदर्शित की गई.

सन 2011-12 के दौरान निम्न उल्लेखित फिल्में निर्माण निर्माणाधीन के विभिन्न चरणों में थीं :

Film Name	Language	Director	Status
Sanskar	Bengali	Nabyendu Chatterjee	Completed
HE...	Bhojpuri	Mangesh Joshi	Completed
Anhey Ghorhey Da Daan	Punjabi	Gurvinder Singh	Completed
Gangoobai	Marathi/ Hindi	Priya Krishnaswamy	Completed
As The River Flows	Assamese	Bidyut Kotoky	Completed
The Good Road	Gujarati	Gyan Correa	In post production

- The Punjabi film Anhey Gorhey Da Daan (Alms of the Blind Horse), based on award-winning writer Gurdial Singh's book of the same title, had its world premiere at the prestigious Venice International Film Festival in 2011, making it the first Punjabi Film to achieve international acclaim of this nature. The film went on to receive multiple awards at the 59th National Film Awards for 2011. It received the award for Best Punjabi Language Film. In addition, the Director of the film, Gurvindar Singh, was adjudged Best Director under the National Film Awards, while debutant Cinematographer Satya Rai Nagpaul received the award for Best Cinematographer. This film also won the Special Jury Mention and the Black Pearl Trophy at the 5th Abu Dhabi Film Festival and the Special Jury Award at the International Film Festival, Rotterdam for its lyrical and scenic narration. The film has travelled all over the world since then, and has been showcased at the 55th London Film Festival, the Busan International Film Festival, and has most recently been exhibited at the MOMA in New York.

- The Bhojpuri film HE... directed by Mangesh Joshi and Bengali film Sanskar directed by Nabendu Chatterjee were selected for Indian Panorama of 42nd International Film Festival of India and screened during the International Film Festival of India held in Goa in November 2011.

The following films were under various stages of production/ post production during the year 2011-12 :

फिल्म का नाम तथा भाषा	श्रेणी	निर्देशक
किस्सा (पंजाबी)	सह निर्माण	अनूप सिंह
मंजूनाथ	सह निर्माण	संदीप वर्मा
जल	सह निर्माण	गिरीश मलिक
आदिगारम	स्व निर्माण	विनोद रविशंकर
शांघाई	सह निर्माण	दिबाकर बॅनर्जी
ताशेर देश	सह निर्माण	कौशिक मुखर्जी
कलियच्चन	स्व निर्माण	फारूक अब्दुल रहीमन
झाला अनंत हनुमंत	सह निर्माण	गोविंद निहलानी

- फिल्म ''शंघाई" जिसका निर्देशन प्रतिभाशाली फिल्मकार दिबाकर बॅनर्जी ने किया है, निर्देशित फिल्म शंघाई का निर्माण दिबाकर बॅनर्जी प्रोडक्शन्स तथा पी वी आर पिक्चर्स के साथ संयुक्त रूप से किया गया है जो भारत की एक प्रमुख प्रदर्शन, वितरण एवं निर्माण कंपनी है. ''ताशेर देश" का निर्माण अनुराग फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर किया जा रहा है तथा निर्देशन उभरते हुए फिल्मकार कौशिक मुखर्जी कर रहे हैं. मंजूनाथ और जल का सहनिर्माण फिल्म तथा टेलीविजन इंडस्ट्री के सुस्थापित फिल्मकारों के साथ किया जा रहा है.

- पंजाबी फिल्म ''किस्सा" (निर्देशक-अनूप सिंह) का सहनिर्माण जर्मनी की हॅइमत फिल्म के साथ मिल कर किया जा रहा है. यह ऐसी पहली फिल्म है जिसे भारत सरकार तथा जर्मनी की सरकार के बीच सह निर्माण समझौते के अंतर्गत सरकारी मान्यता प्रदान की गई है. इस फिल्म में इरफान खान प्रमुख भूमिका में हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसे विशिष्ट दर्जा मिल सका है. इसके अलावा नीदरलैंड्स तथा फ्रान्स के सहनिर्माता भी इस निर्माण में सहभागी हो गये हैं.

वर्ष 2011-12 के दौरान निम्न फिल्में आरम्भ की गईं

फिल्म का नाम	श्रेणी	निदेर्शक	भाषा
चौरंगा	सह निर्माण	बिकास मिश्रा	खोर्था
वीस म्हणजे वीस	स्व निर्माण	उदय भंडारकर	मराठी
अरुणोदय	सह निर्माण	पार्थो सेन गुप्ता	मराठी

Film Name/language	Category	Director
Qissa (Punjabi)	Co Prod.	Anup Singh
Manjunath	Co-Prod.	Sandeep Verma
Jal	Co-Prod.	Girish Malik
Adigaram	Own Prod.	Vinod Ravishankar
Shanghai	Co-Prod.	Dibakar Banerjee
Tasher Desh	Co-Prod.	Kaushik Mukherjee
Kaliyachan	Own Prod.	Farook Abdul Rahiman
Jhala Anant Hanumant	Co-Prod.	Govind Nihalani

- The film Shanghai,, directed by talented filmmaker Dibakar Banerjee has been made in collaboration with Dibakar Banerjee Productions and PVR Pictures, a leading exhibition, distribution and production company in India, Tasher Desh is being produced in association with Anurag Kashyap Films Pvt Ltd and directed by upcoming director Q. Manjunath and Jal are coproduced with established professionals in the film & television industry of India.

- Qissa, a Punjabi film directed by Anup Singh and co-produced with Heimatfilm of Germany, is the first film to be granted official recognition under the Co-Production Agreement between the Government of India and the Government of Germany. Irfan Khan's attachment to the project, as the lead actor, gives the film a certain profile in the International markets. In addition, co-producers from Netherlands and France have also boarded this project.

During the year 2011-12, the following films were commissioned

Name of the Film	Category	Director	Language
Chauranga	Co-Production	Bikas Mishra	Khortha
Vees Mhanje Vees	Own Production	Uday Bhandharkar	Marathi
Arunoday	Co-Production	Partho Sen-Gupta	Marathi

लेजर सबटाइटलिंग

लेजर सबटाइटलिंग प्लांट 2009 में मुंबई से चैन्नई स्थानंतरित कर दिया गया था. तब से सबटाइटलिंग से होने वाली आय में निरंतर वृद्धि हुई है. इस कार्य को इस बात से भी बल मिला कि निगम द्वारा चैन्नई में स्थापित की गई लेजर सबटाइटलिंग यूनिट पूरे दक्षिण भारत में अपने किस्म की एकमात्र यूनिट है. निजी निर्माताओं को सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त सरकारी संस्थानों को भी लेजर सबटाइटलिंग की सुविधा मिल रही है जैसे फिल्म फेस्टिवल निदेशालय, चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया, फिल्म्स डिवीजन, सत्यजित रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट तथा केरल स्टेट चलचित्र ऐकेडमी, लेजर सबटाइटलिंग अेक विदेशी भाषाओं में भी की जाती है जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक, जर्मन आदि.

लेकिन, अब डिजिटल तकनीक आ जाने और इसके तेजी से बढ़ते उपयोग से सेल्युलॉइड पर फिल्म निर्माण में गिरावट आई है. साथ ही अब ज्यादातर फिल्मों की सबटाइटलिंग पोस्टप्रोडक्शन के डिजिटल इंटरमीडियेट स्टेज पर किये जाने का चलन बढ़ गया है जबकि इससे पहले सबटाइटलिंग का एकमात्र तरीका लेजर सबटाइटलिंग ही होता था. इसके परिणामस्वरूप यह तकनीक अब अपने अंत के करीब है. अत: एन एफ डी सी को इस गतिविधि के लम्बे समय तक की उम्मीद नहीं है.

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रवेश का पहला कदम उठाते हुए एन एफ डी सी चैनई छात्रों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करता है जैसे : एविड नॉन लीनियर एडीटिंग, सिनेमेटोग्राफी, 3-डी एनीमेशन, ऑडियो इंडीनियरिंग, सबटाइटलींग आदि. छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम तमिलनाडु आदि द्रविडर हाउसिंग डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (टी ए एच डी सी ओ), डिपार्टमेन्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेल्फेयर तथा तमिलनाडु, अल्प संख्यक आर्थिक विकास निगम (टी ए एम सी ओ) की ओर से प्रदान किये जाते हैं.

घरेलू वितरण

श्री रबंद्रनाथ टैगोर की जन्मशती मनाये जाने के अवसर पर एन.एफ.डी.सी. ने संस्कृति मंत्रालय की ओर से ''टैगोर स्टोरीज ऑन फिल्म" नाम का छह डी वी डीज का एक सेट बनाया और उसे रिलीज भी किया. इस डीवीडी सेट में डिजिटल तकनीक से पुनरुद्धार की गईं फिल्में शामिल हैं - तपन सिन्हा की खुदितो पाषाण, सत्यजित रे की तीन कन्या, हेमन गुप्ता की काबुलीवाला, सत्यजित रे की घरे बैरे और कुमार साहनी की चार अध्याय. बोनस के तौर पर इसमें रबींद्रनाथ टैगोर की नातिर पूजा और सत्यजित रे की रबींद्रनाथ पर बनाई गई डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म को भी शामिल किया गया है. इन सभी फिल्मों की पिक्चर और साऊंड का पुनरुद्धार एन.एफ.डी.सी. द्वारा किया गया है. डी.वी.डी. के इस पैक को बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली और बाजार की मांग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त सेट्स बनाने पड़े. ध्वनि इसके प्रमोशन के लिये एन.एफ.डी.सी. को सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, की मदद लेना बड़ा फायदेमंद साबित हुआ. इससे यह बाजारों में खूब दिखाई देने लगा. इसके बाद से इस डी.वी.डी. पैक को दूसरे देशों में वितरण के लिये विभिन्न विदेशी भाषाओं में सबटाइटल्ड करा दिया गया है.

Laser Subtitling

With the transfer of the Laser Subtitling plant from Mumbai to Chennai in the year 2009, revenues from this activity have shown a steady increase. This was aided by the fact that the Laser Subtitling Unit set up by the Corporation in Chennai is only one of its kind in all of South India. Apart from catering to private producers, subtitling facilities are rendered to Government Institution including Directorate of Film Festivals, Children's Film Society India, Films Division, Satyajit Ray Film & Television Institute & Kerala State Chalachitra Academy. Laser Subtitling is carried out in several foreign languages including Spanish, French, Arabic, German etc.

However, with the introuction of, and rapid use of digital technology, produciton of films on celluloid is on the decline. Further, most films now tend to be sub-titled at the Digital Intermediate stage of post-production, unlike in the past when laser sub-titling was the only mode of sub-titling films. As a result, this technology is now in the final stages of depletion and NFDC does not expect to carry on this activity for much longer.

Training

As a first step towards venturing into the field of training, NFDC Chennai has been conducting training programmes in Avid Non Linear Editing, Cinematography, 3-D Animation, Audio Engineering, Subtitling etc., for students under State Government sponsored schemes. Training programmes are provided to students on behalf of Tamilnadu Adi Dravidar Housing Development Corporation (TAHDCO), Department of Backward Classes Welfare and Tamil Nadu Minorities Economic Development Corporation (TAMCO).

Domestic Distribution

Tagore Stories on Film, a six-pack DVD set was made and released by NFDC on behalf of the Ministry of Culture to commemorate 150 years of Rabindranath Tagore's birth. The DVD set comprises the digitally restored films Khudito Pashan by Tapan Sinha, Teen Kanya by Satyajit Ray, Hemen Gupta's Kabuliwala, Satyajit Ray's Ghare Bhaire, and Char Adhyay by Kumar Sahani with bonus features that include Natir Puja by Rabindranath Tagore and the documentary film Rabindranath Tagore by Satyajit Ray. The picture and sound of all these films were restored by NFDC. The DVD pack attained great commercial success, resulting in commissioning of additional sets of the same to meet market demand. NFDC's promotion of the same on social media networks such as Facebook played a significant role in enhancing its visibility in the market. The DVD pack is since being sub-titled in several foreign languages for distribution in other countries.

इस सब के अलावा, अपनी फिल्मों के आगामी साउंड तथा पिक्चर पुनरुद्धार के लिए एन.एफ.डी.सी. ने अपना वितरण ब्रैंड सिनेमाज ऑफ इंडिया लान्च किया है जिसमें एन.एफ.डी.सी. की अनेक यादगार फिल्में शामिल हैं.

सिनेमाज ऑफ इंडिया के होम वीडियो सेगमेंट का प्रमोशन फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब आदि के जरिये किया जा रहा है. एन.एफ.डी.सी. की वेबसाइट पर एक आधिकारिक माइक्रो साइट भी कार्यरत है जिसमें दूसरी नवीनतम सूचनाओं के साथ डी.वी.डी. रिलीज सूचना भी शामिल है.

In addition to the above, subsequent to carrying out sound and picture restoration of its films, NFDC has launched its distribution brand, namely Cinemas of India. Under the Home Video segment of this brand, a series of iconic NFDC titles, were released in the market.

The promotion of Home Video segment of Cinemas of India is being carried out via its Facebook, Twitter, YouTube etc. An official microsite with DVD release information among other updates is also functional on the NFDC's website.

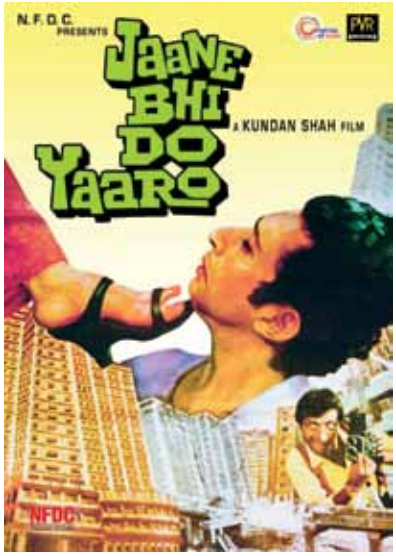

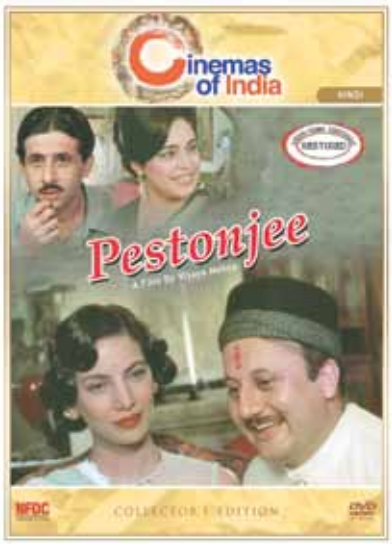

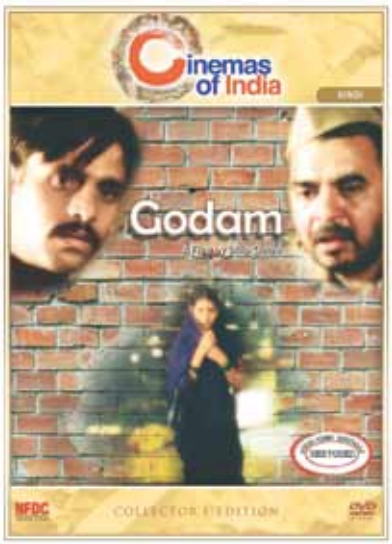

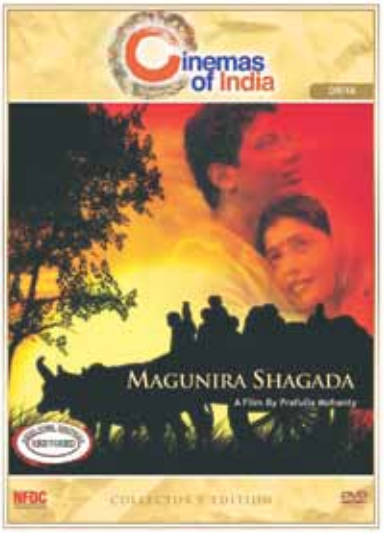

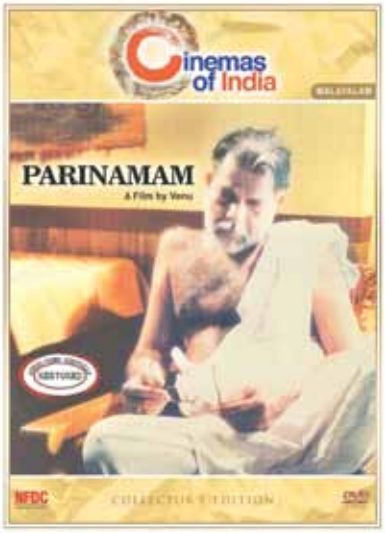

वर्ष के दौरान डी.वी.डी. पर रिलीज एन.एफ.डी.सी. की फिल्मों की सूची
NFDC titles released on DVD during the year

	फिल्म का नाम	Film Title	भाषा	Language	निर्देशक	Directors
			टैगोर की कहानियों पर बनीं फिल्में TAGORE STORIES ON FILMS			
1	खुदितो पाषाण	Khudito Pashan	बंगाली	Bengali	तपन सिन्हा	Tapan Sinha
2	काबुलीवाला	Kabuliwala	हिंदी	Hindi	हेमेन गुप्ता	Hemen Gupta
3	घरे बैरे	Ghare Baire	बंगाली	Bengali	सत्यजित रे	Satyajit Ray
4	चार अध्याय	Char Adhyay	हिंदी	Hindi	कुमार साहनी	Kumar Shahani
5	तीन कन्या	Teen Kanya	बंगाली	Bengali	सत्यजित रे	Satyajit Ray
6	रबींद्रनाथ टैगोर	Rabindranath Tagore	अंग्रेजी	English	सत्यजित रे	Satyajit Ray

	फिल्म का नाम	Film Title	भाषा	Language	निर्देशक	Directors
			सिनेमाज ऑफ इंडिया CINEMAS OF INDIA			
1	जाने भी दो यारो	Jane Bhi Do Yaaron	हिंदी	Hindi	कुंदन शाह	Kundan Shah
2	मिर्च मसाला	Mirch Masala	हिंदी	Hindi	केतन मेहता	Ketan Mehta
3	पार्टी	Party	हिंदी	Hindi	गोविंद निहलानी	Govind Nihalani
4	धारावी	Dharavi	हिंदी	Hindi	कुंदन शाह	Kundan Shah
5	सूरज का सातवां घोड़ा	Suraj Ka Satvan Ghoda	हिंदी	Hindi	श्याम बेनेगल	Shyam Benegal
6	एक डॉक्टर की मौत	Ek Doctor Ki Maut	हिंदी	Hindi	तपन सिन्हा	Tapan Sinha
7	सलीम लंगडे पे मत रो	Salim Langde Pe Mat Ro	हिंदी	Hindi	सईद अख्तर मिर्जा	Saeed Akhtar Mirza
8	दीक्षा	Diksha	हिंदी	Hindi	अरुण कौल	Arun Kaul
9	शेषदृष्टि	Sheshadrushti	उड़िया	Oriya	ए.के. बीर	A.K Bir
10	बायोस्कोप	Bioscope	मलयालम	Malayalam	के.एम. मधुसूदन	K.M Madhusudhanan
11	जय गंगा	Jaya Ganga	हिंदी	Hindi	विजय सिंह	Vijay Singh
12	अरविंद देसाई की अजीब दास्तां	Arvind Desai Ki Ajeeb Dastaan	हिंदी	Hindi	सईद अख्तर मिर्जा	Saeed Akhtar Mirza
13	मम्मो	Mammo	हिंदी	Hindi	श्याम बेनेगल	Shyam Benegal
14	मैसी साहिब	Massey Sahib	हिंदी	Hindi	प्रदीश किशन	Pradip Kishen
15	वास्तु पुरुष	Vastu Purush	मराठी	Marathi	सुमित्रा भावे और सुनील सुखठणकर	Sumitra Bhave & Sunil Sukhthankar
16	स्त्री	Stri	तेलुगू	Telugu	के.एस. सेतुमाधवन	K.S Sethumadhavan
17	एक होता विदूषक	Ek Hota Vidushak	मराठी	Marathi	जब्बार पटेल	Jabbar Patel
18	27 डाउन	27 Down	हिंदी	Hindi	अवतार किशन कौल	Awtar Krishna Kaul
19	संशोधन	Sanshodhan	हिंदी	Hindi	गोविंद निहलानी	Govind Nihalani
20	बंगरवाडी	Bangarwadi	मराठी	Marathi	अमोल पालेकर	Amol Palekar
21	मारुपक्कम	Marupakkam	मलयालम	Malayalam	के. एस. सेतुमाधवन	K.S Sethumadhavan
22	नजर	Nazar	हिंदी	Hindi	मणि कौल	Mani Kaul
23	दुविधा } संयुक्त	Duvidha } Combined	हिंदी	Hindi	मणि कौल	Mani Kaul
24	उसकी रोटी	Uski Roti	हिंदी	Hindi	मणि कौल	Mani Kaul

थियेटरों में फिल्म प्रदर्शन

अपने वितरण ब्रँड, सिनेमाज ऑफ इंडिया के थियेटरों में प्रदर्शन खंड के लॉन्च की तैयारियों ने जोर पकड़ा. पहली बार स्वतंत्र निर्देशन कर रहे फिल्मकार जॉयदीप घोष की बंगाली भाषा की फिल्म ''मायाबाजार" के प्रदर्शन का कार्यक्रम नियत किया गया. यह फिल्म 1 जून 2012 को कोलकाता के सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिये है. कुछ अन्य फिल्मों, जैसे ''अन्हें घोरे दा दान", ''एज द रिवर फ्लोज" आदि को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किये जाने की तैयारियां चल रही है.

विदेशी फिल्म समारोहों और बाजारों में भारतीय सिनेमा का प्रमोशन / उन्नयन

कंपनी के विदेशी प्रभाग ने नयी फिल्मों और पहले से मौजूद फिल्मों तथा भारतीय फिल्मों की ग्लोबल मार्केटिंग के लिये अनेक नये कदम उठाये हैं. खरीदारों के निरंतर बढ़ते डेटाबेस तथा दूसरे देशों के मार्केट प्लेयर्स तक पहुंचने के सघन अभियान में इस डिवीजन ने इस बिजनेस के निजी तथा सरकारी प्लेयर्स के साथ दुनिया भर में नेटवर्क स्थापित किया है. साथ ही यह डिवीजन विश्व भर के फिल्म महोत्सवों में अपनी फिल्में प्रदर्शित करता रहता है जिससे फिल्म निर्माण के अंतरराष्ट्रीय उच्चतम स्तरों को निर्माण में शामिल करके निर्देश चिन्ह हासिल करना संभव हो जाता है.

विश्व बाजारों में भारतीय सिनेमा की अधिक से अधिक मौजूदगी सुनिश्चित करने तथा भारत को एक फिल्म केंद्र के रुप में प्रमोट करने के लिये सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय फिल्म समारोहों तथा बाजारों में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन एवं उन्नयन का काम निगम को सौंपा है. इन नये कदमों के अंतर्गत निगम विभिन्न बाजारों में भारतीय पेवेलियन / इंडिया स्टैंड्स स्थापित करता है जिनमें कान्स फिल्म फेस्टिवल, टोरोंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, मिपकोम, अमेरिकन फिल्म बाजार, यूरोपीय फिल्म बाजार, तथा फिल्मार्ट शामिल हैं. अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए कि इस प्रकार के उन्नयन फिल्मकारों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, एन.एफ.डी.सी. इनमें भाग लेने वाले फिल्मकारों से उनकी प्रतिक्रिया तथा क्रमविकास प्राप्त कर लेता है. इस क्षेत्र में एन.एफ.डी.सी. की गतिविधियों को अपने प्रयत्नों के लिये 5 में से 4.66 की रेटिंग प्राप्त हुई है.

फिल्म बाजार

फिल्म बाजार की स्थापना एन.एफ.डी.सी. ने गोवा में सन 2007 में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के समय की थी. इसका उद्देश्य निर्माण तथा बिक्री का एक ऐसा मंच विकसित करना था जो विश्व के बाज़ारों में भारतीय सिनेमा की अधिकतम उपस्थिती सुनिश्चित कर सके. सन 2010 में बाजार का विस्तार दक्षिण एशिया की जरूरतों पूरा करने तक कर दिया गया. अब यह अंतरराष्ट्रीय मार्केट कैलेंडर पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योग की नियमित गतिविधि बन चुकी है. सन 2007 में केवल 170 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ शुरु किये गये प्रयोगात्मक फिल्म बाजार में सन 2011 तक 40 विभिन्न देशों के 635 से भी अधिक प्रतिनिधि जुड़ चुके थे.

Theatrical Releases

The ground work for the launch of the theatrical segment of its distribution brand Cinemas Of India gained momentum. The release schedule of films such as Mayabazar, a Bengali language film directed by debutant filmmaker Joydeep Ghosh was drawn. The film is released theatrically in Kolkata on June 1, 2012. Other films such as Anhey Ghorey Da Daan, As The River Flows etc are also being scheduled for theatrical releases.

Promotion of Indian cinema in Festivals & markets abroad

The Overseas division of the company has taken various initiatives to enhance marketing of its new films and the existing catalogue and promotion of Indian films in global networks. With an ever-increasing data base of buyers and an aggressive outreach program to connect with market players in other countries, the division has built up a network of partnerships with private and government players in this business across the world. Further, the division is also screening its films at global festivals, thus creating a benchmark by incorporating international best practices in film production.

To facilitate increased visibility of Indian cinema in general in global markets, and promotion of India as a filming destination, the Ministry of Information and Broadcasting has entrusted the task of promoting Indian films at various International Film Festivals and markets in India and abroad to the Corporation. Under these initiatives the Corporation sets up India Pavilions/ India Stands at various markets including the Cannes Film Festival, Toronto International Film Festival, MIPCOM, American Film Market, European Film Market and Filmart. Mindful of its responsibility of ensuring that such promotion meets the needs of filmmakers, NFDC obtains a feedback and evaluation from participant filmmakers. NFDC's activities in this field received a rating of 4.66 out of total of 5 for its efforts.

Film Bazaar

NFDC set up Film Bazaar India in 2007 in Goa alongside the International Film Festival of India with the objective of creating a production and sales platform that would ensure greater visibility of Indian cinema across world markets. In 2010, the market was expanded to cater to the needs of cinemas of South Asia. The event has now become a regular feature on the International Market calendar for the International film industry. From a tentative start in 2007 with 170 delegates, Film Bazaar in 2011 saw the attendance of more than 635 delegates from 40 countries.

श्रीमती अम्बिका सोनी, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत सरकार द्वारा गोवा में आयोजित फिल्म बज़ार, 2011 का उद्घाटन.

Inauguration of Film Bazaar 2011 at Goa by Smt. Ambika Soni, Hon'ble Union Minister of Information & Broadcasting, Govt. of India.

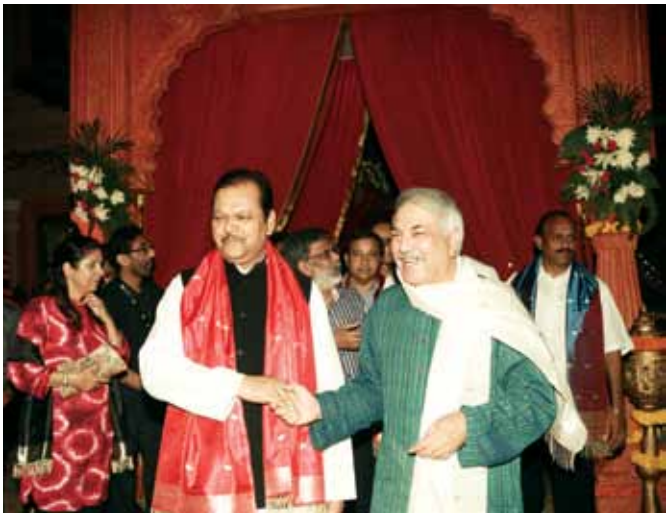

फिल्म बज़ार गोवा, 2011 में इनक्रिडिबल इंडिया पार्टी. मुख्य अतिथी श्री. सुबोधकांत सहाय, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री, भारत सरकार.

Incredible India Party at Film Bazaar 2011 the Occasion graced by Sh. Subodh Kant Sahai, Hon'ble Union Tourism Minister, Govt. of India

आयात

निगम ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिये अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त फिल्मकार फतीह अकिन निर्देशित जर्मन फिल्म ''सोल किचन" के अधिकार प्राप्त करने के साथ एक दशक से अधिक की रिक्ति के बाद फिल्मों के आयात की सिफारिश की. यह फिल्म भारत में 2012-13 में प्रदर्शित किये जाने का कार्यक्रम है.

सरकारी ग्राहकों के लिये फिल्म निर्माण तथा प्रचार

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान एन.एफ.डी.सी. ने सरकारी ग्राहकों के लिये तीन कॉर्पोरेट फिल्मों, 135 ऑडियों विडीयो स्पॉट्स, 3 वीडियों एंथम्स तथा 450 लघु /वृत्तचित्रों का निर्माण किया. इनके अलावा 239 ऑडियो कार्यक्रमों को अनेक भाषाओं में डब किया गया. ऑडियो स्पॉट्स को विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा दूसरे अन्य ग्राहकों के लिये 1,145 गुना बार डब किया गया.

Imports

After a hiatus of more than a decade, the Corporation has recommenced import of films with the acquisition of the German film Soul Kitchen directed by internationally acclaimed filmmaker Fatih Akin for the Indian sun-continent. The film is scheduled for release in India in FY 2012-13.

Production & Publicity for Government Clients

During the Financial Year 2011-12, 3 corporate films, 135 Audio-Video spots, 3 Video Anthems and 450 shorts/ documentaries were produced by NFDC for Government Clients. Further, 239 Audio programs were dubbed in several languages. Audio -Video spots in several languages were dubbed over 1,145 times for numerous Ministries, PSU's and other clients.

विज्ञापन फिल्म | राष्ट्रीय साक्षरता मिशन.

Ad. Film | National Literacy Mission

वर्ष के दौरान कंपनी ने विभिन्न सरकारी ग्राहकों के लिये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैपेन रिलीज के जरिये रु. 19,721.76 लाख का तथा नॉन फीचर फिल्म्स निर्माण के जरिये रु. 2694.80 लाख का टर्नओवर रिकॉर्ड किया.

इस वर्ष के दौरान एन.एफ.डी.सी. ने पहली पहली बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिये गणतंत्र दिवस परेड पर प्रस्तुत करने को एक झांकी का प्रारूप तैयार करने का काम हाथ में लिया. इस झांकी को साक्षर भारत का संदेश प्रतिध्वनित करने वाली इसकी थीम के लिये, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम है, प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ. बड़े ही सृजनात्मक तरीके से तैयार की गई इस सुनहरी झांकी ने जो ''शिक्षा प्रसार मिशन के प्रति सभी का ध्यान आकर्षित करने में पूर्णत: सफल रही.

ग्राहक संतुष्टि के पैमाने पर सरकारी ग्राहकों ने एन.एफ.डी.सी. को पांच में से औसतन साढ़े चार अंक प्रदान किये.

During the year, the company recorded a turnover of Rs. 19721.76 lakhs on account of release of electronic media campaigns for various government clients and a turnover of Rs.2694.80 Lakhs on account of non-feature film production.

During the year, NFDC undertook its first ever assignment for designing a 'tableau' for the Republic Day Parade on behalf of the National Literacy Mission, Ministry of Human Resource and Development, Government of India. The tableau received the first prize for its theme resonant with Saakshar Bharat the 'Adult Literacy Program of the Min. of HRD. The creatively fabricated golden tableau that spoke of 'Reaping the fruits of Knowledge and building a bridge towards a golden future' was successful in drawing attention to the core tenets of the literacy mission.

On a scale of 5, Government Clients gave an average of 4.50 marks to NFDC on Customer Satisfaction.

"झाँकी" | मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय

"Tableau" | Ministry of Human Resource and Development

5. मानव संसाधन विकास

क) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षण
भारत सरकार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये विभिन्न पदों में भरती अथरा तरक्की में आरक्षण संबंधी नीति का पालन किया गया.

ख) वेतनमान तथा सुविधाओं का पुनरीक्षण
कॉर्पोरेशन ने डीपीइ दिशा निर्देश का. जा.सं. 2(70)/80-डीपीई (डब्ल्यू सी) दिनांक 26 नवम्बर 2008 के अनुसार संशोधित सुविधाएं तथा भत्ते लागू किये हैं.

ग) मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण
प्रशिक्षण तथा मानव विकास को प्रमुखता दी जा रही है. कर्मचारियों को अनुकूल तकनीकी तथा सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम लागू किया जा रहा है. रिपोर्ट किये जा रहे वर्ष के दौरान निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को 71.5 मानव दिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

घ) औद्योगिक संबंध
औद्योगिक संबंध स्वस्थ्य, स्नेहपूर्ण तथा सद्भावपूर्व बने रहे. कर्मचारियों की ओर से अशांति अथवा आंदोलन की कोई घटनाएं नहीं हुई.

6. राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत समय समय पर बनाये गये नियमों तथा राजभाषा विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों को कार्यान्वित किया गया. निगम में हिंदी के प्रयोग तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये लागू किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये उठाये गये कदमों की समीक्षा के लिये राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं.

7. ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समाशोधन आदि पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1) (इ) के प्रावधानों के अनुरूप जिन्हें कंपनी नियम (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकट करना) 1988 के साथ पढ़ा जाये, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि निगम पर लागू नहीं होते.

8. उन कर्मचारियों का विवरण जो 217 (2क) के अनुरूप वेतन पाते हों

कंपनी का कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं था जिसने कंपनी अधिनियम की 1956 की धारा 217 (2क) जिसे कंपनियों (कर्मचारियों के विवरण) नियमो, 1975 के साथ पढ़ा जाय. के अंतर्गत नियत सीमा से अधिक वेतन पा रहा हो.

9. सतर्कता मामले

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की जाने वाली है, तथापि कंपनी ने जनरल मैनेजर स्तर के एक अधिकारी को सतर्कता संबंधी मामले देखने का कार्यभार सौंप दिया है.

10. निदेशक मंडल तथा मंडल की बैठकें

वर्ष के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री रमेश सिप्पी को 16 जनवरी 2012 से कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. साथ ही श्री. ए.के. बीर तथा

5. Human Resource Development

a. Schedule Caste / Schedule Tribe Reservation
The directives issued by the Government of India regarding reservation for SC/ST in appointment and promotion to various posts, were complied with.

b. Revision of Perks & Allowances
Corporation has implemented revised Perks & Allowances on Cafeteria basis in terms of DPE guidelines OM No.2(70)/80-DPE(WC) dated November 26, 2008.

c. Training & Human Resource Development
Training and human development is receiving a place of priority and a programme to impart suitable training to employees in technical and soft skills is being implemented. During the year under report 71.5 man days of training were imparted to officers and employees of the Corporation.

d. Industrial Relations
Industrial relations continued to be healthy, cordial and harmonious. There were no incidents of employee unrest or agitation.

6. Official Language Implementation

The Official Language Act, along with the Rules thereof and orders issued from time to time by the Department of Official Language, Ministry of Information and Broadcasting, and the Department of Public Enterprises regarding use of Hindi, were implemented in the Corporation during the year. Meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly to review the use of Hindi in the Corporation and steps taken to implement the Annual Program for the year 2011-2012 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

7. Report On Conservation Of Energy, Technology Absorption, Etc.

Information in accordance with the provisions of Section 217 (1) (e) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Disclosure of Particulars in the Report of Board of Director) Rules, 1988 regarding Conservation of Energy, Technology Absorption is not applicable to the Corporation.

8. Particulars Of Employees Receiving Salary As Per Secton 217 (2A)

There was no employee of the Company who received remuneration in excess of the limits prescribed under Section 217 (2A) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

9. Vigilance Matters

A Chief Vigilance Officer is due to be appointed by the Ministry of information and Broadcasting. However, the company has designated an officer in the rank of General Manager to oversee vigilance matters.

10. Board Of Directors And Board Meetings

During the year the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, has appointed Shri Ramesh Sippy as Chairman of the company with effect from 16 January, 2012. Further Shri A. K.

श्री. जवाहरलाल वट्टल को 16 जनवरी 2012 से कंपनी के निदेशक नियुक्त किया गया.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पांच निदेशक मंडल की बैठके 21.6.2011, 21.9.2011, 23.12.2011, 4,2.2012 तथा 31.3.2012 को हुईं.

11. लेखा परीक्षक

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अधीन मेसर्स के. एस. अय्यर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नं.-एफ-7 लक्ष्मी मिल्स, शक्ति मिल्स लेन, ऑफ डॉ. ई. मोजेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई-400 011 को वर्ष 2011-12 के लिये निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया.

लेखापरीक्षको ने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के लेखाओं का लेखा परीक्षण किया है. अपेक्षित लेखा अनुलग्नक तथा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किये गये हैं.

12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम की ओर से एन एफ डी सी में सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) 2005 लागू करने के आवश्यक कदम उठाये गये हैं. आर.टी.आई. के अंतर्गत आने वाले आवेदनपत्रों पर कार्यवाही के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की गई है :

1. मुख्य जन सूचना अधिकारी
आर. हरीश, प्रबंधक (विधि)

2. अपीलीय प्राधिकारी
नीना लाठ गुप्ता, प्रबंध निदेशक

आभार

निदेशक मंडल कंपनी के व्यावसायिक भागीदारों को उनके सहयोग और संस्था में उनके विश्वास के प्रति आभारी है और पूरी आशा करता है कि भविष्य में ऐसा ही निरंतर पारस्परिक सहयोग जारी रहेगा. निदेशक मंडल अपने रिकॉर्ड में निगम के निदेशक मंडल से बाहर जाने वाले निदेशकों के प्रति उनके उल्लेखनीय बहुमूल्य योगदान के लिये अपनी गहरी सराहना दर्ज करता है. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहा है, उसके प्रति भी निदेशक मंडल आभार प्रकट करता है, विशेषकर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, कंपनी के संचालन और विकासात्मक योजनाओं के लिये आभारी है. सरकारी उद्यम कार्यालय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार, लेखामंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, वैधानिक लेखा परिक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा बैंकों, संरक्षकों और कंपनी ग्राहकों के प्रति निदेशक मंडल आभार प्रदर्शित करता है. निदेशक मंडल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिवार के सभी सदस्यों के प्रति उनके उत्साहपूर्ण, समर्पित कार्यों के लिये गहरी कृतज्ञता भी दर्ज करता है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की सुचारु क्रियाशीलता के लिये उनका बेहतरीन टीम प्रयास अमूल्य था.

निदेशक मंडल की ओर से

(रमेश सिप्पी)
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक 20.09.2012

Bir and Shri Jawahar Lal Wattal were appointed as Directors of the company with effect from 16 January, 2012.

During the Financial Year 2011-12, five Board Meetings were held on 21.6.2011, 21.9.2011, 23.12.2011, 4.2.2012 and 31.3.2012.

11. Auditors

The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s KS Aiyar & Co, Chartered Accountants, No. F-7, Laxmi Mills, Shakti Mills Lane (off Dr. E. Moses Road), Mahalaxmi, Mumbai – 400 011 as Auditors of the Corporation for the year 2011-2012 under Section 619(2) of the Companies Act 1956.

The auditors have audited the Accounts of the Company for the year ended March 31, 2012. The audited accounts with requisite annexures and reports are annexed to this report.

12. Right To Information Act, 2005

Necessary action has been taken by the Corporation towards implementation of Right to Information (RTI) Act 2005 in NFDC. RTI Machinery is in place to attend to RTI applications and follow-ups.

1. Chief Public Information Officer
R. Harish, Manager (Legal)

2. Appellate Authority
Nina Lath Gupta, Managing Director

Acknowledgements

The Board thanks the Company's business partners for their support and confidence in the organization and look forward to sustaining and building this mutually supportive relationship in the future as well. The Board also gratefully acknowledges the support and guidance received from the Union Government of India, various Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Information and Broadcasting, in the Company's operations and expansion plans. The Directors also express their sincere gratitude to the Department of Public Enterprises, Comptroller and Auditor General of India, Chairman and Members of the Audit Board, Statutory Auditors, Internal Auditors, Bankers, patrons and customers of the Company. The Board also records its deep appreciation for the enthusiastic and dedicated work of the members of NFDC. Their outstanding team effort was invaluable for the smooth functioning of the Company during the year under report.

For and on behalf of the Board of Directors,

(RAMESH SIPPY)
CHAIRMAN

PLACE:MUMBAI
DATE: 20.09. 2012

उद्योग का विहंगम दृश्य

भारतीय फिल्म क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र के संदर्भ में देखना होगा. इसकी भूमिका तथा महत्त्व को कुल मीडिया तथा मनोरंजन की तुलना में इसके आकार से नहीं नापा जा सकता. इसके लिये इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि भारत में टेलीविजन हो या संगीत, रेडियो हो या एनीमिशन और वीएफएक्स अथवा विज्ञापन, सभी में फिल्मो के मनोरंजन का हिस्सा सबसे बड़ा है. एक ओर इंडस्ट्री का वह कुल आकार जो फिल्मों से संबंधित है, मिडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र का एक बहुत छोटा अंशमात्र है फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मीडिया तथा मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों के आकार तथा विकास पर फिल्मी अंशों की मात्रा का जबरदस्त प्रभाव है. मनोरंजन के किसी भी अन्य साधन के मुकाबले भारत में फिल्मो की लोकप्रियता बेजोड़ है.

Management Analysis Report

Industry Overview

The Indian Film Sector has to be seen in the context of the overall Media and Entertainment sector of the Indian economy. Its role and importance has to be gauged not by the size of the industry vis-a-vis the entire M&E Space, but the fact that film entertainment in India is a key driver for content on television, music, radio, animation & VFX, and advertising. While the overall industry size attributed to the Film Industry is only a small proportion of the M&E sector , there can be no denying the impact that film content has on the size and growth of other segments of the M&E Sector, given that popularity of film as a means of entertainment is unmatched in India by any other source of entertainment.

(₹ बीलायन में) (₹ in Billion)

कुल उद्योग आकार	Overall Industry size	2007	2008	2009	2010	सीएजीआर CSGR (2007 – 10)	2011p	2012p	2013p	2014p	2015p	सीएजीआर CAGR (2010 – 15)
टेलीविजन	Television	211	241	257	297	12%	341	389	455	533	630	16%
मुद्रण	Print	160	172	175	193	6%	211	231	254	280	310	10%
फिल्म	Film	93	104	89	83	-3%	91	98	109	120	132	10%
रेडियो	Radio	7	8	8	10	11%	12	15	18	21	25	20%
संगीत	Music	7	7	8	9	5%	9	11	13	16	19	17%
गृह से बाहर	Out of Home	14	16	14	17	6%	19	22	24	27	30	12%
एनिमेशन और व्हीएफएक्स	Animation and VFX	14	17	20	24	18%	28	33	40	47	56	19%
गेमिंग	Gaming	4	7	8	10	32%	13	17	23	31	38	31%
डिजिटल विज्ञापन	Ditital Advertising	4	6	8	10	39%	13	18	22	28	36	28%
कुल	**Total**	**516**	**579**	**587**	**652**	**8%**	**738**	**834**	**957**	**1104**	**1275**	**14%**

स्रोत :- केपीएमजी विश्लेषण और उद्योग इंटर व्यूज

Sources: KPMG analysis and industry interviews

भारत के फिल्म उग्योग में प्रांतीय सिनेमा के देश भर में फैले फिल्म निर्माण खंड आवश्यक रुप से शामिल हैं जिनमें 25 से भी अधिक भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाई जाती हैं. भाषाई फिल्में बनाने वाले केंद्रों में सबसे बड़े केंद्र हैं हिंदी, तमिल, तेलुगू , और मलयालम फिल्म उद्योग. बंगाली तथा भोजपुरी फिल्म क्षेत्र भी बड़े हैं. इनमें से भोजपुरी फिल्मो को हाल के वर्षों में बड़ी व्यापारिक सफलता मिली है. यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत में फिल्म उद्योग एक ही जगह पर गुंफित नहीं है अपितु सारे देश में बनने वाली विविध फिल्मों का एकीकरण है जिनमें अपने अपने क्षेत्र का सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबिंब तथा आर्थिक आकांक्षाएं परिलक्षित होती हैं.

भारत में कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है जिससे इसके वास्तविक आकार, निर्माण में होने वाले वार्षिक निवेश, फिल्म प्रदर्शन से होने वाली सही सही आय तता उद्योग के अन्य विवरणों का अनुमान लगाया जा सके. इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री के विकास में सहूलियत देने का काम जरा चुनौतीपूर्ण हो जाता है. इस बात की तीव्र आवश्यकता है कि कोई ऐसी व्यवस्था कायम की जाय जिससे फिल्म क्षेत्र के वे मानदंड स्थापित किये जा सकें जिनके सहारे फिल्म क्षेत्र का आकलन किया जा सके. इसके साथ ही फिल्म निर्माण की विविध धाराओं में काम कर रहे प्रोफेशनल्स का भी डाटाबेस बनाया जाना चाहिये. वर्तमान समय में फिल्म से संबंद्ध कर्मचारियों का डाटा उनके विभिन्न संगठनों के सदस्यों तक ही सीमित है जैसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, साउथ इंडियन फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स, ईस्ट इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन आदि. इनमें से कोई भी संगठन संपूर्ण फिल्म क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकता और इस कारण फिल्म क्षेत्र से संबंधित कोई आंकड़े भी उपलब्ध नहीं करा सकता.

The film industry in India essentially comprises regional segments of filmmaking all over the country with films being made in more than 25 Indian languages. The biggest filmmaking centers in India in terms of language films are the Hindi, Tamil, Telegu, and Malayalam industries. Also prominent are Bengali and Bhojpuri films, with the latter having gained significant commercial success in recent years. It can safely be said that the film industry in India is not one cohesive whole, but is instead an amalgamation of several cinemas produced all over the country that aim to reflect their socio-cultural and economic aspirations.

There is no measurable database in India to gauge the actual size, annual production investments, accurate box office returns and other data of the film industry in India. This makes the task of facilitating the growth of the Indian Film industry that much more challenging and there is an urgent need to put into place mechanisms that ensure maintenance of certain quantifiable parameters of performance of the film sector, as also a data bank of industry professionals across various streams of filmmaking. At present data available of film personnel is confined to industry personnel who are members of various film industry associations such as Film Federation of India, Film Producers' Guild, Indian Motion Pictures Association, South Indian Film Chamber of Commerce, East India Motion Pictures Association and many more. None of these organizations can claim to represent the interests of the entire Indian film sector and as such cannot provide accurate figures for the film sector.

भारत के फिल्म क्षेत्र में एकमात्र उपलब्ध डाटा उन फिल्मों का है जिन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा जनता के लिये प्रदर्शित किये जाने योग्य प्रमाणित किया जाता है.

The only measurable data in India in the film sector is the number of films that are certified by the Central Board of Film Certification each year for public exhibition:

भाषाओं द्वारा प्रमाणित फिल्में
Certified films by language

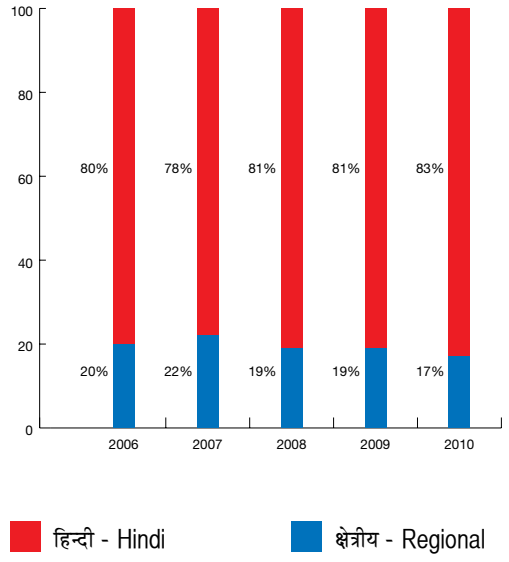

स्त्रोत केन्द्रीय बोर्ड फिल्म प्रमाणपत्र Source: Central Board of Film Certification

क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा प्रमाणित
Certified films by Regional language

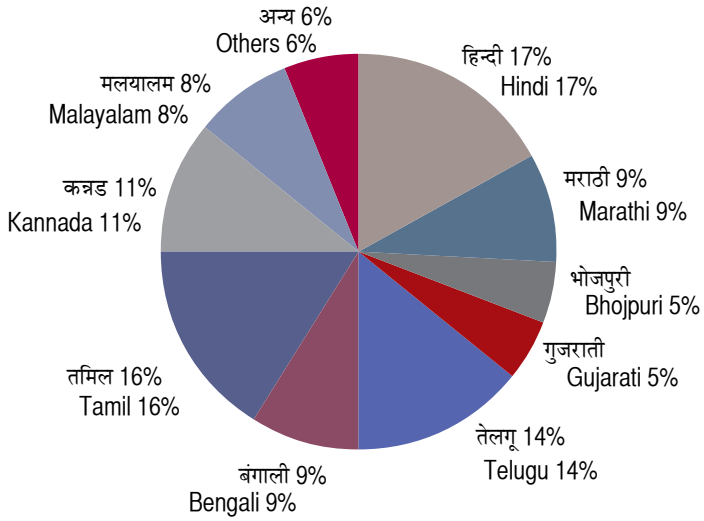

स्त्रोत केन्द्रीय बोर्ड फिल्म प्रमाणपत्र Source: Central Board of Film Certification

फिल्म उद्योग की संरचना

उदयोग के बुनियादी खंड

i. **फिल्म निर्माण** : फिल्म निर्माण में छोटे पैमाने की उन फिल्मों, जिन्हें स्वतंत्र फिल्म निर्माता अपने पैसे और निजी सहायता से बनाते हैं, से लेकर कॉर्पोरेट हस्तियों तथा आर्थिक विनियोग कर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली फिल्मों तक सभी शामिल हैं. साल भर में 25 से अधिक भारतीय भाषाओं में बनाई जाने वाली फीचर फिल्मों की संख्या लगभग स्थायी रूप से 800 से 1000 के बीच बनी रहती है. दूसरी ओर भारत में डॉक्यूमेंटरी फिल्म आंदोलन लगभग नदारत है. जितनी बनती हैं उनमें से करीब सभी डॉक्यूमेंटरीज सरकारी विभागों और मंत्रालयों द्वारा बनाने को दी जाती हैं. इस प्रकार इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंटरी फिल्म निर्माण खंड में एक बड़ी रिक्ति हैं. विकसित तथा विकासशील देशों में ऐसा नहीं है. वहां डॉक्यूमेंटरी फिल्मों को परिवर्तन के माध्यम, जनमत निर्माण तथा घटनाओं के दस्तावेज के तौर पर मान्य किया जाता है. फिल्म उद्योग का फिल्म निर्माण खंड, उद्योग के अन्य खंडो की तरह ही लगभग पूरा, निजी उद्यमियों के हाथों में है जहां संरचनात्मक ढांचो और फिल्म निर्माण के एक समान तथा श्रेष्ठ व्यावसायिक आचरणों का अभाव है. पश्चिमी देशों में स्थिति इसके विपरीत है क्योंकि फिल्म निर्माण के प्रतिमान बहुत हद तक सुस्थापित हैं. उदाहरण के लिये, भारत में आमतौर पर फिल्म के निर्माता की कोई विशिष्ट भूमिका या कोई कार्य स्पष्ट नहीं होते. कई बार तो वह अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करता दिखाई देता है जैसे निर्माण, लेखन, निर्देशन और यहां तक कि संपादन भी. इसका असर फिल्म की गुणवत्ता पर विपरीत पड़ता है क्योंकि इससे आवश्यक पेशेवर कुशलता तता अभिलक्ष्यों की अक्सर क्षति हो चुकी होती है.

ii. **फिल्म वितरण** : पिछले एक दशक से अधिक समय में वितरण के क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं. मिनिमम गारंटी के आधार पर फिल्में खरीदने का चलन हाल के वर्षों में बहुत कम हो गया है और अब आमतौर पर वितरक फिल्म में पैसा निवेश करने वाला नहीं रह गया है. जिस तरह बाजार मल्टीप्लेक्स तथा स्टैंड अलोन सिनेमाघरों में बंट गया है उसी तरह वितरण का क्षेत्र भी बदल गया है और चुनी हुई खास फिल्मों के प्रदर्शन का चलन बढ़ गया है. फिल्मों के सेकेंडरी अथवा एंसिलरी

Structure of Film Industry

The basic segments of the industry comprise of

i. **Film Production** : Production ranges from small-scale films of independent filmmakers based on personal finance and private backing to large-scale productions by corporate entities and financial investors. The number of feature films made each year consistently continue to be in the range of 800 to 1000 approximately in more than 25 languages. On the other hand, the documentary film movement is almost non-existent in India, with the bulk of documentary films being in the nature of films commissioned by government departments and ministries. There is thus a huge gap in the documentary film sector of the industry, unlike in other developed and developing countries, where documentaries are recognized as a medium of change, opinion making, and documentation of events. The production segment of the industry, as is the case of other sections of the film industry, is almost entirely driven by private enterprise, lacks organizational structures and does not institute best practices of film production in a uniform manner, unlike in the west where norms of film production are fairly well established. For instance, it is not recognized in India that film producers have a specific role and function to perform and more often than not, a filmmaker in India dons many hats for his film – that of producer, writer, director, and often editor as well. This impacts the final output of the film as the element of objectivity and professional skill sets required for the final product is often eroded.

ii. **Film Distribution** : The distribution space has undergone several substantial changes in the past decade and more. The practice of purchase of films by distributors on a Minimum Guarantee basis has declined in recent years, and more often than not, the distributor is no longer a financial investor in the film. Distribution has also changed with fragmentation of markets between multiplex and stand-alone theatres and selective exhibition and release

अधिकारों की बिक्री जैसे टेलीविजन, केबल और वीडियो की बिक्री फिल्म की थियेटर में सफलता के आधार पर होने लगी है जिससे यह फिल्म व्यापार की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बन गई है.

iii. फिल्म प्रदर्शन : पिछले एक दशक के लगभग से मौटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत के फिल्म प्रदर्शन खंड में 10,000 से 14,000 के करीब सिनेमाघर हैं. इनमें गांवों में सिनेमा दिखाने वाले वे अस्थायी सिनेमाघर भी शामिल हैं जो टेंट आदि से चलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हैं. फिर भी, भारत में इस बात का कोई सही रिकार्ड या डाटा उपलब्ध नहीं है कि यहां कितने सिनेमाघर हैं लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जनसंख्या के अनुपात में यहां सिनेमाघरों की संख्या विदेशों के मुकाबले बहुत कम है. इसके साथ ही पिछले दर्श में मल्टीप्लेक्सेस की बाढ़ आ जाने से प्रदर्शन स्थल काफी बंट गया है. ये मल्टीप्लेक्सेस आमतौर पर शहरी आबादी को आकर्षित करते हैं. कीमतों के प्रति संवेदनशील भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊंची टिकट दरों के कारण मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज होनेवाली फिल्मों में दर्शकों की संख्या सीमित होती है. दूसरी ओर, बी तथा सी श्रेणी के केंद्रो में इनके मुकाबले बहुत कम टिकट दर रखने वाले स्टैन्ड-इन सिनेमाघरों में इन फिल्मों का वितरण वितरकों के लिये फायदेमंद साबित नहीं होता. इस तरह, फिल्म दर्शकों के बंट जाने और छोटे केंद्रों से फिल्म कंटेंट उपलब्ध न होने में वृद्धि हुई है. इस परिदृश्य में आशा की एकमात्र किरण डिजिटल प्रदर्शन के रूप में उभरती दिखाई देती है.

फिल्म व्यापार का चर्मोत्कर्ष है फिल्म के अधिकारों का वितरण के लिये बिक जाना. एफ आई सी सी आई - के पी एम जी की रिपोर्ट में दिये गये विश्लेषण के अनुसार फिल्म खंड में आमदनी के स्रोतों को बुनियादी तौर पर निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है और हर स्रोत्र से हो वाली आयका प्रतिशत इस प्रकार होगा :-

of films is being carried out increasingly. Sale of secondary or ancillary rights of films such as television, cable, and video is driven largely by the success of a film on a theatrical circuit, making the latter a crucial link in the film business.

iii. Film Exhibition : It has been roughly estimated over the past decade or so that the Indian exhibition sector is equipped with roughly 10000-14000 theatres, including moving theatres (temporary structures that are moved from place to place in rural areas). However, there is no accurate recorded data in India about the actual number of theatres across the country. Notwithstanding that, it is a fact that the numbers of theatres in India are grossly disproportionate to population of the country when compared to screens available to audiences in other countries. Further, the exhibition space has undergone a marked fragmentation in the past decade after the influx of multiplexes. While multiplexes largely cater to urban audiences, high-ticket prices in a price sensitive economy have resulted in limited occupancy rates for the bulk of films released in the multiplexes. On the other hand, the proportionately extremely low ticket prices of stand alone theatres in Grade B and C centers do not make distribution of films in these centers a viable proposition for film distributors, thereby escalating the fragmentation of film audiences and non-availability of film content in smaller centers. A possible solution that is emerging in the scenario is digital exhibition.

The film business culminates in the sale of rights of films for exhibition purposes. As per the analysis contained in the FICCI-KPMG report, revenue streams in the film sector can basically be split up as under and the percentage of revenues derived from each source is :-

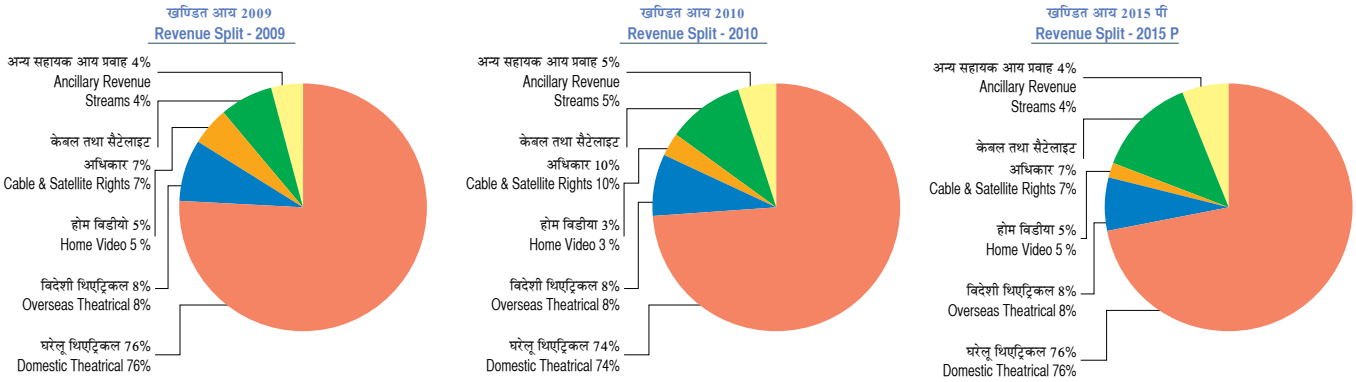

स्रोत :- केपीएमजी विश्लेषण और उद्योग इंटर व्यूज

Sources: KPMG analysis and industry interviews

इंडस्ट्री का आकार

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के आकार को एफआसीसीआई-केपीएमजी ने 2010 में आई एन आर 8330 करोड़ का आंका है.

फिल्म उद्योग के सामने आनेवाली समस्याएँ

आम लोगों की मन में यह धारणा बनी हुई है कि फिल्म उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है. किंतु दूसरे खंडों से तुलना करें तो यह स्पष्ट होगा कि भारत में फिल्म व्यवसाय छोटे छोटे व्यक्तिगत उद्यमियों का समूह है जिसका विस्तार सॉफ्टवेअर से संबंधित अन्य कॉर्पोरेट क्षेत्रों, जिनमें आई टी भी शामिल है, जैसा नहीं है. भारत में फिल्म उद्योग अव्यवस्थित सांस्कृतिक ढांचे जैसा है. इसके बेतरतीब व बिखरे हुए स्वरूप तथा विकास की वजह से समस्याएं एक नहीं अनेक हैं.

Size of Industry

The size of the Indian film industry as in 2010 is estimated by KPMG | FICCI at INR 8330 Crores.

Problems faced by Film Industry

The common perception in the minds of people is that the film industry is a huge player in the national economy. However, compared to other sectors, the film business in India is essentially a conglomeration of small individual driven enterprises and does not have the scale and bandwidth possessed by other corporate sectors, including software related industries such as the IT sector. The film industry in India essentially has the soft amorphous structure of a cultural enterprise. Given the disorganized and fragmented nature and growth of the industry, the problems faced are manifold.

i. फिल्म व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा का अभाव एक बड़ी समस्या है. अगर इस इंडस्ट्री को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्यपद्धति एवं प्रक्रियाएं अपनानी हैं तो इस अभाव को दूर करना ही होगा. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत में फिल्म निर्माण अधिकतर व्यक्तिगत उद्यम के रूप में है और विशिष्ट व्यवसाय, जैसे कि निर्माण, लेखन, संपादन आदि स्पष्टत: परिभाषित नहीं हैं. इसी प्रकार, कारीगरी के क्षेत्र में एनिमेशन तथा डी आई कार्टूनिस्ट जैसे कुछ विभाग ऐसे हैं जहां प्रशिक्षित लोगों की भारी जरूरत हैं. सरकार की योजना ऐसा एक महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ करने की है जिसके अंतर्गत इस देश की फिल्म धरोहर को बनाये रखने तथा उसे नया रूप देने के प्रयत्न किये जाएंगे. इसे प्रभावी तौर पर लागू कर सकने के लिये लैब टेक्निशियंस तथा डीआई कार्टूनिस्ट के प्रशिक्षण पर जोर देना आवश्यक होगा.

ii. पिछले कुछ दशकों में कथ्य विकास तथा प्रशिक्षित कथा वर्णन के अभाव का भारतीय सिनेमा पर बुरा असर पड़ा है. विश्व के प्रमुख फिल्म समारोहों का फिल्मों के अपने चुनाव के जरिये ऐसी फिल्मों का प्रलेख तैयार करने का उद्देश्य है जो समय आने पर विश्व फिल्म इतिहास का हिस्सा बन सकें. फिल्में , जो अभिव्यक्ति के माध्यम के विकास को प्रतिबिंति करती हों. लगभग 1980 तक के पुराने समय के विपरीत जब भारतीय फिल्में लगभग गायब ही हो गई हैं. इस दुखद स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है.

iii. फिल्म निर्माण के सुस्थापित, समरुप ढांचो और रचनातंत्र की अनुपस्थिति की वजह से फिल्म व्यापार में प्रशिक्षण के जरिये संस्थागत श्रेष्ठ चलन स्थापित करने होंगे. यह प्रशिक्षण कैरियर में प्रवेश तथा मध्यावधि के बीच, दोनों अवसरों पर आवश्यक होगा. अंतरराष्ट्रीय रूप से स्थापित मानकों के अभाव में मार खाने वाला एक अन्य क्षेत्र है फिल्मों के संरक्षण का जिसके अभाव में भारतीय घरोहर की अनेक फिल्मों का एक बड़ा भाग सदा के लिये नष्ट हो गया.

iv. दर्शकवर्ग के बंट जाने और कम टिकटदर वाले सिनेमाघरों के अभाव की ओर, जो विशिष्ट तरह के सिनेमा और निम्न आयवर्ग के दर्शों की जरूरतों को पूरा कर सकें, ध्यान देने की आवश्यकता है.

v. वर्तमान समय में अलग तरह की फिल्मों के प्रदर्शन के लिये कोई सहज रास्ता नहीं है. जैसा कि फिल्में बनाने वाले दूसरे देशों में है, भारत में ऐसे विशेष सिनेमाघरों का अभाव है जो आर्ट हाउस, विशेष रुप से सराही गईं अथवा भारतीय और विश्व सिनेमा में पुरस्कृत फिल्मों की आवश्यकताएँ पूरी करते हों. जब 1980 में एन एफ डी सी की स्थापना हुई थी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शामिल किये गये उद्देश्यों में से एक इसी उद्देश्य के लिये छोटे सिनेमाघरों की स्थापना का भी था किंतु सिनेमाघरों के निर्माण को आर्थिक सहायता देने की स्कीम असफल रही और 1990 में उसे त्याग देना पड़ा. अब यह महसूस कर लिया गया है कि इसे सफल बनाने के लिये एन एफ डी सी को सहायता तथा समर्थन की आवश्यकता थी.

vi. डिजिटल एक्जिबिशन को अभी समरूप तकनीकी मानदंड स्थापित करना बाकी है. इस प्रकार के प्रदर्शन को अपने विकास में देश में छोटे डिजिटल सिनेमाघरों की स्थापना से प्रोत्साहन मिला है. किंतु ये सिनेमाघर यू एफ ओ मूवीज के प्रोजेक्शन के एक समान मानदंडो का पालन नहीं करते. रियल इमेज और बड़े मल्टीप्लेक्सेस सिनेमाघरों में साउंड तथा प्रोजेक्शन के अलग अलग मानदंड प्रस्तुत करते हैं.

vii. प्रदर्शन खंड के विकास में जगह की कमी, जमीन की ऊंची कीमत, ऊंचे किराये तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने जैसी अनेक बाधाएं सामने आती हैं.

viii. होम वीडियो मार्केट में बड़ी गिरावट का सबसे बड़ा कारण है पाइरेसी. पाइरेसी की समस्या का निराकरण मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाना चाहिये. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अभ्युदय और विकास के साथ भारत में इंटरनेट तथा वेब आधारित पाइरेसी तेजी से बढ़ रही है.

i. Lack of talent, across several realms of the film business, is a problem that will need to be redressed if the industry is to institute best practices and skill sets at par with international standards. As mentioned earlier, filmmaking continues to be largely an individual driven enterprise in India, and roles of specific functionaries such as producer, writer, editor etc. are not necessarily clearly defined. Likewise, in terms of skill sets, some of the areas where there is a crying need for trained manpower is in animation and DI colorists. With the Government planning to embark upon an ambitious program to restore and resurrect the film heritage of this country, training to lab technicians and DI colorists will be crucial to effective restoration.

ii. Lack of content development and the absence of trained story telling have had a telling impact on Indian cinema in the past couple of decades. Premier international Film Festivals, through their selections, aim to document films that would in time form a part of global film history, films that reflect the growth of cinema as a medium of expression. Unlike in the past, up to the 1980s, when Indian films used to regularly compete internationally with the best films across the world, films from India have virtually disappeared from the premier international film festival circuit and there is an urgent need to redress this.

iii. Given the absence of established uniform structures and mechanisms for production, institutionalization of best practices in the film business will need to be addressed through training both at entrant level, and mid-career professional levels. Another area where Indian cinema has suffered immensely for want of internationally established practices is the area of film preservation and a substantial part of the Indian film heritage is lost forever due to the same.

iv. Fragmentation of audiences and lack of low cost theaters to cater to specialized cinema and to low-income group audiences needs to be addressed.

v. At present, there are no avenues for exhibition of alternative content – unlike in other film producing countries, India lacks specialty theatres that cater to exhibition of art-house | acclaimed | award-winning Indian and world cinema. When NFDC was set up in 1980, one of the main objects of the company laid down in the Memorandum of Association of the company was the setting up of small theatres for this purpose. The theatre-financing scheme of NFDC however failed and was abandoned in the 1990s. It is recognized that to be a success, this initiative would have to be supported and backed NFDC.

vi. Digital exhibition is yet to establish uniform technical standards – the exhibition space is being facilitated in its growth by the emergence of small digital theatres across the country. However, these theatres do not maintain uniform standards of projection with UFO Moviez, Real Image and larger multiplexes offering differing standards of projection and sound in theatres.

vii. The growth of the exhibition sector is impeded by lack of space, high land and rental costs, and multiple clearances required from state and local administration.

viii. Piracy has been the single largest reason for the decline of the home video market. At the same time, the problem of piracy needs to be addressed in the context of a price-sensitive economy. With the emergence and growth of digital platforms, Internet and web-based piracy is rapidly growing in India.

ix. फिल्म व्यवसाय के सभी क्षेत्रों जैसे स्टूडियोज, प्रशिक्षण की सुविधाएं, सिनेमाघर आदि में अपर्याप्त निवेश भी एक बड़ी समस्या हैं.

x. देशी तथा विदेशी दोनों तरह के निर्माताओं की फिल्मों की शूटिंग्स के लिये सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधाओं के अभाव की वजह से भारतीय कहानियों वाली, बड़े बजट की ज्यादातर फिल्मों के निर्माता आउटडोर शूटिंग की जरूरत पड़ने पर भारत से बाहर चले जाना बेहतर समझते हैं. इसका दोहरा नुकसान होता है. एक ओर तो फिल्म क्षेत्र के लिये आय तथा काम धंधा पाने की संभावनाएं क्षीण होती हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यटन क्षेत्र को वे विशिष्ट क्षेत्र दिखा कर जहाँ कोई शूटिंग हुई थी, पर्यटन विकास के मौके कम हो जाते हैं. इसका लाभ उन देशों को मिलता है जिनके यहाँ की लोकेशन शूटिंग फिल्म में देखने को मिलती है. इस समस्या की ओर पर्यटन मंत्रालय तथा राज्य सरकार का ध्यान तुरंत आकर्षित करके निदान की आवश्यकता है.

ix. Inadequate investment in infrastructure across all gamut of the film business ranging from studios, training facilities, theatres etc.

x. Lack of single-window clearances for film shooting, for both Indian and foreign film producers, is the single largest reason why the bulk of big-budget films, with Indian stories, are being shot outside India where outdoor locations are required. This has a dual negative effect – on the one hand, the potential for generation of revenue and employment in the film sector diminishes, and on the other, the immense benefits that accrue to the tourism sector through portrayal of specific locations in films invariably passes on to other countries whose locations appear in films. This problem needs to be addressed urgently in consultation with the Ministry of Tourism and with State governments.

खंड विकास अनुमान

एफआईसीसीआई-केपीएमजी की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म उद्योग की सी ए जी आर तथा अगले पांच वर्षों में इंडस्ट्री का अनुमानित आकार नीचे दिये जा रहे हैं. इससे स्पष्ट है कि थियेटरों से होनेवाली आय वितरण क्षेत्र पर हावी रहती रहेगी तथा अन्य सहायक आय स्रोत सिनेमाघरों से होने वाली आय पर निर्भर रहेंगे, जैसा कि अभी हो रहा है.

Sector Growth Estimates

As per FICCI-KPMG Report 2011, the CAGR of the Film Industry and the anticipated size of the industry in the next five years are as under. As would be seen, theatrical revenues would continue to dominate the distribution sector and ancillary streams of revenue would continue to be dependent upon the returns from the theatrical box-office as is the case at present.

(₹ बीलायन में) **भारतीय फिल्म उद्योग का आकार Size of the Indian Film Industry** (₹ in Billion)

फिल्म उद्योग (आयएनआर बीए)	Film Industry (INR Bn)	2007	2008	2009	2010	CSGR (2007 – 10)	2011p	2012p	2013p	2014p	2015p	CAGR (2010 – 14)
घरेलू थिएट्रिकल	Domestic Theatrical	71.5	80.2	68.5	62.0	-4.6%	67.4	72.2	79.2	87.0	94.8	8.9%
विदेशी थिएट्रिकल	Overseas Theatrical	8.7	9.8	6.8	6.6	-8.8%	6.7	7.2	7.9	8.7	9.5	7.5%
होम विडियो	Home Video	3.3	3.8	4.3	2.3	-11.0%	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	5.0%
केबल तथा सेटेलाइट अधिकार	Cable & Satellite Rights	6.2	7.1	6.3	8.3	10.3%	9.6	11.0	12.6	14.5	16.6	14.8%
सहायक आयकर प्रवाह	Ancillary Revenue Streams	2.9	3.5	3.5	4.1	11.4%	4.7	5.4	6.2	7.1	8.2	15.0%
कुल उद्योग	**Total Industry Size**	**92.7**	**104.7**	**89.3**	**83.3**	**-3.5%**	**90.9**	**98.4**	**108.6**	**120.1**	**132.1**	**9.6%**

स्रोत :- केपीएमजी विश्लेषण और उद्योग इंटर व्यूज

Sources: KPMG analysis and industry interviews

एनएफडीसी की प्रतियोगितात्मक स्थिति

हालांकि भारतीय फिल्म उद्योग फिल्म निर्माण की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा माना जाता है और यह इस दृष्टि से भी विशिष्ट है कि यहां विविध भाषाओं में फिल्में बनाई जाती हैं. लेकिन इसके विकास का प्रयास एक समान नहीं है. बहुत सारी ऐसी भाषाई फिल्में तथा श्रेणियां हैं जिन्हें निर्माण विकास के बहुत कम रास्ते उपलब्ध हो पाते हैं.

भारतीय का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम देश में अच्छे सिनेमा के विकास आंदोलन को प्रोत्साहन करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गई केंद्रीय एजेंसी हैं. एन एफ डी सी का बुनियादी लक्ष्य भारतीय फिल्म उद्योग तथा भारतीय सिनेमा का एकीकृत एवं प्रभावशाली ढंग से विकास के लिये योजनाएं बनाना, उन्हें प्रोन्नत करना तथा सिनेमा में श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करना है. फिल्म विकास की एजेंसी के रूप में एन एफ डी सी फिल्म उद्योग के उन क्षेत्रों / खंडों के विकास में सहायता पहुंचाने के प्रति उत्तरदायी है जिनमें निजी उद्यमी व्यापारिक बाध्यताओं की वजह से रुचि नहीं लेते. इस तरह जैसे जैसे इंडस्ट्री का विकास तथा प्रसार होगा, नयी चुनौतियां तथा कमियां विकास के हर चरण में सामने आएंगी और एन एफ डी सी को आगे आकर उन क्षेत्रों में इंडस्ट्री के प्रयत्नों का पूरक बनना समयोजित होगा.

Competitive Position of NFDC

While the Indian Film Industry is recognized as one of the biggest in the world in terms of number of films produced, is unique for its multi-lingual diversity, the growth of the industry is not evenly spread, with very limited avenues available for growth and dissemination to several language films (as also genres).

The National Film Development Corporation of India is the central agency established by the Government of India to encourage the good cinema movement in the country. The primary goal of the NFDC is to plan, promote and organize an integrated and efficient development of the Indian Film Industry and foster excellence in cinema. As a film development agency, NFDC is responsible for facilitating growth in areas/ segments of the film industry that cannot be undertaken by private enterprise due to commercial exigencies. Thus, as the industry grows and expands, and new challenges and shortfalls emanate at each stage of this growth, it would be expedient for NFDC to step into those areas to supplement the efforts of the industry.

इसी के अनुरूप, एन एफ डी सी को अपनी स्थिती हमेशा इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक सदा समायोजित करते रहनी होगी. एन एफ डी सी की भूमिका निजी क्षेत्र के सहायक की है न कि प्रतिद्वंदी की. अत: एन एफ डी सी की ओर से माध्यम के निम्न स्रोतों में विकास की तरफ ध्यान ज्यादा केंद्रित किया गया है :

Accordingly, NFDC's positioning needs constant adjustments in accordance with the needs of the industry at a given point of time, and the role of NFDC is supplemental and not competitive to the private sector. Therefore, there is increased focus by NFDC on development of the film sector in the following streams of this medium –

विकास
Development

- फिल्म क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं मे प्रशिक्षण
  Training in various aspects of film sector
- फिल्म क्षेत्र की खामियों को दृष्टिगत रखते हुए नीतियों मे संशोधन के अनुसंतान एवं विकास
  R & D for film sector to guage lacunae & enable revision of policies
- फिल्म विरासत का परिरक्षण तथा पुनरुद्धार
  Preservation & Restoration of film heritage

निर्माण
Production

- सिनेमाझ ऑफ इंडिया के भाषा सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक विविधता को बढावा
  Encouraging linguistic & cultural diversity of Cinemas of India
- अंतरर्राष्ट्रीय सह निर्माण को बढावा
  Encouraging International Co-Productions
- भारत में अंतरर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण सुविधा
  Facilitating production of international films in India

विपणन
Marketing

- दर्शकों को बढाने की दृष्टिसे सहत अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा मार्केटों में भारतीय सिनेमा को बढावा देना
  Promotion of Indian Cinema in International Film Festivals & Markets with a view to enhancing audiences
- देश के भीतर भारतीय सिनेमा का अन्तर क्षेत्रीय बढावा
  Inter-Regional promotion of Cinemas of India within the country

वितरण
Distribution

- भारत के फिल्म विरासत का अंगस्वरूप और विदेशी दोनों पुरस्कार प्राप्त तथा प्रशंसित फिल्मों का विवरण
  Enabling distribution of award winning & acclaimed films, both from India & abroad, that form an important part of film heritage
- प्रभावी लागत वितरण के नए तरिकों के पश्चात् तथा समयेत
  Identify & support new modes of cost effective distribution
- बेहतर सिनेमा की संस्कृति तथा फिल्म सोसायटी आंदोलन बनाना
  Build film society movement and culture of good cinema

प्रदर्शन
Exhibition

- फिल्म के अवलोकन की विविधता तथा कम लागत के टिकट के उद्देश्य से विशेष डिजिटल थिएटरों की स्थापना
  Setting up of small specialty digital theaters aimed at low cost ticketing & diversity of film viewing
- प्रेक्षक विकास
  Audience Development

उत्पाद तथा सेवाएं

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना सन 1980 में तत्कालीन फिल्म फायनेंस कॉर्पोरेशन, तथा इंडिया मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आई एम पी इ सी) के आप में विलय के साथ की गई थी. एन एफ डी सी को दिये गये जनादेश को, जिसका उल्लेख भारत सरकार द्वारा एन एफ डी सी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एसोसिएशन में किया गया है, मोटे तौर पर विकासात्मक तथा व्यापारिक / व्यावसायिक गतिविधि में बांटा जा सकता है. यही एनएफडीसी को आगामी पाँच वर्षो की गतिविधियों के सम्बन्ध में एवं दीर्घकालीन रणनीति निर्धारित करने में मार्गदर्शन करेगी.

एन एफ डी सी के प्रमुख उद्देश्य, जिनका उल्लेख मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किया गया है, यहां उद्धृत किये जा रहे हैं :-

1. केंद्रीय सरकार द्वारा के समय समय पर निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक योजना तथा उद्देश्यों के अनुरूप फिल्म उद्योग के कार्यकुशल विकास के लये एकीकृत एवं प्रभावशाली योजनाएं बनाना, प्रोन्नत करना तथा योजनाएं बनाना तथा प्रोन्नत करना.

2. भारत में तथा अन्यत्र भी निम्न आयात का व्यवसाय जारी रखना :

Products & Services

Set up in 1980 with the merger of the erstwhile Film Finance Corporation and Indian Motion Pictures Association (IMPEC), the mandate of the National Film Development Corporation, as laid down by the Government of India in the Memorandum and Articles of Association of NFDC, can be broadly divided into developmental and commercial/ business. The same would guide the strategy of NFDC with regard to its activities in the forthcoming five years and on a long-term basis.

The main objects of NFDC, as laid down in the Memorandum & Articles of Association, are reproduced below -

1. To plan, promote, and organize an integrated and efficient development of the film industry in accordance with the national economic policy and objectives laid down by the Central Government from time to time.

2. To carry on in India and elsewhere the business of import of:

क) सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स (एक्सपोस्ड), फीचर फिल्में, लघु फिल्में, शिक्षात्मक फिल्में, विज्ञान संबंधी फिल्में तथा टेलीविजन फिल्में.

ख) प्रोजेक्शन, स्टूडियो, लेबोरेटरी तथा अन्य सिनेमेटोग्राफिक साजसामान, कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स

ग) रॉ फिल्म्स, सेंसिटाइज्ड सिनेमेटोग्राफिक मटीरियल्स, फिल्म प्लेट्स, पेपर, रिकॉर्ड्स, रोल्स अथवा सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफिक, म्यूजिकल, साउंड अथवा विजन प्रोडक्शन अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये अन्य सामान.

3) क) फीचर, शॉर्ट, शिक्षात्मक, विज्ञान संबंधी तथा टेलीविजन फिल्मों का निर्यात करना.

ख) भारतीय फिल्मों को विदेशों में सभी आवश्यक तथा समयोचित तरीकों से प्रोत्साहित करना, उनकी हिफाजत करना, देखरेख करना, मार्केटिंग तथा प्रदर्शित करना.

ग) रॉ फिल्म्स, फिल्म प्लेट्स, पेपर्स, रिकॉर्ड्स, रोल्स अथवा सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफिक, म्यूजिकल, साउंड अथवा विजन प्रोडक्शन अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये अन्य सामान का निर्यात करना.

4. भारत में तथा अन्यत्र भी फिल्मों के वितरण का व्यवसाय जारी रखना फिर चाहे वे भारत में बनी हों अथवा विदेशों से आयातित हों.

5. फिल्मों का सीधे ही अथवा दूसरी एजेंसियों के जरिये प्रदर्शन.

6. भारत तथा विदेशों में सिनेमाघर अथवा फिल्म प्रदर्शन योग्य स्थलों को किराये अथवा लीज पर लेना.

7. फिल्म प्रदर्शन के लिये सिनेमाघरों का निर्माण अथवा उनकी मरम्मत का काम हाथ में लेना तथा ऐसे सिनेमाघरों के निर्माण में सहायता पहुंचाना.

8. विदेशी फिल्म महोत्सव में भाग लेने अथवा फिल्में खरीदने, बेचने के लिये प्रतिनिधिमंडल भेजना तथा विदेशों में सिनेमाघरों अथवा गैर सिनेमाघर क्षेत्र में प्रदर्शन के लिये भारतीय फिल्में उपलब्ध कराना.

9. अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शन के लिये कुछ चुनी हुई भारतीय फिल्मों की डबिंग अथवा सबटाइटलिंग कराना.

10. भारतीय सिनेमा की छवि प्रस्तुत करने के लिये भारत तथा विदेशों में फिल्म प्रतिपादन का उपयोग तथा आयोजन करना.

11. फिल्म निर्माण में उच्च गुणवत्ता हासिल करने के लिये किसी भी योजना को सहायता या वित्त पोषण प्रदान करना फिर चाहे उसका संचालन कोई वैधानिक संस्था कर रही हो या निजी कंपनी, फर्म अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके पास फिल्म निर्माण का यह काम तथा व्यवसाय कर सकने के लिये पूंजी, साख, साधन तथा स्रोत हैं और जो फिल्म निर्माण में आधुनिकता का समावेश एवं तकनीकी स्रोतों को एक स्थान पर एकत्रित करके फिल्म निर्माण के उच्चतम मानक स्थापित कर सकते हैं.

वर्तमान समय में निगम द्वारा निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है :-

i. फिल्म व्यापार के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण
ii. फीचर फिल्मों तथा गैरफीचर फिल्मों का निर्माण.
iii. एन एफ डी सी की पूरी फिल्मसूची का भारत तथा विदेशों में मुद्रिकरण (मोनिटाइजेशन).
iv. भारतीय सिनेमा का भारत तथा विदेशों में उन्नयन तथा इसके साथ ही दक्षिण एशियाई सिनेमा के लिये मुख्य विश्वस्तरीय मंच फिल्म बाजार की स्थापना तथा आयोजन.
v. छोटे आर्टहाऊस सिनेमाघरों की स्थापना.
vi. मिडिया प्रोडक्शन का कार्यान्वयन तथा सरकारी विभागों की जरूरतों का प्रचार प्रसार.
vii. फिल्मों की सबटाइटलिंग सहित तकनीकी सुविधाएं.

शक्ति, कमजोरियों, अवसरों एवं आशंकाओं का विश्लेषण

एन एफ डी सी ने अब तक 300 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है या उनके लिये फंड उपलब्ध किये हैं. विविध भारतीय भाषाओं में बनाई गई इन फिल्मों की विश्व भर में सराहना हुई है और इन्हें अनेक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. फिल्म विकास संस्था के रूप में एन एफ डी सी की भूमिका को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती. इसके पास फिल्मों की पटकथाएं चुनने और बेहतरीन गुणवत्ता की फिल्में बनाने का कारगर तरीका मौजूद है. इसे निर्माण की गतिविधियों के साथ जोड़ देने से शक्तिशाली संस्था संगठित हो जाने की

(a) Cinematographic films (exposed), feature films, short films, educational films, scientific films and television films.
(b) Projection, studio, laboratory and other cinematographic equipment, components and spare parts.
(c) Raw films, sensitized cinematographic materials, film plates, papers, records, rolls or other articles for cinematograph, photographic, musical, sound or vision reproduction or other purposes.

3. (a) To export feature, short, educational, scientific and television films.
(b) To support, protect, maintain, increase and promote the marketing and exhibition abroad of Indian films by such methods as may be necessary or expedient.
(c) To export raw films, film plates, papers, records, rolls or other articles for cinematographic, photographic, musical, sound or vision reproduction or other purposes.

4. To carry on in India or elsewhere the business of distribution of films whether made in India or imported from abroad.

5. To exhibit film either directly or through other agencies.

6. To hire and lease cinema houses and places of exhibition of films in India and abroad.

7. To undertake construction and maintenance of film theatres for the exhibition of films and to assist the construction of such theatres.

8. To send films and delegations abroad for participation in Foreign Film Festivals or for buying and selling films and making available Indian films for theatrical and non theatrical exhibition abroad.

9. To get selected Indian films dubbed or subtitled for all India release.

10. To utilize and organize film expositions in India and abroad for projecting the image of Indian cinema.

11. To aid, assist and finance any project, undertaking or enterprise whether owned or run by a statutory body, private company, firm or individuals with capital, credit, means and resources for the prosecution of its work and business connected with the production of films and for bringing about greater modernization and pooling of technical resources for achieving higher standards of production.

The key services being offered by the Corporation presently include –

i. Training in various realms of the film business
ii. Production of feature films and non-feature films
iii. Monetization of existing catalogue of NFDC in India and abroad
iv. Promotion of Indian cinema in India and abroad, including setting up and organization of Film Bazaar, the key global platform for South Asian cinema.
v. Setting up of small art house theaters.
vi. Execution of media production and dissemination requirements of government departments.
vii. Technical facilities, including sub-titling of films

SWOT Analysis

The NFDC has so far funded/produced over 300 feature films. These films, in various Indian languages, have been widely acclaimed and have won many national and international awards. As a film development organization the role of NFDC is unchallenged. It has a streamlined procedure for screening scripts & production of good quality films. This combined with its production activities has the potential of creating

क्षमता पैदा हो जाती है. एन एफ डी सी की विश्वस्तरीय उपस्थिति तथा विस्तृत अंतरराष्ट्रीय संपर्क उसकी शक्ति हैं.

पिछले कुछ वर्षों में जो कमजोरियां उभर कर सामने आई हैं उनमें प्रभावपूर्ण मार्केटिंग तथा प्रदर्शन व्यवस्था के लिये वितरण के नेटवर्क का अभाव, कॉर्पोरेशन के भीतर पर्याप्त कौशल की कमी तथा फिल्म क्षेत्र के सभी पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना शामिल हैं.

एन एफ डी सी के जनादेश तथा भारतीय मनोरंजन क्षेत्र में देश में अच्छे सिनेमा के विकास की एकमात्र एजेंसी होने की अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण कॉर्पोरेशन आने वाले वर्षों में भारतीय सिनेमा की दिशा निर्धारित कर सकने की स्थिति में है. इसका श्रेय इसकी उस कार्यकुशलता को है जो इसने 1970-1980 में तब प्रदर्शित की जब इसके ऊपर देश में आर्ट हाउस सिनेमा आंदोलन की नई लहर चलाने की जिम्मेदारी थी. इस आंदोलन ने न सिर्फ फिल्म खंड के विकास को प्रभावित किया अपितु दर्शकों की रुचि सुनिश्चित करने का अति महत्त्वपूर्ण दायित्व भी निभाया. इसी प्रकार इसके वर्तमान नये कदम फिल्म बाजार ने भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पुन: स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई. यह इसी का सुपरिणाम है कि 2012 में महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों जैसे कान, टोरांटो, बर्लिन और वेनिस तक में भारतीय फिल्मों की उपस्थिति बढ़ी. इस प्रकार फिल्म क्षेत्र में विकासप्रधान संस्था के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ करने की संभावनाएं अतिशय तथा विशिष्ट हैं.

बाजार के वर्तमान वातावरण के अनुसार जो मुख्यधारा की व्यावसायिक फिल्मों के वितरण की ओर ज्यादा झुका रहता है, वितरण व्यवस्था में बड़े बजट की फिल्मों में निर्माण, वितरण तथा मार्केटिंग के समय अथाह पैसा लगा देने की प्रवृत्ति के कारण छोटे बजट वाली क्वालिटी फिल्मों के हाशिये पर आ जाने में वृद्धि हुई है जो उस तरह की फिल्मों के लिये बड़ा खतरा है जिनका उन्नयन एन एफ डी सी करता है. इसके वैकल्पिक नयी धारा की फिल्मों के दर्शकों के विकास का अभाव एन एफ डी सी के लिये इस तरह की फिल्मों के वितरण के काम को कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्व बना देता है.

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां तथा उनकी उपयुक्तता

कंपनी ने अपने सुचारु तथा सुयोग्य कार्यसंचालन के लिये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक भाग के रूप में अनेक नीतियां तथा कार्यप्रणालिया सुनिस्चित की हैं. इनमें प्रबंधन की नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी तथा गलतियों का पता लगाना तथा उनकी रोकथाम, खातों के अभिलेखों की परिशुद्धता और उन्हें पूरा किये रखना एवं विश्वसनीय आर्थिक सूचनाएं तैयार रखना शामिल है.

आंतरिक नियंत्रण को लेखा परीक्षकों की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है. नियुक्त की गई फर्म समय समय पर निगम के सभी कार्यालयों तथा कॉर्पोरेट ऑफिस में लेखा परीक्षण करती है. इसके अलावा, निगम स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से अपनी बुनियादी विकासात्मक तथा व्यापारिक गतिविधियों का समवर्ती लेखापरीक्षण भी करवाता है. आंतरिक्त लेखा परीक्षण की रिपोर्ट्स की हर तिमाही ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की जाती है. आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट्स की समीक्षा भारत सरकार के वित्त तथा महालेखाकार द्वारा नियुक्त, कंपनी के संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा भी की जाती है.

an organization of formidable strength. NFDC also has a substantial international presence and widespread global contacts.

Over the years, weaknesses have included the absence of a distribution network for effective marketing and exhibition, lack of adequate skill sets within the corporation, and inadequate attention to all facets of development in the film sector.

Given NFDC's mandate and its unique positioning in the Indian entertainment sector as the sole agency at a national level for development of good cinema in the country, the corporation is in the unique position of determining the direction of cinema in the years to come. This is borne out by its performance in the 1970s and 1980s when the corporation was responsible for driving the new wave art house cinema movement of the country that not only impacted the growth of the film sector, but played am immense role in determining audience tastes. Likewise, its current initiative of Film Bazaar has played a central role in he renewed positioning of Indian cinema in international markets, evident from the enhanced visibility of Indian films in premier film festivals such as Cannes, Toronto, Berlin and Venice in the year 2012. Thus the opportunities for leveraging it's positioning as a development body in the film sector are tremendous and unique.

Given the current market environment that veers towards distribution of mainstream commercial films, the increasing marginalization of small budget quality film in the distribution network due to influx of money into big-budget films at production, distribution and marketing levels is a real threat to the kind of cinemas promoted by NFDC. Further, lack of development of audiences for alternative kinds of cinema makes distribution of such films an even bigger challenge for NFDC.

Internal Control Systems and Their Adequacy

The company has formulated various policies and procedures, as a part of Internal Control Systems, for orderly and efficient conduct of its business, including adherence to management policies, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of accounting records and timely preparation of reliable financial information.

Internal control is being ensured through Internal audit by an independent firm of Chartered Accountants. The nominated firm conducts periodical Internal audits of all its regional offices and corporate office. Additionally, the Corporation also commissions concurrent audits of its primary development and business activities through independent auditors. Internal Audit Reports are being reviewed by the Audit Committee on quarterly basis. Internal audit reports are also being reviewed by Statutory Auditors of the company appointed by the Comptroller and Auditor General of India.

भविष्य में संभावनाएं

एफ आई सी सी आई - के पी एम जी की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार अगले पांच वर्षों में फिल्म खंड के प्रक्षेप इस प्रकार है :-

Future Outlook

As per the FICCI-KPMG report for 2011, projections of the film sector in the next five years are as under:

कुल उद्योग आकार Overall Industry Size

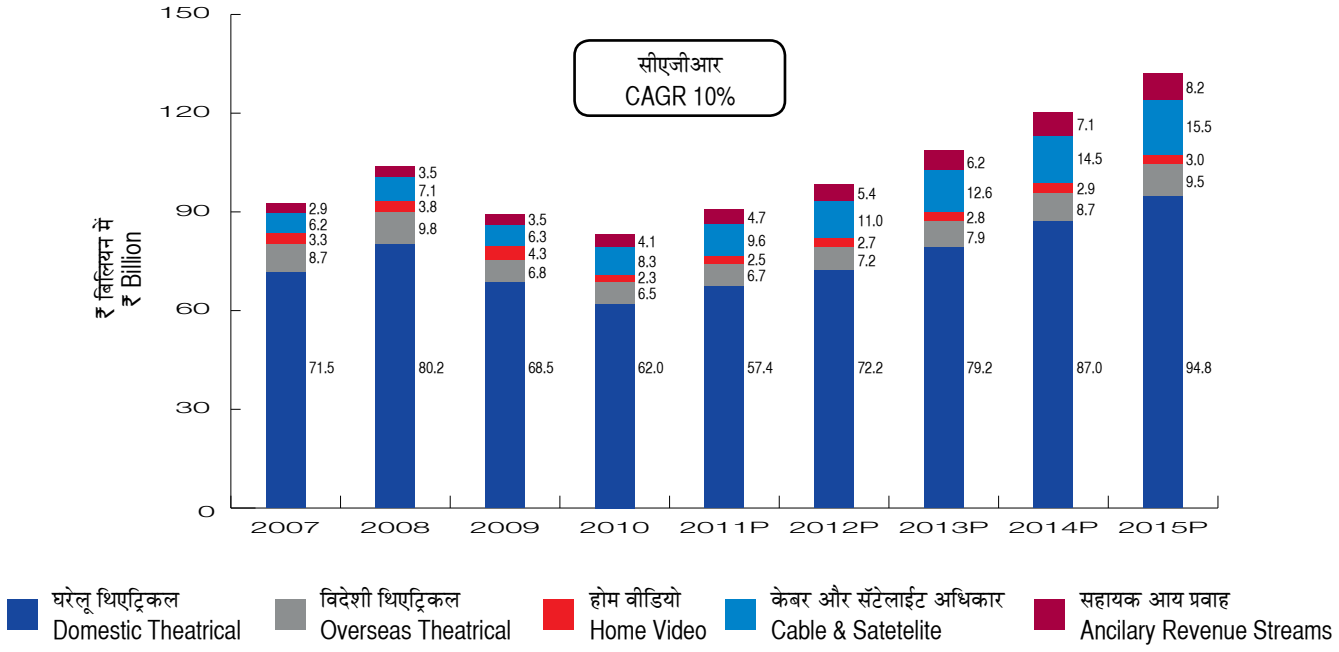

स्रोत :- केपीएमजी विश्लेषण और उद्योग इंटर व्हूज

Sources: KPMG analysis and industry interviews

एन एफ डी सी की भूमिका

भारत में इंडस्ट्री का संतुलित विकास तभी संभव है जब विकास में शामिल लक्ष्य लंबे समय तक टिक पाने योग्य हों. इसी के अनुरुप, एन एफ डी सी के मुख्य लक्ष्य, इंडस्ट्री के विकास में सहायक होना, को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिये. अत: एन एफ डी सी अगले पांच वर्षों की अपनी योजना में निम्न गतिविधियों को शामिल करने की अनुशंसा करता है :

i. संविधान में परिवर्तन तथा नीतियों में हस्ताक्षेप

- सरकार तथा निजी निर्माताओं के मध्य व्यवहार के लिये केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) के तौर पर कार्य करना तथा उनके हितों / प्रतिवेदनो का प्रतिनिधित्व करना. पुराने समय में मंत्रालय कराधान अधिनियमों सहित फिल्म क्षेत्र से संबंध रखने वाले हर मामले में एन एफ डी सी से टिप्पणियां मंगा करता था.
- रिसर्च एंड डेवलेपमेंट डिवीजन की स्थापना करना (जैसा कि आई आई पी ए की सिफारिशों में कहा गया है) जहाँ फिल्म व्यवसाय से संबंधित सभी पहलुओं पर रिसर्च तथा डाटा एकत्र करने का काम किया जाय. यह इस तथ्य की दृष्टि से भी अत्यावश्यक है कि ऐसी कोई अकेली एजेंसी अथवा डेटाबेस है ही नहीं जो भारतीय भाषाओं सहित अखिल भारतीय सिनेमा पर जानकारी जुटाती हो क्योंकि भारतीय फिल्म उद्योग का स्वरूप ही बिखरा हुआ है.

ii. अच्छे सिनेमा का विकास जिसमें बच्चों के लिये भी स्वस्थ मनोरंजन हो.

विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण तथा मुख्य सचिवालय की विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्म निर्माण तथा सहनिर्माण प्लान स्कीम लागू करके नयी प्रतिभाओं का विकास.

Role of NFDC

A balanced growth of the film industry in India is only possible if the growth aimed at is inclusive and sustainable in the long run. Accordingly, given the main object of facilitating the growth of the industry, the developmental role of NFDC must keep in mind this goal of achieving inclusive and sustainable growth. NFDC therefore proposes to include the following activities in its plans for the next five years:

i. Changes in Legislation and policy intervention

- Act as the nodal agency to deal with private producers and represent their interests/ representations vis-a-vis the government. In the past, the Ministry used to seek the comments of NFDC on all policy matters pertaining to the film sector, including tax legislation.
- Set up an R&D Division (as recommended by the IIPA) where research and data collection of various aspects of the film business are carried out. This is particularly imperative in view of the fact that there is no single agency or database that caters to all of Indian cinema, across all languages, given the fragmented nature of the Indian film industry.

ii. Promotion of good cinema including providing wholesome entertainment to children

Production of films in various Indian languages and promotion of new talent through implementation of the Plan Scheme of the Main Secretariat for Production and Co-Production of Feature Films in Various Indian Languages.

iii. फिल्म प्रदर्शन नेटवर्क की स्थापना तथा अनुरक्षण देखभाल

फिल्म निर्माण में सक्रिय अन्य देशों के विपरीत, जहाँ बुद्धिजीवियों द्वारा सराही गई फिल्मों के प्रदर्शन के लिये विशेष थियेटरों की व्यवस्था है, भारत में ऐसी कोई सुविधा नहीं है. एन एफ डी सी का प्रस्ताव अगले पांच वर्ष में इस कमी को दूर कर सकने का है.

iv. देश में डॉक्यूमेंटरी फिल्म आंदोलन को बढ़ावा देना जिससे हमारे यहाँ बनने वाली डॉक्यूमेंटरी फिल्मों की संख्या तथा गुणवत्ता, दोनों में सुधार हो सके.

डॉक्यूमेंटरी सिनेमा के क्षेत्र में एक संकटपूर्ण भाग इन फिल्मों की मार्केटिंग तथा देश विदेश में इनके उन्नयय के लिये सुगठित संस्थागत तरीके का अभाव है. यह फीचर फिल्मों की व्यवस्था के सर्वथा विपरीत है जहां डॉक्यूमेंटरीज के मुकाबले देश और विदेश, दोनों जगहों का पर्याप्त ध्यान आकर्षित होता है. इन फिल्मों के निर्माण के लिये केवल फिल्म्स डिवीजन धन उपलब्ध कराता है. मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (एम आई एफ एफ) जिसका आयोजन दो साल में एक बार किया जाता है, अब तक दुनिया भर की श्रेष्ठ फिल्मों के प्रदर्शन तक सीमित रहा है. इसने डॉक्यूमेटंरी फिल्मों के लिये व्यापारिक मंच मुहैया नहीं कराया है. इसके द्विवार्षिक होने की वजह से फिल्म बिरादरी ने भी इसे फिल्म समारोह के साथ साथ व्यापार के अवसर के रूप में नही लिया है. इसी तरह पब्लिक सर्विस ब्रॉकास्टिंग ट्रस्ट (पी एस बी टी) सिर्फ लघु फिल्मों तथा डॉक्यूमेंटरीज के निर्माण के लिये धन देती है लेकिन उनके उन्नयन और मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं करती.

ऐसे परिदृश्य में डॉक्यूमेंटरी फिल्म निर्माण क्षेत्र में एक बड़ा स्थान रिक्त है. अगर भारतीय डॉक्यूमेंटरी फिल्म निर्माण को विश्व में अपना कोई स्थान बनाना है तो इस शून्य को शीघ्र भरना होगा. वर्तमान समय में भारत में यह एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यावसायिक दृष्टि से नहीं चलाया जाता बल्कि पूरी तरह सरकारी पूंजी पर आश्रित है. जो फिल्में बनाई या बनवाई जाती हैं उनमें से ज्यादातर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार या उन्नयन के लिये होती हैं. व्यावसायिक उद्यमियों को इस ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है और ऐसा इन फिल्मों की मार्केटिंग तथा प्रदर्शन के अवसरों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है.

इस प्रकार, उन अन्य फिल्म निर्माता देशों की तुलना में जहां फिल्म निर्माण की गतिविधियां बड़े स्तर पर चलती हैं, भारत में -

i. वृत्तचित्र तथा लघु फिल्मों के लिये मार्केट अथवा निधि सरकारी निधि के अलावा लगभग नहीं है.
ii. इन फिल्मों के प्रदर्शन के लिये कोई साधन नहीं है.
iii. भारतीय डॉक्यूमेंटरी में क्षेत्र के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई जाग्रीत नही है.
iv. निर्माण तथा सेल्स के क्षेत्र में भारतीय फिल्मों की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी नाममात्र की ही है.

इस पृष्ठभूमि में आगामी पांच वर्षों में डॉक्यूमेंटरी फिल्म क्षेत्र के लिये एन एफ डी सी निम्न नये कदमों को लागू करने वाली एजेंसी होगी -

- भारत में इस दृष्टि से डॉक्यूमेंटरी फिल्म मार्केट की स्थापना (संभवत: दिल्ली में) कि डॉक्यूमेंटरी तथा लघु फिल्मों के सहनिर्माण तथा बिक्री को एक मंच मिल सके.
- लघु फिक्शन फिल्में बनाने का अवसर प्रदान करके नयी प्रतिभाओं की खोज जिनका इस क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास के लिये उन्नयन किया जा सके.
- असाधारण मामलों में फीचर लैंथ नॉन फिक्शनल फिल्में बनाने का अवसर प्रदान करना.

v. डिजिटलाइजेशन तथा अन्य सहायक तरीकों से देश की फिल्म घरोहर का संरक्षण.
vi. फिल्म समारोह, विचार गोष्ठयों, कर्मशाळाओं, प्रदर्शनें के जरिये फिल्म संस्कृति का प्रचार प्रसार.

iii. Establishment and maintenance of exhibition network

Unlike in other active film producing countries that are equipped with specialty theatres that cater to the needs of indian filmmakers and exhibit cinema that is critically acclaimed, there is no such facility in India. NFDC proposed to address this gap in the next five years.

iv. Providing impetus to the documentary film movement in the country so as to enhance the quality and quantity of documentary films being produced in the country.

One of the critical areas in the field of documentary cinema is the absence of a structured institutionalized manner of marketing and promoting documentary films in India and abroad. This is in complete contrast to feature films, which comparatively receive far more attention within and outside the country. Films Division only provides funds for production of films. The Mumbai International Film Festival (MIFF), held biennially, has only catered to exhibition of quality films from across the world up to now and not provided a business platform for these films. Further, the fact that it is a biennial festival has also impeded any opportunities for the film fraternity to use it as a venue for conducting business on the side. Likewise, the Public Service Broadcasting Trust (PSBT) only funds production of short and documentary films, and does not work towards promotion and marketing of films.

In this scenario, there is a huge vacuum in the area of documentary filmmaking that urgently needs to be addressed if documentary filmmaking in India is to make any headway internationally. At present, in India it is a field that is not guided by commercial enterprise, and is almost entirely funded by government funding, with a majority of the films commissioned being publicity and promotional films for various programs of the government. Commercial enterprise needs to be encouraged in this segment and can only be done if marketability and avenues for exhibition of these films improve.

Thus, compared to the other filmmaking countries with a high level of film production activity, in India -

i. There is almost no market or funding for documentary and short films, beyond government funds.
ii. No avenues for exhibition of these films.
iii. Virtually nil awareness internationally of the documentary sector of India.
iv. International partnerships in production and sales of Indian films are extremely rare.

In this background, NFDC will be the implementing agency for the following initiatives in the documentary film sector in the coming five years -

- Set up a Documentary film market in India (probably in Delhi) with a view to providing a platform for co-production and sales of documentary and short films.
- Identification of new talent through commissioning short fiction. films with a view to promoting long term growth in this sector.
- Commissioning feature length non-fiction films in exceptional cases.

v. Preservation of the country's film heritage through digitalization and processes incidental and ancillary thereto.

vi. Dissemination of film culture through film festivals, seminars, workshops, screenings etc.

- एन एफ डी सी द्वारा भाषणमालाओं, प्रस्तुतिकरणों, पेनल डिस्कशंस आदि के जरिये फिल्म निर्माण, विकास तथा वितरण के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान शृंखला का आयोजन करना. इस समय यह केवल फिल्म बाजार तक सीमित है लेकिन आगामी वर्षों में यह कोशिश की जाएगी कि इसे पूरे साल चलने वाली गतिविधि बना दिया जाय और इसे देश के विविध भागों में चलाया जाय.
- यदि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, आइआइपीए की वे सिफारिशे स्वीकार कर लेता है जो मंत्रालय द्वारा अधिकृत अध्ययन में प्रस्तुत की गईं हैं तो फिल्म समारोहों के आयोजनों में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह.

vii. कथ्य का वैबकास्टिंग के जरिये मनिटाइजेशन, निजी भागीदारों के साथ करार आदि.

व्यू इंटरनेट मॉडल सिनेमाजऑफइंडिया.कॉम की तैयारियां चल रही हैं. दीर्घकाल में यह फीचर तथा नॉनफीचर दोनों तरह की फिल्मों के काम आएगा. स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मे भी इस मंच पर उपलब्ध होंगी.

viii. एन एफ डी सी का प्रस्ताव फिल्मकारों के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आयोजित करने का है जिनमें इसके वर्तमान इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ पटकथा विकास, निर्माण व्यवस्थापन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग तथा वितरण को भी शामिल किया जाय. प्रशिक्षण की यह नवीन व्यवस्था अक्तूबर-नवंबर 2012 तक लॉन्च कर दी जाएगी.

ix. फिल्मों का निर्यात बढ़ाना तथा इस भारत के सॉफ्टपावर निर्यात को बल प्रदान करना इसे करन के तरीके इस प्रकार होंगे :-

- फिल्म बाजार के आयोजन.
- भारत तथा विदेशों के फिल्म मार्केट्स में भारतीय सिनेमा की मार्केटिंग तथा उन्नयन संबंधी सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के मेन सेक्रेटेरियेट प्लान स्कीम को लागू करके विदेशों में भारतीय फिल्मों की मार्केटिंग तथा प्रमोशन.
- नॉन फीचर, लघु तथा डॉक्यूमेंटरी फिल्मों के लिये विदेशी डॉक्यूमेंटरी फिल्म बाजारों की तर्ज पर 2013 से एक डॉक्यूमेंटरी मार्केट स्थापित किया जायेगा, जो कि फिल्म बाजार तथा भारत के डॉक्यूमेंटरी क्षेत्र के उन्नयन के लिये होगा.

x. भारत का फिल्म शूटिंग्स के लिये उपयुक्त स्थल के रूप में उन्नयन तथा इससे पर्यटन विकास एवं फिल्म इंडस्ट्री को प्रतिस्पर्धात्मक और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने में बल प्रदान करना.

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

पूर्ववर्ती संचित होते चले आए रु. 2899 लाख के घाटे के कारण कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कोई खर्च नहीं कर रही है. पब्लिक एंटरप्राइजेस विभाग ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम नं. 1(143)/2011) दिनांक 22 फरवरी 2011 डीपीई (एमओयू) में एक समझौते का कार्यवृत्त भेजते हुए इसके पूर्ववर्ती संचित ऋणों को ध्यान में रख कर एन एफ डी सी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यक्षमता लक्ष्यों के उत्तरदायित्वों, बने रहने के लिए विकास तथा अनुसंधान एवं विकास से मुक्त रखा है.

- NFDC Knowledge series – series of lectures, presentations, panel discussions on various aspects of film production, development and distribution organized by NFDC. At the moment this is confined only to Film Bazaar but it is intended in the coming years to make this a year-round initiative and to conduct it in various parts of India.
- Play a greater role in the organization of film festivals in case the Ministry of Information & Broadcasting accepts the recommendations of the IIPA made in the study commissioned by the Ministry.

vii. Monetization of content through webcasting, entering into agreements with private partners etc.

Cinemasofindia.com – a pay per view Internet model - is already under preparation. This will in the long run cater to both feature and non-feature films. Films produced by independent filmmakers will also be available on this platform.

viii. NFDC proposes to organize international level training workshops for film professionals, including in the spheres of script development, production management, and international marketing and distribution, in addition to its existing in-house training programs. This training initiative will be launched in October-November 2012.

ix. Increasing film exports and leveraging it to export India's soft power

This is intended to be done through –

- Organization of Film Bazaar
- Marketing and promotion of Indian films abroad by implementing the Main Secretariat Plan scheme of the Ministry of I&B for "Promotion and marketing of Indian cinema in Film Markets in India and Abroad.
- A documentary market for non-feature, short, and documentary films will be set up with effect from 2013, along the lines of Film Bazaar and promotion of Documentary sector of India in Documentary film markets abroad.

x. Promoting India as a film shooting destination and leveraging it to increase tourism and making the film industry competitive and technologically modern.

Corporate Social Responsibility

Due to accumulated and carried forward losses of Rs. 2899 lakhs as on March 31, 2012, the company is not incurring any expenditure on Corporate Social Responsibility. The Department of Public Enterprises, vide their Office Memorandum no. 1(143)/2011-DPE(MOU) dated 22ND FEB 2011 forwarding minutes of MoU negotiations, exempted NFDC from undertaking any performance targets relating to Corporate Social Responsibility, sustainable development, and Research and Development, in view of its accumulated losses.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोट

भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के रुप में एन एफ डी सी, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी पी आई) भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मौजूदा मार्गदर्शन का अनुसरण करता है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का संक्षिप्त रूप नीचे दिया जा रहा है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के समर्थन में सहायक वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र भी इसके साथ संलग्न किया गया है.

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड पर कंपनी की विचारधारा :

एन एफ डी सी अपने सभी स्टेक होल्डर्स के हित में अपनी उपयुक्त पारदर्शी प्रणाली तथा सुरक्षा प्रयासों, प्रोत्साहन एवं उनकी रूचियों के संरक्षण के लिये सहायता प्रदान करने को वचनबद्ध है.

एनएफडीसी देश तथा विदेश में अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिये एक प्रतियोगिता स्वरूप में ग्राहकों के अनुकूल एवं विकासशील संगठनों के लिये सकारात्मक गतिविधियों के प्रति वचनबद्ध है. यह अपने सभी ग्राहकों को पारदर्शी बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिये भी ग्राहकों के अनुसार सेवा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है.

2. निदेशक मंडल :

क. निदेशक मंडल की संरचना :

एन एफ डी सी के निदेशक मंडल में सात सदस्य हैं जिनमें से दो कार्यकारी निदेशक तथा पांच अन्य निदेशक हैं. इनमें से दो भारत सरकार द्वारा नामित और तीन गैर सरकारी निदेशक हैं. इस तरह के निदेशकों से बोर्ड को विविध श्रेणियों का अनुभव, ज्ञान और कौशल उपलब्ध होता है.

31 मार्च 2012 को बोर्ड की संरचना इस प्रकार है :

कार्यकारी निदेशक

नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक
साहब नारायण	निदेशक (वित्त)

गैर कार्यकारी निदेशक

डी पी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक
दीपाली खन्ना	सरकार द्वारा नामित निदेशक
रमेश सिप्पी (16-01-2012 से)	अध्यक्ष तथा गैर सरकारी निदेशक
ए. के. बीर (16-01-2012 से)	गैर सरकारी निदेशक
जवाहरलाल वट्टल (16-01-2012 से)	गैर सरकारी निदेशक

ख. निदेशक मंडल एवं समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान:

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण :

(i) वित्तीय वर्ष 2011-12 को बोर्ड की पांच बैठकें 21.06.2011, 21.09.2011, 23.12.2011, 4.02.2012 और 31.03.2012 को हुई.

कंपनी के भीतर की सभी सम्बन्धित सूचनाओं पर बोर्ड की सीधी पहुंच रहती है जिससे निदेशक मंडल तथा समितियों के लिये सूचनाप्रद तथा प्रभावशाली निर्णय ले पाना संभव होता है.

(ii) वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति वाली बोर्ड की बैठकों की संख्या, पिछली वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशकों की भागीदारी (पब्लिक लिमिटेड कंपनियां में), अन्य सदस्य/समिति की सदस्यता आदि का विवरण इस प्रकार है :

Report on Corporate Governance

As a Public Sector Enterprise of Government of India, NFDC follows the extant Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

A Brief report on Corporate Governance is given below. The Certificate of Statutory Auditors in support of compliance with the provisions of Corporate Governance is also enclosed herewith.

1. Company's Philosophy On Code Of Corporate Governance.

NFDC is committed to good Corporate Governances, supported by appropriate transparent systems and practices, to protect, promote, and safeguard the interest of all its stakeholders.

NFDC is committed to act as a competitive, client-friendly and development-oriented organization for promotion of good cinema in the country and abroad. It is also committed to providing client friendly best services to all its customers in a transparent manner.

2. Board of Directors

a. COMPOSITION OF BOARD

The Board of Directors of NFDC comprised of seven Members out of which two are Functional Directors and five are Directors, of whom two are the nominees of the Government of India and three are Non-official Directors. The Directors bring to the Board a wide range of experience, knowledge, and skills.

The composition of the Board as on 31st March 2012 is as follows

Functional Directors

Nina Lath Gupta	Managing Director
Sahab Narain	Director (Finance)

Non Executive Directors

D P Reddy	Government Nominee Director
Dipali Khanna	Government Nominee Director
Ramesh Sippy (w.e.f.16/01/2012)	Chairman and Non-official Director
A.K.Bir (w.e.f.16/01/2012)	Non-official Director
Jawahar Lal Wattal (w.e.f.16/01/2012)	Non-official Director

b. Other provisions regarding Board and Committees

(i) Details of Board Meetings held during the Financial Year 2011-12

During the Financial Year 2011-12, five Board Meetings were held on 21/6/2011, 21/9/2011, 23/12/2011, 4/2/2012 and 31/3/ 2012.

The Board has complete access to all the relevant information within the Company enabling Board of Directors and Committees thereof to take informed and efficient decisions.

(ii) Details of Number of Board Meetings attended by Directors, attendance at last AGM, number of other Directorship (in Public Limited Companies) / Committee Memberships held by directors during the year 2011-12 are tabled below

क्र. सं.	निदेशक का नाम	मंडल की बैठके		विगत ए.जी.एम. में उपस्थिति (24.09.2011 को आयोजित)	31.03.2012 के अनुसार अन्य निदेशकों की संख्या	31.03.2012 के अनुसार अन्य समिति सदस्यों की संख्या	
		उक्त अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति			अध्यक्ष के रुप में	सदस्य के रुप में
1.	रमेश सिप्पी - अध्यक्ष	2	2	लागू नहीं	कोई नहीं	3	कोई नहीं
2.	नीना लाठ गुप्ता - प्रबंध निदेशक	5	4	हां	कोई नहीं	कोई नहीं	6
3.	साहब नारायण - निदेशक (वित्त)	5	5	हां	कोई नहीं	कोई नहीं	2
4.	दीपाली खन्ना - सरकारी नामित निदेशक	5	2	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1
5.	डी.पी. रेड्डी - सरकारी नामित निदेशक	5	5	हां	कोई नहीं	कोई नहीं	2
6.	जानू बरुआ - स्वतंत्र निदेशक	1	1	लागू नहीं	1	कोई नहीं	1
7.	केतन मेहता - स्वतंत्र निदेशक	1	1	लागू नहीं	4	कोई नहीं	1
8.	ए.के. बीर - स्वतंत्र निदेशक	2	2	लागू नुहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	2
9.	जवाहर लाल वट्टल - स्वतंत्र निदेशक	2	0	लागू नहीं	1	कोई नहीं	2

Sr. No.	Name of Director	Board Meeting		Attendance at Last AGM (held on 24/09/2011)	No. of other Directorships as on 31/3/2012	No. of other Committee Memberships as on 31/3/2012	
		Held during the tenure	Attended			As Chairman	As Member
1	Ramesh Sippy – Chairman	2	2	NA	Nil	3	Nil
2	Nina Lath Gupta – Managing Director	5	4	Yes	Nil	Nil	6
3	Sahab Narain – Director (Finance)	5	5	Yes	Nil	Nil	2
4	Dipali Khanna, – Government Nominee Director	5	2	NA	Nil	Nil	1
5	D P Reddy, – Government Nominee Director	5	5	Yes	Nil	Nil	2
6	Jahnu Barua – Independent Director	1	1	NA	1	Nil	1
7	Ketan Mehta, – Independent Director	1	1	NA	4	Nil	1
8	A.K.Bir – Independent Director	2	2	NA	Nil	Nil	2
9	Jawahar Lal Wattal – Independent Director	2	0	NA	1	Nil	2

(iii) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से ज्यादा समितियों का सदस्य नहीं है.

(iv) नये निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी :-

श्री रमेश सिप्पी को 16 जनवरी 2012 से गैर सरकारी निदेशक तथा अध्यक्ष नियुक्त किया गया. वे भारतीय फिल्म निर्माता तथा निर्देशक है. उनकी बनाई फिल्म शोले बहुत लोकप्रिय हुई थी तथा उसे विशेष सराहना भी मिली. उन्होंने और भी बहुत सी फिल्मों का निर्माण तथा निर्देशन किया है जिनमें सीता और गीता, शक्ति तथा बेहद लोकप्रिय हुए टेलीविजन सीरियल बुनियाद का नाम विशेष रुप से लिया जा सकता है.

श्री जवाहर लाल वट्टल को 16 जनवरी 2012 से गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया. वे नामी भारतीय निर्माता, निर्देशक तथा संगीतकार हैं. भारत के पॉप संगीत क्षेत्र में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है. संगीत जगत में दिल्ली का नाम वट्टल जी के संगीत से बहुत ऊंचा हुआ है. वे अपने श्रेष्ठतम संगीत के लिये अनेक बार पुरस्कृत किये जा चुके हैं तथा भारत सरकारने इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया है.

श्री ए.के. बीर 16 जनवरी 2012 से गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किये गये. सन 1948 में उड़ीसा में जन्मे श्री बीर ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा प्राप्त किया. अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने विज्ञापन तथा डॉक्यूमेंटरी फिल्मे बनाने से की. इनमें से कुछ फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए, आदि मीमांसा, लावण्य, प्रीति और अरण्यकम जैसी फिल्मों से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों ही प्राप्त हुए.

(iii) None of the Directors on the board is a member of more than 10 Committees.

(iv) Brief Profile of new Directors

Shri Ramesh Sippy was appointed as Chairman and non-official Director with effect from 16th January 2012. He is an Indian film Director and Producer best known for the popular and critically acclaimed film SHOLAY (Flames). He has also directed several other acclaimed films, including Seeta Aur Geeta, Shakti and the hugely popular Television Serial Buniyaad.

Shri Jawahar Lal Wattal was appointed as Non-official Director with effect from 16th January 2012. He is one of India's top music composers, director and producer. He is well known in the Indian Pop Scene and is credited with putting Delhi on the map of the Indian music. He has won various awards for being the Best Music Composer, etc., and was conferred the Padma Shree in the year.

Shri A.K.Bir was appointed as Non-official Director with effect from 16th January 2012. Born in 1948 in Orissa, Shri A.K.Bir obtained his diploma in Cinematography from the Film and Television Institute of India in Pune. He started his career making advertising and documentary films, some of which have received National awards. With his feature films AADHI MIMANSA, LAVANYA PREETI AND ARANYAKAM he received national awards as well as international recognition.

ड. अचार संहिता

निगम ने मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिये कंपनी के लक्ष्य तथा विकल्पों एवं कंपनी के मामलों में पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया और उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये आचार संहिता नीति बनाई है. इसके अलावा कंपनी ने धोखाधड़ी रोकने के लिये भी नियम बनाये हैं इन दोनों नीतियों को निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई है.

3. निदेशक मंडल की समितियाँ

3.1 निदेशक मंडल ने निम्न समितियों का गठन किया है :-

- लेखा परीक्षण समिति
- कार्मिक उपसमिति
- पारिश्रमिक समिति

3.1.1 लेखा परीक्षण समिति

(i) लेखा परीक्षण समिति की संरचना 31 मार्च 2012 को इस प्रकार थी :

निदेशक का नाम	पद	समिति में स्था
रमेश सिप्पी (16-01-2012 से)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
दीपाली खन्ना	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य
ए.के. बीर (16-01-2012 से)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
जवाहर लाल वट्टल (16-01-2012 से)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षण, और वैधानिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षण समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है. आवश्यकतानुसार वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को भी अपने विचार प्रकट करने के लिये समिति में आमंत्रित किया जाता है.

(ii) लेखा परीक्षण समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार है :-

(अ) कंपनी अधिनियम के सेक्शन 292 ए में दी गई आवश्यकताओं की पूर्ति करना.
(आ) कंपनी के रिकार्ड तथा / अथवा अनऑडिटेड / तिमाही ऑडिट/अर्ध वार्षिक/ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना.

वर्ष 2011-12 के दौरान लेखा परीक्षण समिति की पांच बैठकें 21.06.2011, 21.09.2011, 23.12.11, 4.02.2012 तथा 31.02.2012 को हुईं. 2011-12 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही :

निदेशक का नाम/ पद	समिति में स्थान	उक्त अवधि में की बैठक में उपस्थिति	गई बैठकों की सं.
रमेश सिप्पी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक	सदस्य	5	4
दीपाली खन्ना सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	5	2
केतन मेहता स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1
ए.के. बीर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
जवाहर लाल वट्टल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	0

c. Code of Conduct

The Corporation has prepared a policy on Code of Conduct for the Board members and Senior Management Personnel in alignment with the Company's mission and objectives and aims at enhancing ethical and transparent processes in managing the affairs of the Company. Further, the Corporation has formulated a policy on Fraud Prevention. Both the policies have been approved by the Board of Directors.

3. Committees of the Board of Directors

3.1 The Committees constituted by the Board are as follows:

- Audit Committee
- Personnel Sub Committee
- Remuneration Committee

3.1.1 Audit Committee

(i) The composition of the Audit Committee as on 31st March 2012 is as under:

Name of the Director	Designation	Position in Committee
Ramesh Sippy (w.e.f.16/01/2012)	Independent Director	Chairman
Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
Dipali Khanna	Government Nominee Director	Member
A.K.Bir (w.e.f.16/01/2012)	Independent Director	Member
Jawahar Lal Wattal (w.e.f.16/01/2012)	Independent Director	Member

Director Finance, Internal Auditors and Statutory Auditors are standing invitees in the Audit Committee meetings. Senior functional executives are also invited as and when required to provide inputs to the Committee.

(ii) The terms of reference of the Audit Committee are as under:

(a) to comply with the requirements laid down in Section 292A of the Companies Act:
(b) to take on record and /or to review unaudited/audited quarterly/half-yearly/annual financial statements of the Company-

During the year 2011-12, five meetings of the Audit Committee were held on 21.06.2011, 21.09.2011, 23.12.2011, 04/02/2012 and 31.03.2012. Meetings attended by individual members during the year 2011-12 are detailed below:-

Name of the Director, Designation	Position in the Committee	No. of Meeting held during their tenure	Meeting attended
Ramesh Sippy, Independent Director	Chairman	2	2
Nina Lath Gupta, Managing Director	Member	5	4
Dipali Khanna, Government Nominee Director	Member	5	2
Ketan Mehta, Independent Director	Member	1	1
A.K.Bir Independent Director	Member	2	2
Jawahar Lal Wattal Independent Director	Member	2	0

3.1.2 कार्मिक उपसमिति

निदेशक मंडल की कार्मिक उप समिति की संरचना 31 मार्च 7 2012 को इस प्रकार थी

निदेशक का नाम	पद	समिति में स्थान
रमेश सिप्पी (16.01.2012 से)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
साहब नारायण	निदेशक (वित्त)	सदस्य
डी.पी. रेड्डी	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य
जवाहर लाल वट्टल (16.01.2012 से)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

कार्मिक उपसमिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं :

कनिष्ठ अधिकारी से उपमहाप्रन्ध्क स्तर तक के पदोन्नति अधिकारियों को एवं तथा जनकल्याण मामले तथा एवं कर्मचारियों से संबंधित अन्य नियमन

प्रतिगत मामलों पर पदासीन अधिकारियों की पदोन्नति /निर्धारण पर विचार करना.

वर्ष 2011-12 के दौरान 21.09.11 तथा 4.2.12को दो कार्मिक उपसमित की बैठके आजोजित की गई बैठक मे निम्ननित सदस्यो ने वर्ष के दौरान के उपक्रम

निदेशक का नाम, पद	समिति में स्थान	उक्त अवधि में की गई बैठकों की संख्या	बैठख में उपस्थिति
रमेश सिप्पी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक	सदस्य	2	2
साहब नारायण निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
डी.पी. रेड्डी सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	2	2
जवाहर लाल वट्टल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	0

3.1.3 पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति की संरचना 31 मार्च 2012 को इस प्रकार थी

निदेशक का नाम	पद	समिति में स्थान
रमेश सिप्पी (16.01.2012 से)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
साहब नारायण	निदेशक (वित्त)	सदस्य
डी.पी. रेड्डी	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य
ए.के. बीर (16.01.2012 से)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं :-

वार्षिक बोनस /परिवर्ती वेतन राशि के बारे में फैसला करना तथा निर्धारित सीमा के अंदर कार्यकारियों एवं गैर संघीय सुपरवाइजरों के बीच इसके वितरण की नीति निर्धारित करना.

वर्ष 2011-12 के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठक 04.02.12 को हुई 2011-12 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही :

3.1.2 Personnel Sub Committee

The composition of the Personnel Sub Committee of Board of Directors as on 31st March 2012 is as follows:

Name of the Director	Designation	Position in Committee
Ramesh Sippy (w.e.f.16/01/2012)	Independent Director	Chairman
Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
Sahab Narain	Director (Finance)	Member
D P Reddy	Government Nominee Director	Member
Jawahar Lal Wattal (w.e.f.16/01/2012)	Independent Director	Member

The terms of reference of the Personnel Sub Committee are as under:

To consider the promotion of officers from Junior Officer up to the level of Dy.Gen. Manager and Welfare issues and other policy matters related to personnel.

During the year 2011-12, two Personnel Sub Committee Meetings were held on 21.09.2011 and 04.02.2012. Meetings attended by individual members during the years 2011-12 are detailed below:-

Name of the Director, Designation	Position in the Committee	No. of Meeting held during their tenure	Meeting attended
Ramesh Sippy Independent Director	Chairman	1	1
Nina Lath Gupta, Managing Director	Member	2	2
Sahab Narain, Director (Finance)	Member	2	2
D. P. Reddy, Government Nominee Director	Member	2	2
Jawahar Lal Wattal Independent Director	Member	1	0

3.1.3 Remuneration Committee

The composition of Remuneration Committee as on 31st March 2012 is as follows:

Name of the Director	Designation	Position in Committee
Ramesh Sippy (w.e.f.16/01/2012)	Independent Director	Chairman
Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
Sahab Narain	Director (Finance)	Member
D P Reddy	Government Nominee Director	Member
A.K.Bir (w.e.f.16/01/2012)	Independent Director	Member

The terms of reference of the Remuneration Committee are as under:

To decide the annual bonus/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non unionized supervisors within the prescribed limits.

During the year 2011-12, on Remuneration Committee Meeting was held on 04.02.2012. Meetings attended by individual members during the years 2011-12 are detailed below:-

निदेशक का नाम, पद	समिति में स्थान	उक्त अवधि में की गई बैठकों की संख्या	बैठख में उपस्थिति
रमेश सिप्पी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक	सदस्य	1	1
साहब नारायण निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1
डी.पी. रेड्डी सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	1	1
ए.के. बीर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1

वित्त वर्ष 2011-12 के लिये प्रबंध निदेशक सुश्री नीना लाठ गुप्ता को रु. 16,37,292/- तथा निदेशक (वित्त) श्री साहेब नारायण को रु. 15,19,214/- पारिश्रमिक स्वरूप दिये गये. वित्त वर्ष 2011-12 के लिये बाकी किसी अन्य निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया.

Name of the Director, Designation	Position in the Committee	No. of Meeting held during their tenure	Meeting attended
Ramesh Sippy Independent Director	Chairman	1	1
Nina Lath Gupta Managing Director	Member	1	1
Sahab Narain Director (Finance)	Member	1	1
D. P. Reddy Government Nominee Director	Member	1	1
A.K.Bir Independent Director	Member	1	1

Ms.Nina Lath Gupta, Managing Director was paid a remuneration of Rs.16,37,292/- and Shri Sahab Narain, Director (Finance) was paid a remuneration of Rs.15,19,214/- for the F Y 2011-12. None of the other directors were paid any remuneration during the financial year 2011-12.

4. वार्षिक आम सभा

पिछले तीन वर्षों में हुई वार्षिक आम सभाओं का विवरण इस प्रकार है :-

सं.	वर्ष	स्थान	दिनांक एवं समय	यदि कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
34वां	2008-09	पंजीकृत कार्यालय 6 वीं मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरु सेंटर, डॉ. ए.बी. रोड, वरली, मुंबई-400 018.	20.11.2009 सायं. 4.00 बजे	नहीं
35वां	2009-10	पंजीकृत कार्यालय 6 वीं मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरु सेंटर, डॉ. ए.बी. रोड, वरली, मुंबई-400 018.	03.12.2010 पूर्वान्ह 11.00 बजे	हां
36वां	2010-11	पंजीकृत कार्यालय 6 वीं मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरु सेंटर, डॉ. ए.बी. रोड, वरली, मुंबई-400 018.	24.09.2011 दोपहर 2.00 बजे	नहीं
37वां	2011-12	पंजीकृत कार्यालय 6 वीं मंजिल,डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरु सेंटर, डॉ. ए.बी. रोड, वरली, मुंबई-400 018.	30.09.2012 को अथवा पहले कार्यालय समय के दौरान	कोई पारित नहीं किया जा सकता

4. Annual General Meeting

Details of Annual General Meeting of last three years are as under:

No	Year	Location	Date & Time	Whether any special resolution passed
34th	2008-09	Registered Office 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr.A.B.Road, Worli, Mumbai – 400 018	20.11.2009 04.00 PM	No
35th	2009-10	Registered Office 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr.A.B.Road, Worli, Mumbai – 400 018	03.12.2010 11.00 AM	Yes
36th	2010-11	Registered Office 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr.A.B.Road, Worli, Mumbai – 400 018	24.09.2011 2.00 PM	No
37th	2011-12	Registered Office 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr.A.B.Road, Worli, Mumbai – 400 018	On or before 30.09.2012 during office hours.	None to be passed.

5. प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टियों अर्थात प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स अथवा प्रबंधन के साथ विशेष महत्व के ऐसे कोई लेन देन नहीं है जो परस्पर कंपनी के हितों के विपरीत हों.

(ii) कंपनी इस बात की अभिपुष्टि करती है कि किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षण समिति तक पहुंचने से रोका नहीं गया.

(iii) कंपनी ने प्रस्तावित सुझावों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल किया है.

(iv) कंपनी के निदेशकों के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं है.

(v) पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश से सम्बन्धित मामले पर कोई वैधानिक अधिकारी द्वारा कम्पनी पर दंण्ड या दोष नही लगाए गये है.

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी किये गये सी पी एस ई के लिये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मार्गदर्शन के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यक प्रकटीकरण.

(i) लेखा बही में डाले गए खर्चे की मदें, जो व्यापार के लिये नहीं है : कुछ नहीं

(ii) किए गये व्यक्तिगत खर्च एवं बोर्ड निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन के लिये खर्च का वहन कुछ नहीं

(iii) वर्ष 2011-12 के लिये कुल खर्च का प्रशासनिक और कार्यालय खर्च का कुल प्रतिशत खर्च 1.94% प्रतिशत) और वर्ष 2011-12 के वित्तीय खर्च का प्रतिशत देखें तो यह है 1.95% (पिछले साल यही 2.20% था.)

(iv) गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के एडॉप्शन /नॉन एडॉप्शन की जानकारी इस प्रकार है

गैर अनिवार्य आवश्यकताएं

i. **निर्देश मंडल** : कंपनी का संचालन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है. कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी अधिकारी, निदेशखों को छोड़कर, अन्य सभी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिये की जाती है. किसी भी स्वतंत्र निदेशक की अवधि नौ वर्षों से अधिक की नहीं होती.

ii. **पारिश्रमिक समिति** : डी पी ई के दिशा निर्देशों द्वारा एन.एफ.डी.सी. के बोर्ड ने 21.06.2011 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया था जिससे कि कार्यकारियों और गैर संघीय पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस / विभिन्न पूल का वितरण निर्धारित अवधि के अंदर सरलता के साथ सुनिश्चित किया जा सके.

iii. **अंशधारकों के अधिकार** : अब तक ऐसी कोई भी प्रणाली नहीं है जिससे शेयरहोल्डरों के पास पिछले छह महीनों में विशिष्ठ कार्यक्रमों की विषय वस्तु समेत अर्धवार्षिक वित्तीय प्रस्तुतिकरण को भेजा जा सके.

iv. **लेखा परीक्षण की योग्यता** : लेखा परीक्षण की रिपोर्ट संलग्न है.

v. **मंडल सदस्य का प्रशिक्षण** : कोई नहीं.

vi. **व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी** : कंपनी द्वारा धोखाधड़ी निवारण नीति (पॉलिसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड) अपनाई गई है जहाँ धोखेबाजी की रिपोर्टिंग तथा जांच सुरक्षा के लिये व्हिसल ब्लोअर मैकेनिजम को अपनाया गया है, यह पॉलिसी कर्मचारियों सहित स्टॉकहोल्डर, कंसलटेंट, वेंडर, लैंडर, बॉरोअर, कॉन्ट्रेक्टर, कंपनी के साथ

5. Disclosures

(i) There are no materially significant transactions with related parties i.e. promoters, directors or the management conflicting with the Company's interest.

(ii) The Company affirms that no personnel have been denied access to the Audit Committee.

(iii) The Company has adopted suggested items to be included in the Report on Corporate Governance.

(iv) There is no inter-se relationship between the Directors of the Company.

(v) No penalties or strictures have been imposed on the company by any statutory authority, on any matter related to any guidelines issued by Government, during the last three years.

Additional disclosures as required under the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by Department of Public enterprises:

(i) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purpose of business NIL

(ii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management NIL

(iii) Administrative and office expenses as a percentage of total expenses for the year 2011-12 is 1.94% (Previous year 2.19%) and as a percentage of financial expenses for the year 2011-12 is 1.95% (Previous year 2.20%)

(iv) Information on adoption/non-adoption of non-mandatory requirements is given hereunder:

Non-mandatory Requirements

i. **The Board :** The Company is headed by a Managing Director. All the Independent Directors on the Board of the company other than ex-officio Directors were appointed for a tenure of three years and none of the Independent Directors have/had a tenure exceeding, in aggregate, a period of nine years.

ii. **Remuneration Committee :** In accordance with the directions of DPE, the Board of NFDC has constituted a Remuneration Committee on 21.06.2011 to determine the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executives and Non Unionized supervisors within the prescribed limits.

iii. **Shareholders Rights :** As of now there is no system of sending half yearly financial performance including summary of the significant events in the last six months to shareholders.

iv. **Audit Qualification :** Auditors report annexed.

v. **Training to Board Member :** NIL

vi. **Whistle Blower Policy :** "Policy for Prevention of Frauds" has been adopted by the Company, wherein a Whistle Blower mechanism is in place for detection, prevention and reporting of fraud. This policy applies to any fraud, suspected fraud involving employees as well as stakeholders, consultants, vendors, lenders,

व्यापार में शामिल बाहरी एजेंसियां, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारी तथा / या कंपनी के साथ व्यापार संबंधों में शामिल अन्य पार्टियों द्वारा संदेहास्पद या किसी धोखेबाजी में शामिल होने की स्थिति में लागू होगी.

borrowers, contractors, outside agencies doing business with the Company, employees of such agencies, and/or any other parties with a business relationship with the Company.

6. संपर्क के माध्यम

कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स के साथ वार्षिक रिपोर्ट, साधारण मीटिंग और वेबसाइट द्वारा डिस्क्लोजर के माध्यम से संपर्क बनाये रखती है. कंपनी से संबंधित सबी आवश्यक जानकारी का विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किये गये लेखा विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो सदस्यों और अन्य अधिकृत लोगों को जारी किया जाता है, के साथ भी दिया जाता है.

6. Means of Communication

The Company communicates with its shareholders through its Annual Reports, General Meeting and Disclosures through website. All important information pertaining to the Company is also mentioned in the Annual Report for each financial year containing inter alia Audited Accounts, Directors Report, Auditors Report which is circulated to the members and others entitled thereto.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. (कंपनी) द्वारा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये कॉर्पोरेट गवर्नेस के अनुपालन की स्थिति की जांच की है जिसका केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिये सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेस पर दिशा निर्देशों की धारा 8.2.1 में उल्लेख किया गया है.

कॉर्पोरेट गवर्नेस की स्थिति का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच उसकी प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन के दृष्टिकोण तक सीमित है जो कंपनी द्वारा पारित की गयी है अथवा कॉर्पोरेट गवर्नेस की स्थिति के अनुपालन को सुनिश्चित करतना है. यह न तो लेखा परीक्षण है और न ही कंपनी के आर्थिक विवरणों की राय को अभिव्यक्त करना है.

हमारी राय में और हमें प्रदान की गई अधिकतम जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेस की स्थिति का अनुपालन किया जाता है जिसका उल्लेख सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी पी एस ई) के लिये जानकारी किये गये कॉर्पोरेट गवर्नेस के दिशा निर्देशों की धारा 8.2.1 में किया गया है.

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भावी संचालन क्षमता का आश्वासन है और न ही कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता है जिससे प्रबंधन कंपनी की गतिविधियों को संचालित करता है.

कृते के. एस. अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन 100186 डब्ल्यू)

राजेश जोशी
साझेदार
सदस्य क्र. 38526

दिनांक : 29 जून, 2012
स्थान : मुंबई.

Auditors' Certificate on Corporate Governance

To,
The Members,
National Film Development Corporation Limited.

We have examined the compliance of condition of Corporate Governance by National Film Development Corporation Limited, ("the Company") for the year ended 31st March 2012 as stipulated in Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination has been limited to review of the procedures and implementation thereof, adopted by the company, for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs).

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For K.S.Aiyar & Co.
Chartered Accountants
(FRN 100186W)

(Rajesh Joshi)
Partner
Membership No.38526

Date : 29th June 2012
Place : Mumbai

दिनांक 31 मार्च 2012 का तुलन पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2012

राशि रुपयों में | Amount in ₹

		टिप्पणी Notes	31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
इक्विटी और देयताएं	**EQUITY AND LIABILITIES**			
अंशधारकों की निधि	**Shareholders' Funds**			
क) अंश पूंजी	(a) Share Capital	3	45,39,98,500	45,39,98,500
ख) संचय एवं अधिशेष	(b) Reserves and Surplus	4	(28,96,79,939)	(33,22,19,287)
सरकारी अनुदान	**Government Grant**			
आस्थगित सरकारी अनुदान	Deferred Government Grant	5	10,97,83,246	6,96,29,908
गैर चालू देयताएं	**Non-Current Liabilitis**			
क) व्यापारिक देय	(a) Trade Payables	6	2,41,94,673	2,16,36,995
ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	(b) Other Long-Term Liabilities	7	32,52,082	49,67,395
ग) दीर्घकालिक प्रावधानें	(c) Long-Term Provisions	8	3,69,64,559	3,19,33,797
चालू देयताएं	**Current Liabilitis**			
क) व्यापारिक देय	(a) Trade Payables	6	1,27,64,15,740	1,35,51,38,967
ख) अन्य चालू देयताएं	(b) Other Current Liabilities	9	59,22,09,419	43,31,06,064
ग) अल्पकालिक प्रावधानें	(c) Short-Term Provisions	10	73,62,184	66,81,265
कुल	**Total**		**2,21,45,00,464**	**2,04,48,73,604**
परिसम्पत्तियां	**ASSETS**			
गैर चालू परिसम्पत्तियां	**Non-Current Assets**			
क) स्थायी परिसम्पत्तियां	(a) Fixed Assets	11		
वास्तविक परिसम्पत्तियां	Tangible Assets		5,76,65,331	4,76,88,554
पूंजीगत कार्य जारी	Capital Work-in-Progress		5,39,329	28,85,731
ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	(b) Long-Term Loans and Advances	12	97,86,641	97,77,978
ग) व्यापारिक प्राप्तियां	(c) Trade Receivables	13	60,59,814	89,10,900
चालू परिसम्पत्तियां	**Current Assets**			
क) सम्पत्ति सूची	(a) Inventories	14	1,69,965	47,16,648
ख) व्यापारिक प्राप्तियां	(b) Trade Receivables	13	72,94,04,120	91,55,49,001
ग) रोकड और बैंक शेष	(c) Cash and Bank Balance	15	1,09,03,48,334	80,86,39,897
घ) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	(d) Short-Term Loans and Advances	16	31,22,97,531	24,34,11,663
ङ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(e) Other Current Assets	17	82,29,399	32,93,231
कुल	**Total**		**2,21,45,00,464**	**2,04,48,73,604**
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां	**Significant Accounting Policies**	**2**		
वित्तीय विवरणों के अंगभूत टिप्पणी सहित	Accompanying notes Form integral part of the financial statement			

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार — As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से — For and on behalf of Board of Directors

कृते के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 100186 डब्ल्यू)

For K. S. AIYAR & CO.
Chartered Accountants
(FRN 100186W)

नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक

Nina Lath Gupta
Managing Director

राजेश जोशी
(साझेदार)
सदस्य क्र. 38526

Rajesh Joshi
(Partner)
M.No. 38526

साहब नारायण
निदेशक (वित्त)

Sahab Narain
Director (Finance)

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 29 जून 2012

Place: Mumbai
Dated: 29th June 2012

इ.जे. पॉल
कंपनी सचिव/प्रबन्धक (वि एवं ले)

E. J. Paul
Company Secretary / M (F & A)

दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि का विवरण

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

राशि रुपयों में — Amount in ₹

		टिप्पणी Notes	वर्ष 2011-12 Year 2011–12	वर्ष 2010-11 Year 2010–11
आय	**INCOME**			
प्रचलन से आय	Revenue from Operations	18	2,48,43,71,236	1,81,24,87,979
अन्य आय	Other Income	19	7,27,31,895	3,74,81,650
कुल	**TOTAL**		**2,55,71,03,131**	**1,84,99,69,629**
व्यय	**EXPENSES**			
प्रचलित व्यय	Oparating Expenditure	20	2,35,91,49,938	1,69,84,73,260
कर्मचारी लाभ व्यय	Employee Benefits Expenses	21	7,07,85,251	4,13,89,308
अन्य व्यय	Other Expenses	22	4,90,07,072	4,02,49,443
कुल	**Total**		**2,47,89,42,261**	**1,78,01,12,011**
सकल लाभ	**Gross Margin**		7,81,60,870	6,98,57,619
संदेहात्मक ऋण/ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts/Loan/Advance		1,00,36,000	28,34,330
प्रारंभिक व्यय बट्टे खाते में	Preliminery Expenses Written Off		17,76,227	4,44,057
पूर्व समंजन	Prior Period Adjustment		(22,958)	4,58,063
उपदान/छुट्टी भुगतान वापिस	Gratuity / Leave Encashment Written Back		–	(17,87,840)
ब्याज, कर, मूल्यऱ्हास पूर्व आय और परिशोधन	**Earning Before Interest, Tax, Depreciation And Amortization (EBITDA)**		**6,63,71,601**	**6,79,09,009**
मूल्यऱ्हास	Depreciation		1,13,47,288	81,30,550
परिशोधित व्यय	Amortization Expenses		76,43,502	–
अप्रचलित स्थायी परिसम्पत्तियां	Obsolete Fixed Assets Discarded & Written Off		59,02,389	–
वित्तीय लागत	Finance Costs	23	6,06,243	3,13,471
स्वेच्छा निवृत्ति सेवा योजना व्यय	Amortisation of VRS Expenses	24	1,09,059	4,26,01,591
कर पूर्व लाभ	**Profit Before Tax**		**4,07,63,120**	**1,68,63,398**
घटाईये : कर व्यय	Less : Tax Expense			
चालू कर	Current Tax		–	–
आस्थगित कर	Deferred Tax		–	–
कर पश्चात लाभ	**Profit After Tax**		**4,07,63,120**	**1,68,63,398**
प्रति इक्विटी शेयर आय	**Earnings Per Equity Share:**			
1) मूल	(1) Basic		8.98	11.94
2) डायल्यूटेड	(2) Diluted		8.98	11.94
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां	**Significant Accounting Policies**	**2**		
वित्तीय विवरणों के अंगभूत टिप्पणी सहित	Accompanying notes Form integral part of the financial statement			

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार — As per our report of even date

कृते के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 100186 डब्ल्यू)

For K. S. AIYAR & CO.
Chartered Accountants
(FRN 100186W)

राजेश जोशी
(साझेदार)
सदस्य क्र. 38526

Rajesh Joshi
(Partner)
M.No. 38526

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 29 जून 2012

Place: Mumbai
Dated: 29th June 2012

निदेशक मंडल की ओर से — For and on behalf of Board of Directors

नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक

Nina Lath Gupta
Managing Director

साहब नारायण
निदेशक (वित्त)

Sahab Narain
Director (Finance)

इ.जे. पॉल
कंपनी सचिव/प्रबन्धक (वि एवं ले)

E. J. Paul
Company Secretary / M (F & A)

रोकड़ प्रवाह विवरण 31 मार्च 2012 की समाप्त अवधि पर
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

राशि रुपयों में | Amount in ₹

विवरण	Particulars	Year 2011-12		Year 2010-11	
I. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	**I. Cash Flows From Operating Activities**				
कराधान तथा असाधारण मदों के पहले शुद्ध लाभ	Net Profit Before Taxation and Extraordianry Items		4,07,63,120		1,68,63,399
(क) समंजन हेतु :	(a) Adjustments for :				
स्थायी परिसम्पतियों की बिक्री पर हानि	Loss on Sale of Fixed Assets	16,14,586			
परिसम्पत्तियों की हानि वापिस	Impairment of Asset Written back	(3,34,539)			
बट्टे खाते में डाली गई स्थायी परिसम्पत्तियां	Fixed Assets Written off	59,02,389			
मूल्यह्रास और हानि	Depreciation & Impairment	1,13,47,288		81,30,550	
उपदान के लिए प्रावधान	Provision for Gratuity	39,66,742		(9,30,464)	
छुट्टी भुगतान का प्रावधान	Provision for Leave Encashment	31,99,371		(7,49,188)	
विविध देनदारों का प्रावधान	Provision for Sundry Debtors	1,00,36,000		25,14,005	
ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for Loans and Advances	–		3,20,325	
व्याज आय	Interest Income	(5,33,90,061)		(2,55,14,206)	
व्याज व्यय	Interest Expenses	6,06,243		3,13,471	
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	Profit on Sale of Assets	–		(1,67,005)	
बट्टे खाते में डाले गये प्रारम्भिक व्यय	Preliminary Expensess Written off	17,76,227			
कुल (क)	Total of (a)		(1,52,75,754)		(1,60,82,512)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पहले प्रचलित रोकड	Operating Cash Profit Before Working Capital Changes		2,54,87,366		7,80,887
(ख) समंजन हेतु :	(b) Adjustments for :				
सम्पत्ति सूची में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	45,46,683		(94,552)	
विविध देनदारों में (वृद्धि)/कमी	(Increase) / Decrease in Sundry Debtors	17,89,59,967		(53,96,75,437)	
ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Loans & Advances	(3,35,34,651)		(10,66,64,416)	
ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/ Decrease in Other Current Assets	(49,36,168)		(21,21,972)	
विविध देनदारों तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	Increase/ (Decrease) in Sundry Creditors and Other Payables	7,97,68,061		1,16,79,28,560	
फिचर फिल्मों का परिशोधन	Amortization of Feature Films			–	
कुल (ख)	Total of (b)		22,48,03,892		51,93,72,183
प्रचलनों द्वारा उत्पन्न रोकड	Cash Generated From Operations		25,02,91,258		52,01,53,070
आयकर भूगतान	Income Tax paid		(3,53,59,880)		(4,03,22,978)
असाधारण मदों के पहले रोकड़ प्रवाह	Cash Flows Before Extraordinary Item		21,49,31,378		47,98,30,092
आस्थागित राजस्व व्यय	Deferred Revenue Expenditure	–		(17,76,227)	
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड (क)	**Net Cash From Operating Activities (a)**		**21,49,31,378**		**47,80,53,865**

राशि रुपयों में

Amount in ₹

विवरण	Particulars	Year 2011-12		Year 2010-11	
II. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह	**II. Cash Flows from Investing Activities**				
पूंजीगत कार्य में विकास	Capital Work in Progress	23,46,402		(17,51,700)	
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchases of Fixed Assets	(2,89,22,021)		(2,08,54,906)	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	Sale of Fixed Assets	4,15,523			
बैंक डिपोजिट	Bank Deposit	42,99,13,986		(51,29,77,640)	
ब्याज प्राप्त	Interest Received	5,33,90,061		2,55,14,206	
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध रोकड (ख)	**Net Cash Used in Investing Activities (b)**		**45,71,43,950**		**(51,00,70,040)**
III. वित्तीय गतिविधियों में रोकड प्रवाह	**III. Cash Flows from Financing Activities**	–			
अंश पूंजी में वृद्धि	Increase on Share Capital	–		31,40,00,000	
आस्थगित सरकारी अनुदान	Deferred Government Grant	4,01,53,338		24,95,966	
ओवरड्राफ्ट शेषों में कमी	Decrease in Overdraft balances	–		–	
अप्रतिभूत ऋणों में वृद्धि	Increase in Unsecured Loan	–		(26,38,09,822)	
ब्याज भुगतान	Interest paid	(6,06,243)		(3,13,471)	
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड (ग)	**Net Cash from Financing Activities (c)**		**3,95,47,095**		**5,23,72,673**
रोकड तथा रोकड समतुल्यों पर शुद्ध वृद्धि (क + ख + ग)	**Net Increase in Cash and Cash Equivalents (a + b + c)**		71,16,22,423		2,03,56,498
रोकड तथा रोकड समतुल्यों का प्रारम्भिक शेष	Opening Balance of Cash and Cash Equivalents		29,50,59,469		27,47,02,971
रोकड तथा रोकड समतुल्यों का अंतिम शेष	Closing Balance of Cash and Cash Equivalents		1,00,66,81,892		29,50,59,469
रोकड तथा रोकड समतुल्यों के पूरक	Componant of Cash and Cash Equivalents				
बैंक में शेष	Balances with Banks				
चालू खाते में	In Current Account	9,13,29,290		26,51,73,353	
3 महिनों से कम की मूल मैच्युरिटी के साथ सावधि जमा	Fixed Deposits with original maturity of less than 3 months	91,51,93,396	1,00,65,22,686	2,98,04,819	29,49,78,172
रोकड बाकी	Cash on Hand		1,59,206		79,683
फ्रेंकिंग मशीन में शेष	Balance with Franking Machine		–		1,614
कुल रोकड तथा रोकड समतुल्य (नोट सं. 15)	**Total Cash and Cash Equivalents (Note No.15)**		**1,00,66,81,892**		**29,50,59,469**
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां	**Significant Accounting Policies**		**2**		
वित्तीय विवरणों के अंगभूत टिप्पणी सहित	Accompanying notes Form integral part of the financial statement				

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

For and on behalf of Board of Directors

कृते के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 100186 डब्ल्यू)

For K. S. AIYAR & CO.
Chartered Accountants
(FRN 100186W)

नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक

Nina Lath Gupta
Managing Director

राजेश जोशी
(साझेदार)
सदस्य क्र. 38526

Rajesh Joshi
(Partner)
M.No. 38526

साहब नारायण
निदेशक (वित्त)

Sahab Narain
Director (Finance)

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 29 जून 2012

Place: Mumbai
Dated: 29th June 2012

इ.जे. पॉल
कंपनी सचिव/प्रबन्धक (वि एवं ले)

E. J. Paul
Company Secretary / M (F & A)

लेखाओं पर टिप्पणियां

नोट : 1. कॉर्पोरेट सूचना

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) भारत स्थित कंपनी है जिसकी स्थापना कंपनीज एक्ट 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी है. निगम विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाता है तथा भारत एवं विदेशों में होने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्म बाजार आयोजित करता है. निगम का मुख्यालय मुंबई में हैं तथा नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय हैं.

निगम की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर सुनिश्चित की जाने वाली आर्थिक नीतियों एवं उद्देश्यों के अंतर्गत फिल्म उद्योग का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास तथा प्रभावशाली उन्नयन करने के लिये की गई थी. बाद के वर्षों में निगम ने 18 भारतीय भाषाओं में 300 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण किया अथवा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया.

नोट : 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों

(अ) लेखाओं का आधार तथा अनुमानों का उपयोग

i. वित्तीय विवरणों को भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, कंपनी (लेखा मानको) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों 2006 द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों तथा तत्संबंधी कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के साथ सभी तथ्यों के अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है.

ii. 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष तक निगम अपने वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूची कॉर्पोरेशन पर लागू कर दी गई. कॉर्पोरेशन ने पिछले वर्ष की संख्याओं का इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुसार समरूपन करने के लिये पुनर्वर्गीकरण कर दिया है. संशोधित अनुसूची छह को अपनाने से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये अपनाये गये नापतोल सिद्धांतों की स्वीकृति पर कोई असर नहीं पड़ता. फिर भी इनका वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति तथा प्रकटीकरण पर विशेषत: तुलनपत्र की प्रस्तुति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है.

iii. सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरुप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित है कि प्रबंधन उस पर अनुमान और कल्पना करे कि रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियां तथा देयताएं और आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरण की तारीख और प्रचालनों के परिणाम रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत में हैं. यद्यपि ये अनुपान प्रबंधन की वर्तमान घटनाओं एवं क्रियाओं के संबंध में अच्छी जानकारी पर आधारित है फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं.

(आ) राजस्व तथा तत्संबंधी व्यय की मान्यता

आ-1 लागत का परिशोधन :

विदेशी वाणिज्यिक फिल्मों, प्रिंटों और टी.वी. अधिकारों तथा स्वकीय फिल्मों और अधिगृहीत फिल्मों की लागत और निगम का भाग.

(क) भारतीय सहनिर्माण की फिल्मों में
(ख) विदेशी सहनिर्माण की फिल्मों में निगम के भाग का परिशोधन आयकर नियमों में किये गये निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर किया जाता है, जैसे

Notes on Accounts

Note : 1. Corporate Information

National Film Development Corporation Limited ("the Company") is a public company domiciled in India and incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956. The Corporation is engaged in production of various Indian language films, organizing film bazaar in and international film festival in India as well as Abroad. The corporation has its Head Office in Mumbai and Regional offices at New Delhi, Chennai and Kolkata.

The Corporation was set up with the objective to plan, promote and organize an integrated and efficient development of the film industry in accordance with the national economic policy and objectives laid down by the Central Government from time to time. Over the years, NFDC has funded/produced more than 300 films in eighteen Indian languages.

Note : 2. Significant Accounting Policies

A. Basis of Accounting and Use of Estimates.

i. Financial statements are prepared under the historical cost convention, on accrual basis of accounting in accordance with the accounting principles generally accepted in India and in compliance with the provisions of Companies Act 1956, and comply with the mandatory Accounting Standards specified in Companies (Accounting Standard) Rules 2006, prescribed by the Central Government.

ii. Till the year ended March 31, 2011, the Corporation was using pre-revised Schedule VI to the Companies Act, 1956, for preparation and presentation of its financial statements. During the year ended March 31, 2012, the revised Schedule VI notified under the Companies Act, 1956, has become applicable to the Corporation. The Corporation has reclassified previous year numbers to conform to this year's classification. The adoption of revised Schedule VI does not impact recognition and measurement principles followed for preparation of the financial statements. However, it significantly impacts the presentation and disclosure made in the financial statements, particularly presentation of balance sheet.

iii. The preparation of financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the Revenue and Expenditure of operations during the reporting period end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

B. Recognition of Revenue and related expenses

B.1 Amortization of cost of:

Films, prints, TV rights, own production of films, taken over films and Corporation's share in-

a) Indian co-production films
b) Foreign Co-production films, is done by following provision of Income Tax Rules, i.e

ख-1.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले कम से कम 90 दिनों की अवधि तक यदि फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिये रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की संपूर्ण निर्माण/ अधिग्रहण लागत को परिशोधित किया जाता है.

ख-1.2 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले यदि फिल्म 90 दिनों की अवधि से कम अवधि तक वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिये रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की लागत /अधिग्रहण की आय की सीमा तक और शेष यदि कोई हो तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाता है और उसी वर्ष में परिशोधित किया जाता है.

ख-1.3 यदि जहाँ फिल्म पूर्ण होती है और वर्ष के दौरान प्रदर्शित या रिलीज नहीं होती, उस फिल्म की संपूर्ण निर्माण/ अधिग्रहण लागत को अगले वित्तीय वर्ष में आगे लाया जाता है तथा उसी वर्ष में परिशोधित किया जाता है.

ख-2. भारतीय टी.वी. धारावाहिकों की निर्माण लागत / अधिगृहीत कार्यक्रमों और फिल्मों के खरीदे गये टी.वी. अधिकारों के पूर्ण रूप से की लागत को उसी वित्तीय वर्ष में चार्ज किया जाता है जिस वर्ष में उन फिल्मों / धारावाहिकों का पहला प्रदर्शन होता है अथवा अधिकार समाप्त होते हैं, इनमं से जो पहले आए.

ख-3. कंपनी द्वारा खरीदे गये टी.वी. अधिकारों के लिये ऐसी स्थिति में जहाँ टी.वी. पर फिल्में प्रदर्शित नहीं हुई और उनके लिये भुगतान किया जा चुका है तो उस भुगतान राशि को अग्रिम के रूप में माना जाता है. चूंकि वास्तविक देयता तो करार की शर्तों के अनुसार टेलीकास्ट होने पर लागू होती हैं इसलिये उनके भुगतान न किये अधिगृहीता मूल्य के लिये कोई प्रावधान नहीं किया जाता है.

ख-4. सहनिर्माण की फिल्मों के वितरण-प्रदर्शन संबंधी व्यय
सहनिर्माण की फिल्मों के वितरण-प्रदर्शन संबंधी व्ययों की वितरण-प्रदर्शन की तिथि से बाहर महीनों की अवधि के प्रदर्शन-वितरण से तुलनपत्र में आगे ले जाया जाता है ताकि भविष्य में होने वाली अर्जित आय से उनकी पूर्ति की जा सके. वितरण-प्रदर्शन के व्ययों की राशि जिनकी पूर्ति बारह महीने की अवधि में नहीं हुई को लाभ तथा हानि लेखा में डाल दिया जाता है.

ख-5. गैर-निष्पादन ऋणों से आय
फिल्म निर्माण / सिनेमा उपकरण खरीद / सिनेमागृह निर्माण आदि के गैर निष्पादन ऋणों के ब्याज को प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य माना हो, उस सीमा तक आय में लिया जाता है और जब तक वह मूल राशि के बराबर न हो जाय और उसके आग कोई जमा नहीं दिखाई जाती जब तक कि वह वास्तविक रूप से वसूल न हो जाय.

ख-6. विभिन्न मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से प्रदर्शित मीडिया कैंपेंस के सिलसिले में हुए आय और व्यय को उसी वर्ष में परिस्वीकृत किया जाता है जिस वर्ष में संबंधित विज्ञापन अथवा व्यापारिक स्पॉट जनता के लिये प्रदर्शित अथवा ब्रॉडकास्ट किये गये हों और जिनके संबंध में एजेंसी को चैनल/सिनेमाघर/ वैबसाइट से सफलतापूर्वक टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट की सूचना मिल गई हो. वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किये गये कैंपेन जो अगले वित्तीय वर्ष में पूरे हुए हों उन्हें क्रमानुसार वित्तीय वर्ष में ही उस वर्ष में टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट किये गये विज्ञापनों अथवा व्यापारिक स्पॉट्स के आधार पर ही परिस्वीकृत किया जाता है.

ख-7. विभिन्न मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से वर्ष के दौरान लिये गये कमीशंड प्रोडक्शंस के आय व्यय को तब तक मान्य नहीं किया जाता जब तक ग्राहक उन्हें स्वीकार न कर लें या ग्राहकों की ओर से उन्हें स्वीकार कर लेने जैसी कोई कार्यवाही न कर दी जाय.

B.1.1 Where the film is released for exhibition on Commercial basis, at least for a period of 90 days before the close of the financial year, the entire cost of production/ acquisition of the films has been amortized.

B.1.2 Where the film is released for exhibition on Commercial basis for a period of less than 90 days before the close of the financial year, the cost of production/acquisition is amortized to the extent of realization and balance, if any, carried forward to the next financial year and amortized fully in that year.

B.1.3 Where the film is completed and not released or exhibited during the year the entire cost of production/ acquisition is carried forward to the next financial year and amortized fully in that year.

B.2 Cost of production of Indian Television serials/acquired programme and films purchased for TV rights are charged off in the financial year in which the first telecast of such films/ serials take place or in the Financial Year, in which the rights expired, whichever is earlier.

B.3 Rights in films for distribution through Television acquired by the Corporation wherein no telecast is made are accounted as advance to the extent of the amounts paid thereof. No provision is made for the unpaid acquisition price thereof, since actual liability shall arise only in the event of telecast as per terms of the agreement.

B.4 Exploitation expenses in respect of co-production films
Exploitation expenses in respect of co-production films are carried forward in the Balance Sheet to be recouped against future revenues earned from the exploitation over the period of twelve months from the date of exploitation. The amount of exploitation expenses which are not recouped within the period of twelve months are charged to Profit and Loss account.

B.5 Income from Non-Performing Loans

Interest on loans for Films and Purchase of Equipments/ Constructions of Theatres is accrued and accounted in the income only to the extent equal to principal amount and no further credits are recognized thereafter unless the same is actually realized.

B.6 Revenue and Expense in respect of Media Campaigns released on behalf of various ministries / clients are recognized in the year in which the related advertisement or commercial spots are telecast / broadcast / appear before the public and in respect of which necessary intimation is received by the agency from the channel / theatre / website for successful telecast / broadcast. Campaigns commencing in a financial year and concluding in next financial year are recognized in the respective financial years on the basis of advertisement or commercial spots telecasted / broadcasted during that year.

B.7 Revenue and Expense in respect of Commissioned Productions undertaken during the year on behalf of various ministries / clients are not recognized until the goods have been formally accepted by the client or the client has done an act adopting the transaction.

ख-8. क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिये अनुदान

विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण करने के लिये भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ तथा इनमें से 31.03.2012 तक प्राप्त व्यय आस्थगित सरकारी अनुदान के अंतर्गत देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण का वास्तविक व्यय सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित सीमा तक तथा इन फिल्मों के सीधे व्ययों को निर्देशक मंडल द्वारा अनुमोदन के अनुसार संपत्ति सूची में दर्शाया जाता है किंतु इन फिल्मों के सीधे व्ययों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के अनुसार संपत्ति सूची में दर्शाया जाता है किंतु इन फिल्मों में खर्च की गई शेष राशि के परुतं. जिसे सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है उसे क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिये अग्रिम में दर्शाया गया है. प्राप्त राशि तथा संबंधित फिल्मों के निर्माण पर व्यय फिल्म के रिलीज होने पर क्रमशः आय और व्यय में दर्शाया गया है. फिल्म के रिलीज के लिये तैयार हो जाने पर निगम अपनी आय के लिये कुल निर्माण लागत का 10% अपने कमीशन के रुप में चार्ज करता है.

(ग) स्थायी परिसंपत्तियां तथा मूल्य ह्रास

ग-1. स्थायी परिसंपत्तियों की मूल लागत (सकल ब्लॉक) से संचित मूल्य-ह्रास को घटा कर दर्शायी गई है. अधिग्रहण की कीमत अथवा निर्माण में परिवहन शुल्क, महसूल, कर, अधिग्रहण से संबधित आकस्मिक खर्च, स्थापना अथवा निर्माण व्यय, आरोप्य ब्याज और वित्तीय लागत आदि को तब तक शामिल किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां निर्दिष्ट उपयोग के लिये बन कर तैयार न हो जाएं.

ग-2. परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची क्रमांक 14 में दरों पर शेष घटाव पद्धति के अनुसार किया जाता है जब तक कि नीचे कहा न जाय.

ग-3 पट्टे की भूमि का पट्टे की समयावधि तक ही परिशोधन किया जाता है.

ग-4 वीडियो कैसेट्स रिकार्डिंग उपकरण, उपशीर्षकांकन यूनिट और 16 एम एम अव्यवस्थापित इन्फ्रास्ट्रक्चर और लेजर उपशीर्षकांकन पर मूल्यह्रास 10% की दर से सीधी रेखा पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है.

ग-5 एविड एयरप्ले परियोजनाएं और स्पशल इफेक्ट स्टूडियो पर मूल्य ह्रास 25% की दर से सीधी रेखा पद्धति से उपकरण की जीवन अवधि को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

ग-6. पूंजीगत मूल्य के 95% तक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास किया गया है.

ग-7. वर्ष के दौरान जोड़ी गईं अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उनकी खरीद या जुड़ने की तारीख से तथा अनुपात से कियागया है.

ग-8. रुपये 5,000/- तक की विशिष्ट परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उसके क्रय होने के वर्ष में पूर्ण रूप से किया गया है.

(घ) परिसंपत्तियों का हानिकरण / क्षति

परिसंपत्तियों के हानिकरण के लेखा मानक 28 (ए एस-28) के अनुरूप, जहां कहीं भी कंपनी की संपत्तियों के हानिकरण का संकेत है, कंपनी की परिसंपत्ति की राशि का हर तुलनपत्र में पुनरीक्षण कियागया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह आंतरिक अथवा वाह्य कारणों पर आधारित हैं. यदि क्षति के कारण कोई नुकसान हुआ हो तो उसका उल्लेख लाभ-हानि के विवरण में किया जाता है बशर्ते कि वसूलीयोग्य परिसंपत्ति की आगे लाई गई राशि इसकी अनुमानित वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो. परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि

B.8 Grant in Aid for Regional Film Production

The Grant in Aid received from the Govt. of India for Film Production in various Regional languages and the expenditure incurred up to 31.03.12 out of the same is shown on net basis under Deferred Govt. Grant on the liabilities side. The actual expenditure incurred on the film production in various Regional languages which are incomplete at the yearend & to the extent certified by Chartered Accountants and as approved by the Board is shown as Inventory. The balance amount spent for these films but not certified by Chartered Accountants is shown as "Advance for Regional Films Production". The amount received and the expenditure incurred on production of respective films is shown as Income and Expenditure respectively when the Film is ready for release. The Corporation accounts for its income by way of Commission at 10% of the Cost of Production of such films when the film is ready for release.

C. Fixed Assets & Depreciation

C.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition or construction less accumulated depreciation and impairment losses. Cost of acquisition or construction is inclusive of freight, duties, taxes, incidental expenses relating to acquisition, cost of installation/erection, attributable interest and financial cost , till such time assets are ready for its intended use.

C.2 Depreciation on assets has been provided on the "Written Down Value" basis at the rates prescribed by Schedule XIV of the Companies Act, 1956 unless otherwise stated below.

C.3 Leasehold land is amortized over the period of lease.

C.4 Depreciation in respect of video cassettes recording equipment / telecine equipment, subtitling unit, 16mm infrastructure and Laser sub-titling, video studio has been provided @ 10% on Straight line method.

C.5 Depreciation on the Avid Airplay and Special Effects Studio has been provided @ 25% on Straight Line Method considering the life span of the equipments.

C.6 Depreciation is charged on Straight Line method upto 95% of capitalized value.

C.7 Depreciation has been provided on pro-rata basis from the date of addition/upto the date of sale as the case may be.

C.8 Individual Assets purchased during the year costing upto Rs.5000/- are depreciated fully in the year of purchase.

D. Impairment of Assets

In accordance with Accounting Standard 28 (AS 28) on " Impairment of Assets, where there is an indication of impairment of the Company's assets, the carrying amounts of the Company's assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any impairment based on internal/external factors. An impairment loss, if any, is recognized in the Statement of Profit & Loss, wherever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount. The recoverable amount of the assets is

का अनुमान इसके शुद्ध उच्चतम विक्रय मूल्य तथा उपयोग में आ रही कीमत से लगाया जाता है. उपयोग में आ रही कीमत का अनुमान लगाते समय भविष्य के अनुमानित रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का पूंजी के औसतन मूल्य के अनुसार डिस्काउन्टेड कर दिया जाता है. क्षति के बाद परिसंपत्तियों के शष उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान कर दिया जाता है. इसके पहले की स्वीकृत क्षति का परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार प्रावधान कर दिया जाता है या उसे पीछे ले लिया जाता है.

(ङ) विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन

लेन देन की तारीख में विदेशी मुद्राओं की लेन देन का हिसाब है. परिसम्पत्तियां तथा देयताओं की विदेशी मुद्राओं की मौद्रिक मदें वर्ष के समाप्ति पर प्रचलित विनियम दरों का उपयोग करके प्रतिवेदित की गई तथा उससे उदभूत होनेवाली विनिमय शेष को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित/जमा किए है. गैर मौद्रिक मदें जो विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत से सम्बन्धित आगे लायी गई गैर मौद्रिक मदें लेन देन की दिनांक पर विनिमय दरों का उपयोग करके प्रतिवेदित की गई

(च) संपत्ति सूची

च.1 संपत्ति सूची में शामिल है
(क) आयातित फिल्मों के वितरण/प्रदर्शन अधिकारों की अपरिशोधित लागत
(ख) विदेशी सहनिर्माण की फिल्मों में निगम का भाग, निर्माणाधीन फिल्मों की लागत, खाली वीडियो कैसेट्स का स्टॉक तथा स्वर्ण.

च.2 वीडियो कैसेट्स के स्टॉक तथा निर्माणाधीन फिल्मों का मूल्यांकन लागत पर किया गया है.

च.3 स्वर्ण को ऐतिहासिक लागत पर आंका गया है.

च.4 पूरी हो चुकी फिल्मों का मूल्यांकन एक रुपये के नाममात्र मूल्य पर किया गया है.

(छ) कराधान

चालू करों के लिये प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिस्वीकृत लाभ पर विचार करने के बाद किया जाता है. आस्थगित कर जो खातों तथा करयोग्य लाभ के बीच टाइमिंग डिफरेंस का नतीजा होता है, उसका तुलनपत्र में लेखा बाद में निर्धारित किये गये नियमों तथा कर की दरों अनुरूप कर दिया जाता है. आस्थगित कर संपत्तियां जो हानि को आगेलाये जाने तथा असमाविष्ट मूल्यह्रास से होती है उन्हें केवल उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की वास्तविक निश्चितता होती है कि ये परिसंपत्तियां वसूल हो चुकी हैं. दूसरी मदों से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक मान्य किया जाता है जहां इस बात की पर्याप्त सुनिश्चितता होती है कि इसे वसूल किया जा सकता है.

(ज) प्रतिअंश आय

प्रति ईक्विटी शेयर की आय (प्रारंभिक/वनूकृत) को ईक्विटी अंशधारकों को वर्ष के लिये शुद्ध लाभ एवं हानि (देय करों को घटा कर) में वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभक्त करके आकलित किया जाता है.

(झ) कर्मचारी लाभ

(i) परिभाषित अंशदान योजना
कम्पनी का कर्मचारी भविष्य निधि, सरकारी भविष्य निधि के माध्यम से प्रशासित किया जाता है और श्रमिक कल्याण निधि को परिभाषित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है. इन परिभाषित अंशदान योजना की ओर से कर्मचारी सम्बंधित सेवा प्रदान करता है उस अवधि के दौरान लाभ एवं हानि

estimated at the higher of its net selling price and its value in use. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to the present value at the weighted average cost of capital. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the assets over its remaining useful life. Previously recognized impairment loss is further provided or reversed depending on changes in circumstances.

E. Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign exchange are accounted for at the date of transaction. Foreign currency monetary items of assets & liabilities are reported using exchange rates prevailing at the close of the year and exchange difference arising there from is charged/credited to the Statement of Profit & Loss. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

F. Inventories

F.1 Inventories include
Unamortized cost of – a) exploitations rights in imported films, b) Corporation's share in foreign co-production films; films under production; Completed films; Stock of blank video cassettes and Gold.

F.2 Stocks of video-cassettes have been valued as per FIFO method.

F.3 Gold is valued at historical cost.
F.4 Completed films are valued at nominal value of Rs.1 each.

G. Taxation

Provision for current tax is made after taking into consideration benefit admissible under the provisions of Income Tax Act, 1961. Deferred tax resulting "timing differences" between book and taxable profit is accounted for using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date. The deferred tax assets pertaining to carried forward losses and unabsorbed depreciation are recognized only to the extent that there is a virtual certainty that these assets are realized. The deferred tax assets pertaining to other items are recognized to the extent that there is a reasonable certainty that the same can be realized.

H. Earning Per Share

Earning Per equity share (Basic / Diluted) is calculated by dividing the Net Profit or Loss for the year attributable to Equity Shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of Equity Shares outstanding during the year.

I. Employee Benefits

(i) Defined Contribution Plan

The Company's Employee's Provident Fund administered through Government Provident Fund and Labour Welfare Fund are considered as Defined Contribution Plans. The Company's contributions paid/payable towards these defined

लेखा में व्यय के रूप में कम्पनी के अंशदान का देय/भुगतान होता है. हर साल उपरोक्त निधि द्वारा लाभार्थियों को ब्याज दर का देय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है. कम्पनी को निवेश द्वारा रिटर्न तथा व्याज दर के बीच अगर कोई हानियां हो, लाभदायक बनाने का दायित्व नही है.

(ii) परिभाषित लाभ योजना

दीर्घकालिक प्रतिपूरक अभाव उपदान द्वारा कम्पनी की देयताओं को परिभाषित लाभ योजना माना गया है. ऐसी परिभाषितलाभ योजना के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना गया है, जो कि कर्मचारी लाभ के पात्र के अतिरिक्त यूनिट को बढावा देने हर एक सेवा अवधि मान्य है तथा अंतिम दायित्व बनाने के लिए हर यूनिट को अलग अलग मापन करते है. लाभ एवं हानि लेखा विवरणों में बीमांकिक लाभ तथा हानियां तुरंत स्वीकृत होती है. सरकारी प्रतिभूतियों पर तुलन पत्र तारीख में मार्केट उपजों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किये गये रियायती दर का उपयोग करके अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर दायित्व माना जाता है.

(ञ) पट्टे

प्रचलित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में व्यय के रूप में माना जाता है.

(ट) प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएं.

प्रावधान वे देयताएं हैं जिन्हें जिन्हें सिर्फ विशिष्ट अनुमान स्तर को प्रयुक्त करके आँका जा सकता है. उन्हें हर एक तुलनपत्र की दिनांक पर दर्शाया जाता है तथा चालू प्रबंधन आकलन पर परावर्तित करके समायोजित किया जाता है. आकस्मिक देयता उपयुक्त अनुगृहीत मामलों में प्रकट हो सकती हैं जहां संसाधन की गति की संभावना निश्चित नहीं है अथवा दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन बनाया नहीं गया है.

contributions plan are recognized as expense in the Profit and Loss Account during the period in which the employee renders the related service. The interest rate payable by the said funds to the beneficiaries every year is being notified by the Government. The Company has no obligation to make good the shortfall, if any between the return from the investment and the interest rate.

(ii) Defined Benefit Plan

Company's liabilities towards gratuity, long term compensated absences are considered as Defined Benefit Plans. The present value of the obligations under such Defined Benefit Plans are determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognizes each period of service as giving rise to an additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. Actuarial gains and losses are recognized immediately in the statement of profit and loss. The obligation is measured at the present value of estimated future cash flows using a discount rate that is determined by reference to market yields at the balance sheet date on Government securities.

J. Leases

Lease payments under operating lease are recognized as an expense in the Profit and Loss Account on a straight-line basis over the lease term.

K. Provisions and Contingencies

Provisions are liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Contingent liability is disclosed in case of possible obligation where the probability of outflow of resources is not certain or where reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

टिप्पणी : 3 शेयर पूंजी
Note : 3 SHARE CAPITAL

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012		31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011	
		संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
प्राधिकृत	Authorised				
प्रत्येक 100/- प्रति के इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100/-each	45,40,000	45,40,00,000	45,40,000	45,40,00,000
निगमित	Issued				
प्रत्येक 100/- प्रति के इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100/- each	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
अनुमोदित और प्रदत्त	Subscribed & Paid up				
प्रत्येक 100/- प्रति के प्रदत्त इक्विटी	Equity Shares of 100 each fully paid	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
कुल	Total	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500

विवरण	Particulars	31.03.2012 को इक्विटी शेयर्स Equity Shares as on 31.03.2012		31.03.2011 को इक्विटी शेयर्स Equity Shares as on 31.03.2011	
		संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयर्स	Shares outstanding at the beginning of the year	45,39,985	45,39,98,500	13,99,985	13,99,98,500
वर्ष के दौरान आबंटन	Allotment during the year	–	–	31,40,000	31,40,00,000
वर्ष के अंत में बकाया शेयर्स	Shares outstanding at the end of the year	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500

5% से ज्यादा अंशधारकों का विवरण
Details of Shareholders holdng more than 5% of shareholding

अंशधारक का नाम Name of Shareholder	31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012		31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011	
	शेयर धारित सं. No. of Shares held	धारक का प्रतिशत % of Holding	अंश धारण की संख्या No. of Shares held	धारक का प्रतिशत % of Holding
राष्ट्रपति के माध्यम सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली "President of India through Secretary Minstry of I &B, New Delhi"	4539983	99.999956	4539983	99.999956

उपर्युक्त
Of the above
सरकारी ऋण तथा उस पर उपार्जित ब्याज को शेयर में परिवर्तन करने पर 28,40,000 शेयर्स आवंटित किए गये.
28,40,000 Shares are alloted in conversion of Government Loan and interest accured theron into Share Capital.
इक्विटी शेयर्स से संलग्न शर्तें/अधिकार
Terms / Rights attached to Equity Shares
कंपनी के पास प्रत्येक 100/- शेयर्स के सिर्फ एक श्रेणी के इक्विटी शेयर्स है कंपनी ने भारतीय रुपयों में लाभांश तथा भुगतान किया है.
The Company has only one class of equity shares having par value of 100/- per share. The Company declare and pays dividend in Indian Rupees.

टिप्पणी : 4 संचय और अधिशेष
Note : 4 RESERVES AND SURPLUS

राशि रुपयों में
Amount in ₹

			31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011
क)	पूंजीगत संचय	a) Capital Reserves	21,875	21,875
ख)	अन्य संचय	b) Other Reserves		
	विशेष संचय (निर्यात)	Special Reserve (Exports)	2,10,861	2,10,861
ग)	अधिशेष	c) Surplus		
	गत वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	Balance as per last financial statement	(33,06,75,796)	(34,75,39,194)
	चालू वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(शुद्ध हानि)	(+) Net Profit/(Net Loss) for the current year	4,07,63,120	1,68,63,398
	अंतिम शेष	Closing Balance	(28,99,12,675)	(33,06,75,796)
घ)	प्रारम्भिक व्यय	d) Preliminery Expenses	–	(17,76,227)
	कुल	**Total**	**(28,96,79,939)**	**(33,22,19,287)**

टिप्पणी : 5 आस्थिगत सरकारी अनुदान
Note : 5 DEFERRED GOVERNMENT GRANT

राशि रुपयों में
Amount in ₹

				31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011
क)	**क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिए अनुदान (योजना काल 2007-12)**	**A) Grant in Aid for Regional Film production (Plan Period 2007-12)**			
	गत वर्ष में प्राप्त	Received in Earlier Year		19,34,00,000	14,34,00,000
	चालू वर्ष में प्राप्त	Received in Current Year		16,66,00,000	5,00,00,000
				36,00,00,000	19,34,00,000
ख)	**जोडिए: फिल्मों की विक्री से निधि**	**B) Add : Funds from Sale of Films**			
	गत वर्ष में	In Earlier Year		56,60,000	–
	गत वर्ष में	In Current Year		53,04,000	56,60,000
				1,09,64,000	56,60,000
	फिल्म निर्माण के लिए कुल निधि उपलब्ध (क)	**Total Fund available for Film Production (A)**	**(क) (A)**	**37,09,64,000**	**19,90,60,000**
	घटाईए: चालू वर्ष के दौरान उपयोग	**Less : Utilised During Current Year**		**8,74,42,850**	**68,64,000**
	गत वर्ष में उपयोगिता	: Utilised Earlier Year		6,06,42,083	5,37,78,083
	क्षेत्रीय फिल्म की सम्पत्ति सूची	: Inventory of Regional Film		10,75,94,792	6,73,87,179
	क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिए अग्रिम	: Advance for Regional Film Production		55,01,030	14,00,830
	फिल्म निर्माण के लिए कुल निधि उपयोग (ख)	**Total Fund Utilised for Film Production (B)**	**(ख) (B)**	**26,11,80,754**	**12,94,30,092**
	विभिन्न फिल्मों के लिए आंबटित	**As allocated for various films**	**शेष (क-ख) Balance (A-B)**	**10,97,83,246**	**6,96,29,908**

टिप्पणी : 6 व्यापारिक भुगतान
Note : 6 TRADE PAYABLES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		गैर चालू Non-Current		चालू Current	
		31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011	31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011
व्यापारिक भुगतान	Trade Payable	2,41,94,673	2,16,36,995	1,27,64,15,740	1,35,51,38,967
कुल	**Total**	**2,41,94,673**	**2,16,36,995**	**1,27,64,15,740**	**1,35,51,38,967**

टिप्पणी : 7 अन्य दीर्घकालिक देयताएं
Note : 7 OTHER LONG TERM LIABILITIES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011
कंपनी के पास रखी गई अमानते	Deposit placed with the Company	32,52,082	49,67,395
कुल	**Total**	**32,52,082**	**49,67,395**

टिप्पणी : 8 दीर्घकालिक प्रावधाने
Note : 8 LONG TERM PROVISIONS

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	**Provision for Employee Benefits**		
उपदान	Gratuity	2,07,42,086	1,78,07,345
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	1,62,22,473	1,41,26,452
कुल	**Total**	**3,69,64,559**	**3,19,33,797**

टिप्पणी : 9 अन्य चालू देयताएं
Note : 9 OTHER CURRENT LIABILITIES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	Advance from Customers	23,88,12,938	18,55,64,172
निर्माण के लिए अग्रिम	Advance for Production	17,06,82,857	4,20,61,983
मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम	Advance received from Ministry	7,16,88,634	7,99,78,065
कंपनी के पास रखी गई अमानते	Deposit placed with the Company	37,04,400	–
सांविधिक देय	Statutory Dues	7,82,21,967	12,18,44,248
अन्य देयताएं	Other Liabilities	2,90,98,623	36,57,595
कुल	**Total**	**59,22,09,419**	**43,31,06,064**

टिप्पणी : 10 अल्पावधिक प्रावधाने
Note : 10 SHORT TERM PROVISIONS

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	**a) Provision for Employee Benefits**		
उपदान	Gratuity	10,60,252	9,37,229
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	30,01,932	24,44,036
ख) अन्य	**b) Others**		
कराधान के लिए	For Taxation	33,00,000	33,00,000
कुल	**Total**	**73,62,184**	**66,81,265**

टिप्पणी : 11 स्थायी परिसम्पत्तियां और मूल्यह्रास
Note : 11 FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

राशि रुपयों में
Amount in ₹

क्र. सं. Sl. No.	विवरण	Particulars	सकल सम्पत्ति (लागत मूल्य पर) Gross Block (at Cost)						मूल्य-ह्रास Depreciation						शुद्ध सम्पत्ति Net Block	
			01.04.2011 को	वृद्धियां	कटौतियां	बट्टेखाते के लिए समंजन	बिक्री के लिए समंजन	31.03.2012 को	01.04.2011 तक	कटौतियां	बट्टेखाते के लिए समंजन	बिक्री के लिए	वर्ष के लिए	कुल मूल्यह्रास	31.03.2012 को	31.03.1011 को
			As at 01.04.2011	Additions	Deductions	Adjustment for Written off	Adjustment for Sale	As at 31.03.2012	upto 01.04.2011	Deductions	Adjustment for Written off	Adjustment for Plant for Sale	For the Year	Total Depn. upto 31.03.2012	As at 31.03.2012	As at 31.03.2011
A.	वास्तविक परिसम्पत्तियां	TANGIBLE ASSETS														
1	पट्टेपर भूमि	LEASEHOLD LAND	1,38,000	–	–	–		1,38,000	42,120	–	–		1,453	43,573	94,427	95,880
2	इमारत (15 मि.मि.)	BUILDING - 16 MM	5,72,487	–	–	–		5,72,487	5,72,486	–	–		–	5,72,486	1	1
3	इमारत (उपशीर्षक एकक)	BUILDING - SUB-TITLING	5,66,286	–	–	–		5,66,286	4,24,171	–	–		7,125	4,31,296	1,34,990	1,42,115
4	कार्यालय स्थान	OFFICE PREMISES	92,77,323	2,03,112	–	–		94,80,435	53,69,125	–	–		1,99,140	55,68,265	39,12,170	39,08,198
5	ओनरशीप फ्लैट	OWNERSHIP FLATS	4,08,885	–	–	–		4,08,885	3,08,746	–	–		5,007	3,13,753	95,132	1,00,139
6	वी.सी.आर. उपकरण	V. C. R. EQIPMENTS	1,16,17,794	85,050	26,804	12,66,736	–	1,04,09,304	1,01,97,660	9,054	12,00,740	–	1,48,356	91,36,222	12,73,082	13,03,045
7	16 मि.मि. अवस्थापन	16 MM INTRASTRUCTURE	3,09,50,840	–	–	33,04,323		2,76,46,517	2,91,32,450	–	31,64,691		2,62,717	2,62,30,476	14,16,041	18,18,390
8	वीडियो स्टुडिओ	VIDEO STUDIO	4,63,06,664	7,00,249	2,44,625	69,63,463	–	3,97,98,825	3,61,23,557	21,011	62,38,301	–	26,05,942	3,24,70,187	73,28,638	1,01,83,108
9	विशेष प्रभाग	SPECIAL EFFECTS	99,97,961	–	–	99,97,961		–	94,98,063	–	94,98,063		–	–	–	4,99,898
10	सिनेमा उपकरण (प्रदर्शन के लिए)	CINEMA EQUIPMENTS (EXHIB)	99,87,934	2,35,644		17,21,143		85,02,435	25,63,955	–	15,35,556		14,92,841	25,21,240	59,81,195	74,23,979
11	सिनेमा उपकरण (वितरण के लिए)	CINEMA EQUIPMENTS (DIST)	65,953	–	–	–		65,953	65,778	–	–		35	65,813	140	175
12	कार्यालय उपकरण	OFFICE EQUIPMENTS	85,91,880	70,02,706	30,85,045	7,12,330	7,16,789	1,25,14,001	44,98,269	23,19,547	5,49,066	6,36,746	11,95,789	34,62,191	90,51,810	40,09,976
13	कम्प्यूटर	COMPUTERS	61,25,829	23,64,209	–	5,77,376	31,18,729	1,10,31,391	38,35,655	–	5,25,058	28,51,505	13,28,714	74,90,816	35,40,575	22,16,575
14	सज्जासामग्री और उपस्कर	FURNITURE & FIXTURE	1,37,73,334	1,64,63,740	39,79,467	4,18,849	4,35,449	2,62,74,208	52,86,026	29,70,660	4,00,035	3,75,485	32,42,510	55,33,326	2,07,40,882	84,27,091
15	वाहन	VEHICLES	15,92,656	15,15,632	2,47,720	–	–	28,60,568	11,03,285	2,37,345	–	–	3,57,049	12,22,989	16,37,579	4,89,371
16	लेजर स्टुडिओ	LASER STUDIO	5,91,39,991	–	49,734	49,29,741	27,118	5,41,87,634	5,64,84,429	45,668	47,29,383	13,476	3,69,515	5,20,92,370	20,95,264	26,55,562
17	इलेक्ट्रिकल फिटिंग	ELECTRICAL FITTINGS	1,57,370	2,54,475	–	–	–	4,11,845	14,550	–	–	–	33,890	48,440	3,63,405	1,42,820
18	अस्थायी संरचना	TEMPORARY STRUCTURE	–	97,203	–	–	–	97,203	–	–	–	–	97,203	97,203	–	–
19	बिक्री के लिए संयंत्र	PLANT HELD FOR SALE	5,78,03,240	–	–	5,35,05,158	42,98,082	–	5,37,83,009	–	4,99,05,795	38,77,214	–	–	–	40,20,231
20	टेलिसिने उपकरण	TELECINE EQUIPMENTS	1,07,90,801	–	–	1,07,90,801	–	–	1,05,38,801	–	1,05,38,801	–	–	–	–	2,52,000
	कुल	TOTAL	**27,78,65,229**	**2,89,22,021**	**76,33,395**	**9,41,87,880**	**–**	**20,49,65,978**	**22,98,42,134**	**56,03,286**	**8,82,85,488**	**–**	**1,13,47,288**	**14,73,00,646**	**5,76,65,331**	**4,76,88,554**
B.	पूंजी डब्ल्यूआईपी	CAPITAL WIP	**28,85,731**	**5,39,329**	**28,85,731**	**–**	**–**	**5,39,329**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**5,39,329**	**28,85,731**
	कुल	**TOTAL**	**28,07,50,960**	**2,94,61,350**	**1,05,19,126**	**9,41,87,880**	**–**	**20,55,05,307**	**22,98,42,134**	**56,03,286**	**8,82,85,488**	**–**	**1,13,47,288**	**14,73,00,646**	**5,82,04,660**	**5,05,74,285**
	गत वर्ष कुल	**PREVIOUS YEAR TOTAL**	**26,07,48,409**	**2,44,96,790**	**33,60,209**		**11,34,031**	**28,07,50,958**	**22,44,82,646**	**27,71,062**			**81,30,550**	**22,98,42,134**	**5,05,74,285**	**3,59,31,224**

टिप्पणियां

1) पट्टेपर इमारत 16 एमएम की अवधि समाप्त हुई और निगम निरंतर इसका उपयोग हो रहा है. इसलिए वह परिसम्पत्ति रु. 1/- के निवल परिसम्पत्ति उसमें उत्पन्न हुए में दिखाया गया है .

2) परिसम्पत्तियां की बिक्री के लिए पहुचाये गए शुद्ध मूल्य समान अपेक्षित है अथवा निम्नानुसार दर्शाये गये क्रमश: कई समान शुद्ध मूल्य से ज्यादा है.

3) वर्ष के दौरान कोलकता में कार्यालय इमारत के नवीकरण के लिए प्राप्य व्यय पूंजीगत डब्ल्यू आई पी के अंतर्गत अलग दर्शाया है.

4) 31.03.2011 को शुद्ध ब्लॉक 31.03.2011 को हुई हानि के लिए रु. 3,34,539/- प्रावधान (बीसीआर उपकरण रु. 117,069/-, कार्यालय उपकरण रु. 83,635/-, कम्प्यूटर रु. 73,599/- और सज्जा सामग्री और उपस्कर रु. 60,216/- सहित) जोकि चालू वर्ष के दौरान वापिस किये गए.

NOTES

1) The period of Leasehold Building 16MM has expired and the Corporation continue to use the same. Therefore this assets is shown at Re.1/- in the Net Block

2) The net realisable value of the assets identified for sale are expected to be equal to or more than the value shown under Net Block of the respective assets.

3) The expenditure incurred during the year on renovation of office building at Kolkata is shown separetely under Capital WIP.

4) Net block as on 31-03-2011 is net of Rs. 3,34,539/- provision for impairment existing as on 31-03-2011 (Including provision on VCR Equipment Rs 117,089/-, Office Equipment Rs 83635/-, Computers Rs 73,599/- and Furniture & Fixtures Rs 60,216) which has been written back during the current year.

टिप्पणी : 12 दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम
Note : 12 LONG TERM LOANS AND ADVANCES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012		31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011	
1. कर्मचारियों के लिए ऋण एव अग्रिम	**1. Loans and advances to Staff**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good,		7,89,002		9,86,710
2. फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण	**2. Loans for Production of Films**				
संदिग्ध	Doubtful	1,44,02,720		1,44,02,720	
घटनाए: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	Less:Provision for doubtful loans	1,44,02,720	–	1,44,02,720	–
3. सिनेमागृह के निर्माण के लिए ऋण	**3. Loans for Construction of Theatres**				
संदिग्ध	Doubtful	2,98,703		2,98,703	
घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less:Provision for doubtful loans	2,98,703	–	2,98,703	–
4. अमानते	**4. Deposits**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	89,97,638		87,91,268	
असंदिग्ध	Considered Doubtful	31,230		31,230	
घटाइए: संदिग्ध अमानता के लिए प्रावधान	Less :Provision for Doubtful Deposits	31,230	89,97,638	31,230	87,91,268
कुल	**Total**		**97,86,640**		**97,77,978**

टिप्पणी : 13 व्यापारिक प्राप्ति
Note : 13 TRADE RECEIVABLES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		गैर चालू Non-Current		चालू Current	
		31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011	31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011
अप्रतिभूत प्राप्ति	Unsecured				
क) छः महिने से ज्यादा बकाया व्यापारिक प्राप्तियां	a) Trade Receivables outstanding more than six months				
असंदिग्ध	Considered Good	60,59,814	89,10,900	4,33,72,958	4,69,32,360
संदिग्ध	Considered Doubtful	20,93,85,725	20,01,02,433	–	–
		21,54,45,539	20,90,13,333	4,33,72,958	4,69,32,360
घटाईए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Debts	20,93,85,725	20,01,02,433	–	–
		60,59,814	89,10,900	4,33,72,958	4,69,32,360
ख) अन्य	b) Others				
असंदिग्ध	Considered Good	–	–	68,60,31,162	86,86,16,641
कुल	**Total**	**60,59,814**	**89,10,900**	**72,94,04,120**	**91,55,49,001**

जैसे की संग्रहण की नियत तारीख परिभाषित नही की है इसलिए बिल की तारीख को नियत तिथि माना गया है.
As the due date of collection has not been defined hence bill date is considered as due date.

टिप्पणी : 14 सम्पत्ति सूची
Note : 14 INVENTORIES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012		31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011	
क) कार्य जारी	a) Work-in-Progress				
निर्माणाधीन फिल्म	Film under Production	–	–	45,89,257	
		–	–	–	45,89,257
ख) तैयार सामान	b) Finished Goods				
पूरी की गई फिल्में	Completed Films	259		243	
ब्लैंक वीडियो कैसेटों की संख्या	Stock of Blank Video Cassettes	1,67,768		1,25,210	
सोना	Gold	1,938		1,938	
			1,69,965		1,27,391
कुल	**Total**		**1,69,965**		**47,16,648**

टिप्पणी : 15 रोकड़ और बैंक शेष
Note : 15 CASH AND BANK BALANCES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

			31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011
1.	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	1. Cash and Cash Equivalent		
क)	बैंक में शेष	a) Balances with Banks		
	चालू खाते में	In Current Account	9,13,29,290	26,51,73,353
	मूल परिपक्वता के साथ 3 महिनों से कम की स्थायी जमापूंजी	Fixed Deposits with original maturity of less than 3 months	91,51,93,396	2,98,04,819
ख)	रोकड बाकी	b) Cash on Hand	1,59,206	79,683
ग)	फ्रँकिंग मशीन में शेष	c) Balance with Franking Machine	–	1,614
			1,00,66,81,892	29,50,59,469
2.	अन्य बैंक शेष	2. Other Bank Balance		
क)	बैंक में शेष	a) Balances with Banks		
	मूल परिपक्वता के साथ 3 महिनों से अधिक लेकिन 12 महिनों से कम की स्थायी जमापूंजी	Fixed Deposits with original maturity for more than 3 months but less than 12 months	8,36,66,442	51,35,80,428
	कुल	Total	1,09,03,48,334	80,86,39,897

टिप्पणी : 16 अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम
Note : 16 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

			31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012		31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011	
1)	कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अग्रिम	1) Loans and advances to Staff				
	अप्रतिभुत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good		4,35,433		3,67,396
2)	नगद या वस्तु रुप में प्राप्य मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	2) Advances recoverable in cash or kind for value to be received				
	अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	1,23,10,921		13,30,78,809	
	संदिग्ध	Considered Doubtful	12,18,000		12,18,000	
	घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Loans	12,18,000	1,23,10,921	12,18,000	13,30,78,809
	सेवा कर प्राप्ति	Service Tax Receivable	18,37,75,108		3,15,00,340	
	वैट प्राप्ति	VAT Receivable	43,88,421		20,34,536	
	कर का अग्रिम भुगतान	Advance Payment of Tax	11,12,85,715	29,94,49,244	7,59,25,835	10,94,60,711
3)	स्वकीय फिल्मों के लिए अग्रिम	3) Advances for Own Production of Films				
	अप्रतिभूत, संदग्ध	Unsecured, Considered Good		1,01,932		4,02,815
4)	सह निर्माण फिल्मों के लिए अग्रिम	4) Advances for Co-Production of Films				
	अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	–	–		1,01,932
	कुल	Total		31,22,97,531		24,34,11,663

टिप्पणी : 17 अन्य चालू परिसम्पत्तियां
Note : 17 OTHER CURRENT ASSETS

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		31 मार्च 2012 को As at 31 March 2012	31 मार्च 2011 को As at 31 March 2011
स्थायी जमा पर उपार्जित व्याज	Interest Accured on Fixed Deposit	82,29,399	32,93,231
कुल	Total	82,29,399	32,93,231

टिप्पणी : 18 प्रचालन से आय
Note : 18 REVENUE FROM OPERATION

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		वर्ष 2011-12 Year 2011-12		वर्ष 2010-11 Year 2010-11	
फीचर फिल्म निर्माण	Feature Film Production		8,74,42,850		68,64,000
गैर फीचर फिल्म निर्माण	Non Feature Film Production		26,94,80,598		8,89,76,944
मीडिया कैम्पेन	Media Campaign		1,97,21,76,234		1,62,32,52,449
फिल्मों का वितरण	Distribution of Films				
विदेशी	Overseas	1,34,77,839		1,01,94,504	
घरेलू	Domestic	1,68,36,952	3,03,14,791	2,98,56,911	4,00,51,415
सेवा परियोजनाएं	**Service Projects**				
उपशीर्षकांकन	Sub-titling		1,55,20,485		1,07,07,106
उपकरणों का किराया	Hiring of Equipments		37,55,066		65,49,555
कार्यशाला/बाजार/फिल्म बाजार	Workshop/Market/Film Bazar		9,84,77,268		1,55,61,648
प्रशिक्षण	Training		34,92,443		31,59,207
विदेशी परियोजनाएं	Overseas Projects		–		1,73,65,655
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre		37,11,500		–
कुल	**Total**		**2,48,43,71,236**		**1,81,24,87,979**

टिप्पणी : 19 अन्य आय
Note : 19 OTHER INCOME

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		वर्ष 2011-12 Year 2011-12	वर्ष 2010-11 Year 2010-11
फिल्म ऋणों पर ब्याज	Interest on Film Loan	–	3,20,325
कार्यालय भवन का किराया	Rent from Office Premises	93,11,980	89,97,423
कर्मचारी अग्रिम पर व्याज	Interest on Staff Advance	17,417	31,049
बैंक स्थायी जमाराशि पर व्याज	Interest on Bank Fixed Deposit	5,33,90,061	2,55,14,206
अन्य आय	Other Income	6,59,160	18,20,784
प्रक्रिया शुल्क द्वारा ऋण आवेदनों की बिक्री	Sale of Loan Application from Processing Fees	–	1,30,352
विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के उतार चढाव	Profit on Foreign Exchange Fluctuations	13,48,076	506
अनावश्यक देयताएं वापिस	Liabilities no longer required written back	80,05,202	–
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	Profit on Sale of Assets		1,67,005
सेवा प्रभार	Service Charges	–	5,00,000
कुल	**Total**	**7,27,31,895**	**3,74,81,650**

टिप्पणी : 20 प्रचलित व्यय
Note : 20 OPERATING EXPENDITURE

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		वर्ष 2011-12 Year 2011-12		वर्ष 2010-11 Year 2010-11	
फीचर फिल्म निर्माण	Feature Film Production		7,94,93,498		62,40,000
गैर फीचर फिल्म निर्माण	Non Feature Film Production		22,56,41,046		7,45,33,018
मीडिया कैम्पेन	Media Campaign		1,91,95,82,525		1,55,27,45,940
फिल्मों का वितरण	Distribution of Films				
विदेशी	Overseas	31,08,251		49,23,917	
घरेलू	Domestic	1,35,02,939	1,66,11,190	2,32,92,716	2,82,16,633
सेवा परियोजनाए	**Service Projects**				
उपशीर्षकांकन	Sub-titling		59,54,491		37,55,292
उपकरणों का किराया	Hiring of Equipments		22,24,037		38,12,918
कार्यशाला/बाजार/फिल्म बाजार	Workshop/Market/Film Bazar		10,89,73,132		2,03,69,459
विदेशी परियोजनाए	Overseas Projects		–		88,00,000
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre		6,70,020		–
कुल	**Total**		**2,35,91,49,938**		**1,69,84,73,260**

टिप्पणी : 21 कर्मचारी लाभ व्यय
Note : 21 EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		वर्ष 2011-12 Year 2011-12	वर्ष 2010-11 Year 2010-11
वेतन, भत्ते और बोनस	Salaries, Wages and Bonus	5,87,06,431	3,38,76,765
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	Contributions to Provident Fund and other Fund	40,07,996	31,22,352
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	31,99,371	5,41,805
उपदान	Gratuity	39,66,742	3,85,661
कर्मचारी कल्याण व्यय	Staff Welfare Expenses	9,04,711	34,62,725
कुल	**Total**	**7,07,85,251**	**4,13,89,308**

टिप्पणी : 22 अन्य व्यय
Note : 22 OTHER EXPENSES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		वर्ष 2011-12 Year 2011-12	वर्ष 2010-11 Year 2010-11
विज्ञापन और प्रचार	Advertisement and Publicity	10,54,903	6,33,611
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	Auditors Remuneration	4,50,000	3,50,000
बैंक प्रभार	Bank Charges	65,773	53,488
कोरपोरेट मनोरंजन	Corporate Entertainment	22,95,608	3,87,041
निदेशकों का यात्रा व्यय	Director's Travelling Expenses	19,84,778	12,25,754
बिजली प्रभार	Electricity Charges	28,09,518	28,89,212
बीमा	Insurance	2,61,146	3,55,478
विधि व्यय	Legal Expenses	9,55,894	21,12,227
परिसम्पत्तियाँ की बिक्री से हानि	Loss on Sale of Assets	16,14,586	–
विविध	Miscellaneous	19,59,587	42,64,146
डाक, तार, टेलेक्स और टेलिफोन व्यय	Postage,Telgrams, Telex and Telephone Expenses	26,27,727	20,84,634
छपाई और लेखन सामग्री	Printing & Stationery	13,95,607	10,53,678
व्यावसायिक प्रभार	Professional Charges	58,62,016	38,28,814
उपकर और कर	Rates & Taxes	48,53,752	38,49,202
भाडा देय	Rent Paid	92,21,206	88,01,398
मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance	32,00,016	42,68,406
पटकथा प्रक्रिया व्यय	Script Processing Expenses	–	37,638
सीक्यूरिटी सेवा प्रभार	Security Srevices Charges	8,33,367	8,09,633
यात्रा और स्थानिक यात्रा व्यय	Travelling and Local Conveyance Expenses	58,94,989	32,45,085
प्रदत्त सेवा कर	Service Tax Paid	14,23,168	–
प्रदत्त सीएसटी/वैट	CST/VAT Paid	2,43,430	–
कुल	**Total**	**4,90,07,072**	**4,02,49,443**

लेखा परीक्षकों का देय
Payments to the Auditor

		वर्ष 2011-12 Year 2011-12	वर्ष 2010-11 Year 2010-11
लेखा परीक्षा शुल्क	for Audit Fees	3,50,000	2,50,000
कर लेखा परीक्षा शुल्क	for Tax Audit Fees	1,00,000	1,00,000
कुल	**Total**	**4,50,000**	**3,50,000**

टिप्पणी : 23 वित्तीय लागत
Note : 23 FINANCE COST

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		वर्ष 2011-12 Year 2011-12	वर्ष 2010-11 Year 2010-11
व्याज व्यय	Interest Expense	6,06,243	3,13,471
कुल	**Total**	**6,06,243**	**3,13,471**

टिप्पणी : 24 स्वेच्छा सेवा निवृत्ति योजना व्यय का परिशोधन
Note : 24 AMORTISATION OF VRS EXPENSES

राशि रुपयों में
Amount in ₹

		वर्ष 2011-12 Year 2011-12	वर्ष 2010-11 Year 2010-11
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	19,087	49,34,421
उपदान	Gratuity	89,972	89,78,245
अनुग्रही	Ex Gratia	–	2,81,59,691
सूचना वेतन	Notice Pay	–	1,79,234
छुट्टी मात्रा रियायत	Leave Travel Concession	–	3,50,000
कुल	**Total**	**1,09,059**	**4,26,01,591**

टिप्पणी : 25 आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया
Note : 25 Contingent Liabilities not provided for

राशि रुपयों में
Amount in ₹

	विवरण		Particulars	Year 2011-12	Year 2010-11
1.	बैंक गारंटिया	1.	Bank Guarantees	4,95,000	4,95,000
2.	फिल्म वितरण व्यवसाय हेतु विक्रीकर प्राधिकारी से दावें, जिनके लिए अपील की गई हैं.	2.	Claims from the Sales Tax Authorities for film distribution business for which appeal has been filed.	–	20,70,367
3.	निगम के विरुद्ध कानूनी प्रकरण	3.	Legal cases against the Corporation.	5,60,58,811	5,22,39,811
4.	परिसर हेतु किराये में वृद्धि के लिए निगम विरुद्ध दावा, सिविल न्यायालय में अनिर्णित ऋण की वजह से मान्य नहीं किये गये	4.	Claim against Corporation for increase in rental for the premises not acknowledge as debts pending in Civil Court.	10,38,080	10,38,080
5.	दुष्प्रस्तुतीकरण एवं दस्तावेजों को जब्त करने के आरोप में पहले निलंबन हुए वरिष्ठ महाप्रबंधक को देय शेष वेतन	5.	Balance salary payable to Senior General Manager, suspended earlier on the charges of mis-representation of facts and impounding of documents.	8,46,016	8,46,016
	कुल		**Total**	**5,84,37,907**	**5,66,89,274**

टिप्पणी : 26

विविध देनदारों ऋण एवं अग्रिमों जमानतों तथा चालू देयताओं, जिसमे कुछ शेष आयकर, टी डी एस, वैट तथा सर्विस टैक्स से संबंधित हैं, और कुछ शेष पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे हैं, के लेखाओं के शेषो का पुष्टिकरण तथा समंजन के उपरांत आई राशि, यदि कोई हो, और उसका वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव हो तो इसका अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता.

Note: 26

The balances in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits and Current Liabilities including few balances in respect of Income Tax, TDS, VAT and Service Tax including outstanding balances since last few years are subject to confirmation and consequential adjustment, if any on reconciliation. The financial impact, if any, is unascertainable.

टिप्पणी : 27.1 अशोध्य एवं संदिग्ध देनदारों के लिये प्रावधान

वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध देनदारों के लिये रु. 1,00,36,000/- (पिछले वर्ष रु. 28,34,330/-) के विविध देनदारों तथा ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा रु. 35,86,489/- (पिछले वर्ष कुछ नहीं) के प्रावधान को बट्टे खाते से वापस किया गया.

Note: 27.1 Provision for Bad and Doubtful Debts

During the year provision for bad and doubtful debts of Rs 1,00,36,000/- (Previous year Rs. 28,34,330/-) has been made towards Sundry Debtors and Loans and Advances. Besides, provision of Rs. 35,86,489/- (Previous year Nil) was written back.

टिप्पणी : 27.2 बट्टे खाते में डाले गये संदिग्ध लेनदार.

प्रबंधन ने संदिग्ध लेनदार के ऐसे मामलों को जहां वसूली के अवसर नगण्य हैं, बट्टे खाते में डालने का निर्णय किया गया है. तदनुसार वर्ष के दौरान रु.40,84,170/- की लेनदारी राशि के प्रावधान को बट्टे खाते से वापस किया गया.

Note: 27.2 Creditors Written Back

The management of the Corporation has decided to write off creditors in cases were there is no likelihood of liability arising. Accordingly during the year creditors amounting to Rs. 40,84,174/- have been written back.

टिप्पणी : 28 कर्मचारी कल्याण
Note : 28 Employee Benefits

बीमांकित मूल्यांकर के अनुसार यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यांकित
Valued as per Actuarial valuation using Projected Unit Credit Method

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2012 Gratuity (Funded) March 31, 2012	छुट्टी का भुगतान (अनधिक) मार्च 31, 2012 Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2012
(i) लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में स्वीकृत व्यय **(i) Expense recognized in the Statement of Profit & Loss Account**			
चालू सेवा लागत	Current Service Cost	8,40,575	23,87,042
व्याज लागत	Interest Cost	14,53,007	14,27,709
योजित परिसम्पत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	Expected Return on Plan Assets	(97,707)	–
कुल बीमांकित (वृद्धि)/हानियां	Net Actuarial (Gains) / Losses	27,02,464	(446,228)
प्रारम्भिक शेष	Difference in Opening	(9,31,579)	–
कुल	**Total**	**39,66,742**	**33,68,523***
(ii) तुलन पत्र में स्वीकृत शुद्ध परिसम्पत्तियां / (देयताएं) **(ii) Net Assets/ (Liability) recognized in the Balance Sheet**			
निर्धारित दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Defined Obligation	2,31,58,634	1,92,24,405
योजित परिसम्पत्ति का शुद्ध मूल्य	Fair Value of Plan Assets	13,56,296	–
वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(घाटा)	Funded Status [Surplus /(Deficit)]	–	–
अंतर	Difference	–	–
शुद्ध परिसम्पत्ति / (देयताएं)	Net Asset / (Liability)	(2,18,023,38)	(1,92,24,405)
(iii) वर्ष के दौरान दायित्व और परिवर्तन **(iii) Change in Obligation during the year**			
वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of the Defined Benefit Obligation at the beginning of the Year	1,81,62,588	1,65,70,488
चालू सेवा लागत	Current Service Cost	8,40,575	23,87,042
व्याज लागत	Interest Cost	14,53,007	14,27,709
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	Actuarial (Gains) / Losses	27,02,464	(4,46,228)
लाभ भुगतान	Benefit Payments	–	(7,14,605)*
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of the Defined Benefit obligation at the end of the year	2,31,58,634	1,92,24,405

(iv) वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियाँ में बदलाव
(iv) Change in Assets during the year

वर्ष के प्रारम्भ में योजित परिसम्पत्तियाँ का शुद्ध मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the Year	3,49,611	–
प्रारम्भिक शेष का अंतर	Difference in Opening Balance	–	–
योजित परिसम्पत्तियाँ पर अपेक्षित रिटर्न	Expected Return on Plan Assets	97,707	–
नियोक्ता द्वारा अंशदान	Contribution by Employer	9,08,978	–
प्रदत्त वास्तविक लाभ	Actual Benefits Paid	–	–
योजित परिसम्पत्ति पर बीमांकित लाभ / (हानियां)	Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets	–	–
वर्ष के अंत में योजित परिसम्पत्तियाँ का शुद्ध मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the year end	13,56,296	–

(v) वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियाँ में बदलाव
(v) Actuarial Assumptions

बट्टे की दर	Discount Rate	8.00%	8.50%
योजित परिसम्पत्तियाँ का दर	Rate of Return on Plan Assets	5.00%	–
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	5.00%	7.00%

*पिछले वर्ष के वस्तुत: आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

*इसमें वर्ष के दौरान उपलब्ध छुट्टी का नगदीकरण भी शामिल है जिसका लेखा वर्ष के दौरान दिये गये वेतन में किया गया हैं.

(क) भविष्य में होने वाली वेतन में बढोत्तरी के अनुमानों का वस्तुत: मूल्यांकन में प्रावधांन करते समय मुद्रास्फीति की दर का लंबी अवधि के आधार पर विचार किया गया है.

(ख) निगम की नीति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है.

Previous years actuarial data is not available.

*Including Leave Benefit availed during the year which is accounted in Salary paid during the year.

a) The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation takes into account the inflation rate on Long term basis.

b) The employees of the company retire at the age of 60 years as per the policy of the corporation.

टिप्पणी : 29
Note : 29

भारत सरकार की ओर से निगम को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 15 फिल्मों तथा तीन फिल्में हिंदी /अंग्रेजी भाषा में बनाने के लिये रु. 36,00,00,000/- के अनुदान सहायता की राशि मंजूर हुई. निगम को यह राशि इस प्रकार प्राप्त हुई:

The Government of India has sanctioned a Grant in Aid of Rs.36,00,00,000/- for production of fifteen films in various Regional Languages and three films in Hindi/English language. The corporation received the amount as follows:

वर्ष	अनुदान प्राप्त राशि	Year	Amount of Grant received
2008-09	6,50,00,000	2008-09	6,50,00,000
2009-10	7,84,00,000	2009-10	7,84,00,000
2010-11	9,99,00,000 *	2010-11	9,99,00,000 *
2011-12	11,67,00,000	2011-12	11,67,00,000
कुल	**36,00,00,000**	**Total**	**36,00,00,000**

* (रु. 4,99,00,000 अप्रैल 2011 में पास)
* (Rs 4,99,00,000 received in April,2011)

निगम ने इस राशि का उपयोग क्षेत्रीय भाषा की 23 फिल्मों के निर्माण में किया. इन 23 फिल्मों में से पांच फिल्मों का निर्माण वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया. प्राप्त अनुदान राशि में से निगम ने सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र तथा निगम के द्वारा प्रस्तुत वास्तविक राशि के आधार पर वर्ष के दौरान रु. 7,94,93,498/- (पिछले वर्ष 6,06,42,083/-) खर्च किये गये. रु. 8,74,42,850/- की यही राशि लाभ हानि लेखे में आय के रूप में दर्ज की गई.

जो फिल्में निर्माणाधीन हैं, उन पर किया गया तथा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित रु. 1,75,94,792/- का खर्च संपत्ति सूची के रूप में दर्शाया गया है. रु. 55,01,030/- की शेष राशि क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिये अग्रिम के रूप में दिखाई गई है. प्राप्त अनुदान सहायता राशि तथा शेष रु. 10,97,83,246/- ए एस 12 के अनुसार आस्थगित सरकारी अनुदान के रूप में दिखाई गई है.

टिप्पणी : 30

निदेशक मंडल ने 15 सितंबर 2009 को आयोजित अपनी पहली बैठक में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्राप्त पत्र संख्या 202/21/2009 - एफ (पी यू सी) दिनांक 06.08.09 पर विचार किया. निदेशक मंडल का यह मानना था कि फिल्म उद्योग में प्रचलित मानकों के अनुरूप ही राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को भी निर्माता की फीस के रूप में फिल्म निर्माण की कुल लागत का 10% तथा इसके द्वारा संपन्न कराई गयी सभी बिक्रियों पर 15% कमीशन मिलना चाहिये. इसी के अनुरूप निगम ने वर्ष के दौरान पूरी हुई पांच फिल्मों के कुल निर्माण व्यय में से रु. 79,49,352/- निर्माता की फीस के तथा 9,36,000/- फिल्मों की बिक्री के कमीशन के रूप में दर्शाये हैं. जिन्हें फिल्म वितरण में शामिल किया गया है.

टिप्पणी : 31

मीडिया रिलीजों के लिये आय स्वीकृत वर्ष के दौरान लिये गये मीडिया कैंपबेंस के अपने अपने आय व्यय के लेखे, टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट/प्रदर्शित किये गये विज्ञापनों के मूल्य का ग्राहक/मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वास्तविक मूल्य से सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापन/प्रमाणन के बाद किया जाता है. मीडिया अभियान से सम्बंधित आय तथा व्यय जिसके लिए विज्ञापन का सफल प्रसारण /स्वरुप का वास्तविक मूल्य की सत्यापन/प्रमाणन प्रक्रिया, सम्बंधित अभियान की विमोचन राशि के आधार पर, विज्ञापन का प्रसारण /स्वरुप में अनुमानित 15%की कमी के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है.

टिप्पणी : 32

निदेशक मंडल की राय में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों की व्यय राशियां सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत वसूल हो जाएंगी. मूल्यह्रास और सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान पर्याप्त है और आवश्यकतानुकूल राशि से ज्यादा नहीं समझा जाएगा.

टिप्पणी : 33

कंपनी को अति लघु, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्तों से उनकी श्रेणी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है. गत वर्ष के अंत में भुगतान न की गई राशि ब्याज सहित अथवा देय से संबंधित प्रकटीकरण, यदि कोई है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, नहीं दिया गया है. वर्ष के अंत में विविध लेनदार संबंधित पार्टियों से पुष्टीकरण के अधीन है. कंपनी ने तुलनपत्र की तारीख को सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान किया है.

टिप्पणी : 34

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष क दौरान फिल्मों के पुनरुद्धार और उनके डिजिटलीकरलण के लिये रु. 5,00,00,000/- की राशि स्वीकृत की. इतनी ही राशि (5,00,00,000/-) पिछले वर्ष भी स्वीकृत की गई थी. इसमें से वर्ष के दौरान रु. 7,27,74,030/-की राशि खर्च की गई. इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्मतिथि समारोहों के एक भाग के तौर पर फिल्में/वृत्तचित्र/एवं दृश्य श्राव्य कार्यक्रमों आदि के निर्माम के लिये वर्ष के दौरान 3,85,00,000/- की राशि तथा

The Corporation has utilized these grants for production of 23 regional films. Out of the 23 films, 5 films were completed during the year. The Corporation has expensed out Rs.7,94,93,498/- during the year (previous year Rs.6,06,42,083/-) from the grant amount on the basis of CA certificate and actual amount incurred by the Corporation. An amount of Rs.8,74,42,850/- is recognized as revenue in Profit & Loss A/c.

The expenditure incurred on films which are in progress, to the extent certified by CA amounting to Rs.10,75,94,792/- is shown as Inventory. The balance amount of Rs.55,01,030/- is shown as Advance for regional film production. The amount of grant received and the balance amount of Rs.10,97,83,246/- is shown as Deferred Government Grant as per AS 12.

Note: 30

The Board of Directors in their meeting held on 15th Sept. 2009, considered the letter No.202/21/2009 – F (PSU) dated 06/08/09 received from the Ministry of Information & Broadcasting and was of the view that NFDC should be given a Producer Fee of 10% of the total cost of production of a film and 15% Commission on all sales effected by it in accordance with industry norms. Accordingly the Corporation has accounted for Rs.79,49,352/- as Producer Fees in the current year in respect of five film completed during the year and Rs.9,36,000/- as commission on sale of films which is included in Distribution of films.

Note: 31

Revenue recognition for Media Releases, Revenue and Expense of respective Media Campaign undertaken during the year is accounted for after due verification /certification by a Chartered Accountant of the actual value of telecast /broadcast/appearance of the advertisement out of the Release amounts approved by the client / ministry. Revenue and Expenses in respect of media campaigns for which verification/ certification of the actual value of successful telecast /broadcast/ appearance of advertisement is in process, are accounted for on the basis of Release amounts of the respective campaign, after taking effect of estimated shortfall of 15% in telecast / broadcast /appearance of advertisements.

Note: 32

In the opinion of the Board, the current assets, loans and advances have been stated at amounts that would be realized in the ordinary course of business. The provision of depreciation and for all known liabilities is adequate and not in excess of amounts considered reasonably necessary.

Note: 33

The Corporation has not received any intimation from Suppliers regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid or payable as required under the said Act have not been given. Sundry creditors at the year end are subject to confirmation from the respective parties. The Company has provided for all known liabilities as on the Balance Sheet Date.

Note: 34

The Ministry of Information and Broadcasting has sanctioned a Grant of Rs.5,00,00,000/- during the year and Rs 5,00,00,000/- in previous year for Restoration and Digitalization of films against which an amount of Rs 7,27,74,030/- were spent during the year. Further Ministry of Culture sanctioned an amount of Rs. 3,85,00,000/- during the year and Rs.5,00,00,000/- in the previous year (Rs.85,00,000/- received in

पिछले वर्ष रु. 5,00,00,000/- स्वीकृत किये थे. (इनमें से 85,00,000/- अप्रैल 2012 में प्राप्त हुए). इस राशि में से निगम ने वर्ष के दौरान रु. 6,65,52,372/- खर्च किये.

टिप्पणी : 35

निगम ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय की ओर से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया. सूचना तता प्रसारण मंत्रालय ने रु. 4,03,45,185/- तथा पर्यटन मंत्रालय ने इसके लिये रु. 4,57,54,000/- स्वीकृत किये थे. लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार इनमे से निगम ने विभिन्न मदों में रु. 10,56,47,151/-

टिप्पणी : 36

बहुत वर्षों की लेका टिप्पणियों को मानते हुए निगम ने अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड्स के अद्यतनीकरण तथा सभी जगह की संपत्ति के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिये बाहरी एजेंसी नियुक्त की. सत्यापन के बाद एजेंसी ने 16 सितंबर 2011 को प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि कुछ संपत्तियां जिनकी कुल कीमत रु. 59,02,389/- है, कम/पुरानी पड़ चुकीं/ बेकार अथवा सत्यापन योग्य नहीं हैं. निदेशक मंडल ने 21 सितंबर 2011 को हुई अपनी 144वीं मीटिंग में रु. 59,02,389/- मूल्य की इन संपत्तियों को बट्टे खाते में डाल देने की स्वीकृति प्रदान की.

टिप्पणी : 37

सन 1991 में कुछ अचल संपत्तियों को गिरवी रख देने से प्राप्त जो रु. 30,00,000/- तीन पार्टियों के पास रख दिया गया था, उसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया. पार्टियों ने यह राशि लौटाई नहीं और तत्संबंधी प्रतिभूतियों को परिसमाप्त भी नहीं किया गया. इस जमा राशि की वापसी के लिये निगम ने इन पार्टियों के विरुद्ध पंचनिर्णय कार्यवाही प्रारंभ की और दो पार्टियों के साथ इस पंचनिर्णय कार्यवाही का फैसला निगम के पक्ष में हुआ तथा दो पार्टियों को जमाराशि में से रु. 18,00,000/- निगम को लौटाने का निर्देश दिया गया. बाकी बची रु. 12,00,000/- की राशि के बारे में पंचनिर्णय कार्यवाही अभी चल रही है. इसका लेखा खातों में उल्लेख नहीं किया गया है.

टिप्पणी : 38

फिल्म 'गांधी' के संबंध में लाभ तथा वितरण शुल्क का लेखा वास्तविकता के आधार पर कर दिया गया है सिवाय इसके कि इनका लेखा वित्त वर्ष के आधार पर न करके कैलेंडर वर्ष के आधार पर किया गया है. लाभ तथा वितरण शुल्क का लेखा अनुबंध के आधार पर नियुक्त एजेंटों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर किया गया है जिन्हें कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किया गया है. निगम ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि प्राप्ति योग्य शुल्क को वित्त वर्ष के आधार पर न लेकर कैलेंडर वर्ष के आधार पर पूरे वर्ष के लिये मान लिया जाय.

टिप्पणी : 39

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में निगम ने रु. 4,07,63,120/- का मुनाफा कमाया लेकिन असमाविष्ट मूल्यह्रास, हानि या हानि की आगे लाई गई राशि को ध्यान में रखते हुए निगम को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जे.बी. के अनुसार लेखा बहियों में दर्ज करने लायक कोई लाभ नहीं हुआ. अत: लेखा बहियों में कर के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया. आगे लाई गई हानिराशि के मद्देनजर आस्थगित कर गणना का परिणाम आस्थगित कर भर के रूप में सामने आया और निगम ने खाता बहियों में विवेक स्वरूप उसे मान्य नहीं किया.

टिप्पणी : 40

टी.वी. मार्केटिंग के देनदारों से वसूली, जिसके विरुद्ध निगम ने न्यायालयों में मुकदमे दर्ज कर रखे हैं सुनिश्चित नहीं हैं. कानूनी मामलों के नतीजों का वित्तीय विवरण पर प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता.

April 2012) for production of Films/Documentaries and Audio-Visuals etc. as a part of the commemoration of 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore against which corporation spent an amount of Rs.6,65,52,372/- during the year.

Note: 35

The Corporation participated in various film festivals in India and Abroad on behalf of the Ministry of Information & Broadcasting and the Ministry of Tourism. Rs.4,03,45,185/- was sanctioned by the Ministry of Information & Broadcasting and Rs. 4,57,54,000/- by the Ministry of Tourism. The Corporation has spent an amount of Rs.10,56,47,151/- on the various items of expenditure as per Chartered Accountants Certificate.

Note: 36

Following audit comments since many years, Corporation appointed outside agency for updation of fixed assets records and carry out physical verification of assets of all locations. The agency, after verification, vide their report dated 16th September 2011 reported that some assets having net value of Rs.59,02,389/- are Short/obsolete/ junk/not verifiable. The Board of Directors in its 144th meeting held on 21st September 2011 had approved the write off of fixed assets of the value of Rs.59,02,389/-.

Note: 37

Deposits of Rs.30,00,000/- placed with three parties in 1991 are secured against mortgage of immovable properties. The parties have not refunded the deposits and securities are also not liquidated. The Corporation has initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of the deposits. Awards have been issued in favour of the Corporation against two parties for recovery of the deposit amounting to Rs.18,00,000/- for the balance amount of Rs.12,00,000/- the arbitration proceedings are still continuing. No provision has been made for the same in the books of accounts.

Note: 38

In case of Film 'Gandhi' the accounting of profits and distribution fee has been done on accrual basis except that these are accounted on calendar year basis instead of financial year basis. The fees and distribution fees are accounted based on statement of accounts received from the agents appointed under the agreement which are prepared on calendar year basis. The Corporation has ensured that the fees receivable are considered for the entire year on calendar year basis instead of financial year basis.

Note: 39

For the year ended 31st March 2012 the Corporation has earned profit of Rs 4,07,63,120/- however after taking into account lesser of unabsorbed depreciation or carried forward losses, the corporation does not have book profits as defined u/s 115JB of Income Tax Act 1961. Hence no Provision for Taxation is made in the books of accounts. In view of the carried forward losses, the deferred tax calculation results into deferred tax asset, and the corporation has not recognized the same in the books of account as a matter of prudence.

Note: 40

The recoverability of TV marketing debtors against which the Corporation has filed cases in the court of law is not certain. The impact of the outcome arising out of the legal cases on the financial statement is not ascertainable.

टिप्पणी : 41 सम्बन्धित पार्टी प्रकटन

रिपोर्टिंग उद्यम : राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

मुख्य प्रबन्धन कार्मिक :

क. श्रीमती नीना लाठ गुप्ता

ख. श्री. साहब नारायण

लेखा मानक - 18 द्वारा आवश्यकता नुसार सम्बंधित पार्टियों के साथ लेन देन निम्नवत है :

मुख्य प्रबन्धन कार्मिक

निदेशक का नाम	लेन देन का स्वरूप	राशि (रु.)
श्रीमती नीना लाठ गुप्ता प्रबन्ध निदेशक	पारिश्रमिक	16,37,292/-
श्री साहब नारायण निदेशक (वित्त)	पारिश्रमिक	15,19,214/-

Note: 41 Related Party Disclosures

Reporting Enterprise : National Film Development Corporation Ltd.

Key Management Personnel :

a. Ms. Nina Lath Gupta

b. Mr. Sahab Narain

Transactions with the Related Parties as required by AS-18 is given below:

Key Management Personnel

Name of the Director	Nature of Transaction	Amount (Rs.)
Ms. Nina Lath Gupta Managing Director	Remuneration	16,37,292/-
Shri. Sahab Narain Director (Finance)	Remuneration	15,19,214/-

टिप्पणी :42 प्रति अंश आय

विवरण	2011-12	2010-11
इक्विटी शेयरधारकों को रोप्य शुद्ध लाभ/(हानि)	Rs. 4,07,63,120	Rs. 1,68,63,398
बेसिक के लिए इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं. (इपीएस)	45,39,985	14,12,423
डाइल्यूटेड के लिए इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं. (इपीएस)	45,39,985	14,12,423
शेयर का अंकित मूल्य	Rs. 100.00	Rs. 100.00
प्रति शेयर इक्विटी - बेसिक	Rs. 8.98	Rs. 11.94
प्रति शेयर आय - डाइल्यूटेड	Rs. 8.98	Rs. 11.94

Note: 42 Earnings per Share

Particulars	2011-12	2010-11
Net Profit/(Loss) attributable to Equity Shareholders	Rs. 4,07,63,120	Rs. 1,68,63,398
Weighted Average No. of Equity Shares for Basic (EPS)	45,39,985	14,12,423
Weighted Average No. of Equity Shares for Diluted (EPS)	45,39,985	14,12,423
Nominal Value of Share	Rs. 100.00	Rs. 100.00
Equity Per Share – Basic	Rs. 8.98	Rs. 11.94
Earning Per Share – Diluted	Rs. 8.98	Rs. 11.94

टिप्पणी : 43 निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण

राशि रुपयों में

विवरण	2011-12	2010-11
प्रबन्ध निदेशकों का पारिश्रमिक इपीएफ का अंशदान	15,13,842 1,23,450	8,29,380 91,880
निदेशक वित्त का पारिश्रमिक इपीएफ का अंशदान	14,04,524 1,14,690	3,42,154 37,318

Note: 43 Particulars of Directors Remuneration

Amount in ₹

Particulars	2011-12	2010-11
Managing Directors Remuneration Contribution to EPF	15,13,842 1,23,450	8,29,380 91,880
Remuneration of Director Finance Contribution to EPF	14,04,524 1,14,690	3,42,154 37,318

नोट : 44 : खण्डीय सूचना

लेखांकन मानक 17 के अनुसार आवश्यक खण्ड सूचनाएं निम्नांकित है.

Note : 44 : Segment Reporting

The segment information required as per accounting standard 17 is given below :

विवरण	Particulars	Year 2011-12						Year 2010-11					
		फिल्म निर्माण Film Production	फिल्म वितरण Film Distribution	सेवा परियोजना Service Project	मीडिया कैम्पेन Media Campaign	अन्य Other	कुल Total	फिल्म निर्माण Film Production	फिल्म वितरण Film Distribution	सेवा परियोजना Service Project	मीडिया कैम्पेन Media Campaign	अन्य Other	कूल Total
खण्ड आय	Segment Revenue												
विदेशी बिक्री	External sales	35,69,23,448	3,03,14,791	12,49,56,763	1,97,21,76,234	7,27,31,895	**2,55,71,03,131**	9,58,40,944	4,00,51,414	5,33,43,171	1,62,32,52,449	3,74,81,651	**1,84,99,69,629**
अंतर खण्ड बिक्री	Inter segment sales	–	–	–	–	–	**–**						
कुल आय	Total revenue	35,69,23,448	3,03,14,791	12,49,56,763	1,97,21,76,234	7,27,31,895	**2,55,71,03,131**	9,58,40,944	4,00,51,414	5,33,43,171	1,62,32,52,449	3,74,81,651	**1,84,99,69,629**
खण्ड व्यय	Segment expenses	30,51,34,543	1,66,11,190	11,78,21,680	1,91,95,82,525		**2,35,91,49,938**	8,07,73,018	2,82,16,633	3,67,37,668	1,55,27,45,940	–	**1,69,84,73,258**
परिचालित लाभ/(हानि)	Operation profit/(loss)	5,17,88,905	1,37,03,601	71,35,083	5,25,93,709	7,27,31,895	**19,79,53,193**	1,50,67,926	1,18,34,782	1,66,05,503	7,05,06,509	3,74,81,651	**15,14,96,371**
व्याज व्यय	Interest expenses	–	–	–	–	6,06,243	**6,06,243**					3,13,471	**3,13,471**
मूल्य ह्रास	Depreciation	–	–	–	–	1,13,47,288	**1,13,47,288**					81,30,550	**81,30,550**
अनआंबटित व्यय	Unallocated expenses	–	–	–	–	14,52,36,542	**14,52,36,542**						**12,75,18,729**
आयकर	Income taxes	–	–	–	–	–	**–**						**–**
साधारण गतिविधियों द्वारा लाभ/(हानि)	Profit/(loss) from ordinary activities	5,17,88,905	1,37,03,601	71,35,083	5,25,93,709	(8,44,58,178)	**4,07,63,120**	1,50,67,926	1,18,34,782	1,66,05,503	7,05,06,509	2,90,37,630	**1,55,33,621**
असाधारण लाभ/(हानि)	Extra ordinary profit /(loss)						**–**	1,70,431	(7,46,111)	(1,65,862)	1,13,661	(7,01,897)	**(13,29,778)**
शुद्ध लाभ / (हानि)	Net profit /(loss)	5,17,88,905	1,37,03,601	71,35,083	5,25,93,709	(8,44,58,178)	**4,07,63,120**	1,48,97,495	1,25,80,892	1,67,71,365	7,03,92,848	2,97,39,527	**1,68,63,398**
अन्य जानकारी	Other information						**–**						**–**
खण्डीय परिसम्पतियां	Segment assets	8,10,81,654	3,40,97,686	10,32,09,659	75,58,02,822	1,23,97,69,312	**2,21,39,61,134**	1,43,27,217	27,56,55,412	55,75,56,230	31,33,24,452	1,08,58,88,949	**2,24,67,52,260**
अन्य आंबटित	Unallocated corporate assets						**–**	–	–	–	–	–	**–**
कुल परिसम्पत्तियां	Total assets	8,10,81,654	3,40,97,686	10,32,09,659	75,58,02,822	1,23,97,69,312	**2,21,39,61,134**	1,43,27,217	27,56,55,412	55,75,56,230	31,33,24,452	1,08,58,88,949	**2,24,67,52,260**
खण्डीय देयताएं	Segment liablities	18,39,60,297	5,52,63,989	9,31,68,423	1,36,06,36,879	24,73,69,069	**1,94,03,98,657**	67,96,937	5,20,60,635	2,48,42,864	1,45,96,87,679	31,00,76,364	**1,85,34,64,478**
अन आंबिटत कोपीरेट देयताएं	Unallocated corporate liabilities						**–**	–	–	–	–	–	**–**
कुल देयताएं	Total liabilities	18,39,60,297	5,52,63,989	9,31,68,423	1,36,06,36,879	24,73,69,069	**1,94,03,98,657**	67,96,937	5,20,60,635	2,48,42,864	1,45,96,87,679	31,00,76,364	**1,85,34,64,478**
पूंजीगत व्यय	Capital expenditure					5,39,329	**5,39,329**			28,85,731		2,26,10,693	**2,54,96,424**
अन्य	Other						**–**	–	–	–	–	–	**–**
कुल पूंजी गत व्यय	Total capital expenditure					5,39,329	**5,39,329**	–	–	28,85,731	–	2,26,10,693	**2,54,96,424**
मूल्यह्रास	Depreciation					1,13,47,288	**1,13,47,288**	–	–	–	–	81,26,470	**81,26,470**
अन्य	Other						**–**	–	–	–	–	–	**–**
कुल मूल्यह्रास	Total depreciation					1,13,47,288	**1,13,47,288**	–	–	–	–	81,26,470	**81,26,470**
मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर रोकड व्यय	Non cash expense other than depreciation						**–**						**–**

टिप्पणी : 45 कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची छह के भाग के परिच्छेद 3.4 सी तथा 4 डी के प्रावधानों के अनुपालन में लागू सीमा तक अतिरिक्त सूचनाएं.

i) विदेशी विनिमय में अर्जन

राशि रुपयों में

विवरण	2011-12	2010-11
एफओबी आधार पर गिने गये सामानों/अधिकारों पर निर्यात	2,21,35,933	2,00,08,297

ii) विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	2011-12	2010-11
विदेशी यात्रा/प्रतिभागिता व्यय	4,27,75,720	82,10,455

iii) लेखा परिक्षकों को भुगतान

राशि रुपयों में

विवरण	2011-12	2010-11
लेखा परीक्षण फीस	3,50,000	2,50,000
कर लेखा परीक्षण फीस	1,00,000	1,00,000

Note: 45 Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 3, 4C and 4D of the part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 to the extent applicable.

i) Earnings in Foreign Exchange

Amount in ₹

Particulars	2011-12	2010-11
Export on goods/rights calculated on FOB basis	2,21,35,933	2,00,08,297

ii) Expenditure in Foreign Currency

Amount in ₹

Particulars	2011-12	2010-11
Foreign Tours/ Participation Expenses	4,27,75,720	82,10,455

iii) Payment to Auditors

Amount in ₹

Particulars	2011-12	2010-11
Audit Fees	3,50,000	2,50,000
Tax Audit Fees	1,00,000	1,00,000

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 100186 डब्ल्यू)

राजेश जोशी
(साझेदार)
सदस्य क्र. 38526

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 29 जून 2012

As per our report of even date

For K. S. AIYAR & CO.
Chartered Accountants
(FRN 100186W)

Rajesh Joshi
(Partner)
M.No. 38526

Place: Mumbai
Dated: 29th June 2012

निदेशक मंडल की ओर से

नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक

साहब नारायण
निदेशक (वित्त)

इ.जे. पॉल
कंपनी सचिव/प्रबन्धक (वि एवं ले)

For and on behalf of Board of Directors

Nina Lath Gupta
Managing Director

Sahab Narain
Director (Finance)

E. J. Paul
Company Secretary / M (F & A)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिये

1. हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के 31 मार्च 2012 के संलग्न तुलनपत्र को तथा उस स्तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि लेखे तथा रोकड़ प्रवाह विवरण का भी लेखा परीक्षण किया है. ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के दायित्व हैं. हमारा दायित्व इन विवरणों पर हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय जाहिर करना है.

2. हमने यह लेखा परीक्षण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुरूप किया है. इन मानदंडो के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षण की योजना इस प्रकार बना कर काम करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का गलत आर्थिक विवरण नहीं दिया गया है. लेखा परीक्षण में एक टैस्ट आधार पर जांच, राशियों के समर्थक साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में खुलासा करने वाले तथ्य शामिल हैं. लेखा परीक्षण में हिसाब किताब रखने के लिये अपनाये गये सिद्धांतों की जांच प्रबंधन द्वारा लगाये गये महत्वपूर्ण अनुमानों और कुल मिला कर दिये गये आर्थिक विवरण के प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन का समावेश होता है. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण में हमारे द्वारा व्यक्त राय का पर्याप्त आधार मौजूद है.

3. जैसा कि केंद्रीय भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के संबंध में जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 जो कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (संशोधन) ऑर्डर 2004 के अनुरूप संशोधित है, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में उल्लिखित विषयों पर एक अनुलग्नक संलग्न कर रहे हैं.

4. उपर्युक्त के संदर्भ में अनुलग्नक में अपनी टिप्पणियाँ के आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

   (क) हमने वे सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिये आवश्यक थे.

   (ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा रखे गये वे सब खाते तथा बहियां, जो कानून के अनुसार आवश्यक हैं. उचित ढंग से तैयार करके रखे गये हैं. बही खातों की जांच से हमें यही अनुभूति हुई.

   (ग) इस रिपोर्ट के साथ जिस तुलनपत्र तथा लाभ हानि के विवरण तथा रोकड प्रवाह से वास्ता रहा, उसका बही खातों से सामंजस्य था.

   (घ) हमारी राय के अनुसार इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा लाभ हानि खाते तथा रोकड़ प्रवाह मानक लेखाओं के अनुरूप हैं जिनका जिक्र कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 ग) में है.

   (ङ) भारत सरकार के कानून, न्याय तथा कंपनी मामलों के मंत्रालय के नियमित मामलों के विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या जी.ए.आर. 829 (ड) दिनांक 21.10.2003 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (च) के निर्देशकों की अपात्रता संबंधी प्रावधान कॉर्पोरेशन पर लागू नहीं होते.

   (च) विविध देनदारों के कुल शेषों की वसूली, ऋण एवं अग्रिमों तथा चालू देयताएं जिनमें कुछ शेष आयकर, टी डी एस वैट और सेवा कर से संबंधित हैं, की पुष्टि होनी है और यदि कुछ हो तो तत्परिणामस्वरूप समंजन होना है. इसका यदि कोई वित्तीय परिणाम हो तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है. (देखिये नोट संख्या 26).

   (छ) सन 1991 में कुछ अचल संपत्तियों को गिरवी रख देने से प्राप्त जो रू. 30 लाख तीन पार्टियों के पास रख दिया गया था, उसके संबंध में कोई

Auditors' Report

To the Members of
National Film Development Corporation Ltd

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Film Development Corporation Limited, as at March 31, 2012 and also the Statement of Profit and Loss for the year ended on that date annexed thereto and the Cash Flow Statement for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 as amended by Companies (Auditor's Report)(Amendment) Order, 2004, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said Order.

4. Further to our comments in the Annexure referred to above, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit;

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the corporation so far as appears from our examination of those books;

   (c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   (d) In our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the accounting standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 to the extent applicable;

   (e) As per notification No GSR 829(E) dated 21-10-2003 the Government Companies are exempted from the provisions of clause 274 (1) (g) of the Companies Act 1956.

   (f) The balances in Sundry debtors, Loans and advances, Deposits and Current liabilities including few balances in respect of Income Tax TDS, Vat and Service Tax are subject to confirmation and consequential adjustment, if any, on reconciliation. The financial impact if any could not be ascertained. (refer note no. 26)

   (g) No provision has been made in respect of deposits of Rs 30 Lacs placed with 3 parties in 1991 which are secured against

प्रावधान नहीं किया गया. पार्टियों ने यह जमा राशि लौटाई नहीं और तत्संबंधी प्रतिभूतियों को लिक्विडेट भी नहीं किया गया. इस जमा राशि की वापसी के लिये कॉर्पोरेशन ने इन पार्टियों के विरूद्ध मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की और दो पार्टियों के साथ इस मध्यस्थता कार्यवाही का फैसला उन्हें जमाराशि में से रु. 18 लाख वापस करने के निर्देश के रूप में कॉर्पोरेशन के पक्ष में हुआ. बाकी बची रु. 12 लाख की राशि के बारे में मध्यस्थता कार्यवाही अभी चल रही है. (देखें संदर्भ नोट 37).

(ज) फिल्म गांधी के संबंध में लाभ तथा वितरण शुल्क का लेखा वास्तविकता के आधार पर कर दिया गया है सिवाय इसके कि इनका लेखा वित्त वर्ष के आधार पर न करके कैलेंडर वर्ष के आधार पर किया गया है. लाभ तथा वितरण शुल्क का लेखा अनुबंध के आधार पर नियुक्त एजेंटों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर किया गया है जिन्हें कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किया गया है. कॉर्पोरेशन ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि प्राप्ति योग्य शुल्क को वित्त वर्ष के आधार पर न लेकर कैलेंडर वर्ष के आधार पर पूरे वर्ष के लिये मान लिया जाय. (संदर्भ नोट 38).

(झ) टी. वी. मार्केटिंग के देनदारों से वसूली, जिसके विरुद्ध कॉर्पोरेशन ने न्यायालयों में मुकदमे दर्ज कर रखे हैं. सुनिश्चित नहीं हैं. कानूनी मामलों के नतीजों का वित्तीय विववण पर प्रभाव का अमुमान नहीं लगाया जा सकता (संदर्भ नोट 40).

(ञ) (च) से (झ) तक की हमारी उपर्युक्त टिप्पणियों का कॉर्पोरेशन के सकल लाभ तथा तत्संबंधी अमानतों और देयताओं का अनुमान नहीं लगाया जा सका.

(ट) बशर्ते (च), (छ), (ञ), (झ) तथा (ञ) तक में दी गई हमारी उपर्युक्त टिप्पणियों के. हमारी राय में अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार यह लेखा उसी अनुरूप दिया गया जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में आमतौर पर मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक होता है.

(क) निगम के कारोबार की स्थिति का 31 मार्च 2012 तुलन पत्र और

(ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के हानि-लाभ खाते और

(ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह का रोकड़ प्रवाह विवरण.

कृते के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण क्र. डब्ल्यू 100186 की ओर से

राजेश जोशी
(साझेदार)
सदस्य क्र. 38526

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 29 जून 2012

mortgage of certain immovable properties. The parties have not refunded the deposits and relevant securities are also not liquidated. The Corporation had initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of deposits and Arbitration Awards have been made in favour of the corporation for two parties for recovery of deposit amounting to Rs 18 Lacs. For the balance amount of Rs 12 Lacs arbitration proceedings are still continuing. (Refer note 37)

(h) In case of film Gandhi the accounting of profits and distribution fee has been done on accrual basis except that these are accounted on calendar year basis instead of financial year basis. The profit and distribution fees are accounted based on the statement of account received from the agents appointed under the agreement which are prepared on calendar year basis. The Corporation has ensured that the fees receivable are considered for the entire year on calendar year basis instead of financial year basis.(Refer note 38)

(i) The recoverability of TV marketing debtors against which the Corporation has filed cases in the court of law is not certain. The impact of the outcome arising out of the legal cases on the financial statement is not ascertainable.(refer note 40)

(j) The impact of our remarks in (f) to (i) above on the net profits of the corporation and the respective assets and liabilities could not be ascertained.

(k) Subject to our comments in (f, g, h, i and j above), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, said accounts give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

(i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2012;

(ii) In the case of the Statement of Profit and Loss, of the Profit for the year ended on that date; and

(iii) In the case of Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

For K. S. Aiyar & Co,
Chartered Accountants
Registration No: 100186W

Rajesh Joshi
(Partner)
Membership No. 38526

Place: Mumbai
Dated: 29th June 2012

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के लेखाओं पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के तीसरे पैराग्राफ के संदर्भ में.)

i. (क) कंपनी ने सभी अभिलेखों को उचित रुप से रख रखाव किया है जिनमें पूरे विवरण, अचल संपत्तियों की स्थिति तथा परिमाणात्मक विस्तार के साथ दिये गये हैं.

(ख) अचल संपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिये प्रबंधन ने विशेष परिश्रम लिये है. प्रत्यक्ष सत्यापन प्रक्रिया में कुछ परिसंपत्तियां जो पुरानी पड़ चुकी थीं और दूसरी कुछ विसंगतियां जिनका कुल मूल्य रु. 59.02 लाख. लाभ एव हानि को वर्ष के दौरान हानि लाभ लेखे में प्रभारित सामने आई. चार्ज्स ऑफ कर दिए गये है. इसके साथ ही प्रबंधन ने कुछ परिसंपत्तियों की जांच की तथा उनका पुनर्वर्गीकरण किया जिन्हें इसके पहले पिछले वर्षों में ''बिक्री के लिये परिसंपत्तियां" के अंतर्गत रखा गया था. अब इन्हें क्रमानुसार परिसंपत्तियों के वर्ग में रखा गया है जो प्रयोग में हैं.

(ग) अचल संपत्तियां, जिन्हें वर्ष के दौरान निपटाया गया पर्याप्त नहीं थी. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय यह है कि अचल संपत्तियों का निपटान करने से कंपनी की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

ii. (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया. हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति उचित है.

(ख) व्यवस्थापन द्वारा संपत्ति सूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया कंपनी के आकार तथा उसके कार्यकलापों के संदर्भ में तर्कसंगत तथा पर्याप्त हैं.

(ग) हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने संपत्ति सूचियों संबंधी सभी अभिलेखों का रखरखाव उचित रूप से किया है. साज सामानों तथा दर्ज अभिलेखों के प्रत्यक्ष सत्यापन के बीच की विसंगतियां विशेष महत्त्व की नहीं थी और लेखा बहियों में उनका निर्वाह उचित रूप से किया गया है.

iii. (क) कंपनी ने दूसरी किन्हीं कंपनियों, फर्मों या दूसरी पार्टियों को जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में शामिल किया गया है, कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिये हैं. तदनुसार, उपधारा (ख), (ग) और (घ) लागू नहीं होती.

(ख) निगम ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टरों में दर्ज कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं लिये हैं. तदनुसार, उपधारा (ग) और (घ) लागू नहीं होती.

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारियों के तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम के आधार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप संपत्ति सूची एवं स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद एवं माल और सेवाओं की बिक्री के सम्बन्ध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां अपनाई जा रही है. हमारे लेखा परिक्षण के दौरान, इन क्षेत्रों से सम्बन्धित आंतरिक संचालन पद्धति में अन्य कोई महत्त्वपूर्ण कमियां नहीं मिली हैं.

(घ) (अ) हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने ऐसी किन्ही पार्टियों के साथ कोई अनुबंध अथवा व्यवसाय नहीं किये हैं जिनके नाम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर में दर्ज किये जाने चाहिएं. अत: ऐसे रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं.

(ङ) चूंकि निगम ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत उल्लिखित किन्हीं पार्टियों के साथ लेनदेन संबंधी कोई अनुभव अथवा व्यवस्था नहीं की अत: यह धारा लागू नहीं होती.

Annexure To The Auditors' Report

(Referred to in paragraph 3 of our Report of even date on the Accounts for the year ended on March 31, 2012 of National Film Development Corporation Ltd)

i. (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

(b) The management has carried out special exercise for physical verification of The Fixed Assets Upon the physical verification exercise, certain assets that were found obsolete and certain other discrepancies noticed on such verification aggregating to Rs. 59.02 Lacs has been charged off in the statement of profit and loss during the current year. Further, the management has scrutinised and reclassified certain assets which hitherto were grouped under Assets held for sale in previous year are now considered along with the respective asset block which is in use.

(c) Fixed assets disposed off during the year were not substantial. According to the information and explanations given to us, we are of the opinion that the disposal of fixed assets has not affected the going concern status of the Company.

ii. (a) The inventories have been physically verified during the year by the management. In our opinion, the frequency of verification is reasonable.

(b) The procedures of physical verification of inventories followed by the management are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.

(c) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company is maintaining proper records of inventory. The discrepancies noticed on verification between physical stocks and the book records were not material and have been properly dealt with in the books of account.

iii. (a) The Company has not granted loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, sub-clause (b), (c), (d), are not applicable.

(e) The Corporation has not taken any loan secured or unsecured from parties listed in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956 accordingly sub clause (f) and (g) are not applicable.

(f) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchases of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services. During the course of our audit, no other major weakness has been noticed in the internal control system in respect of these areas.

(g) (a) As per information and explanation given to us the Corporation has not entered into any contract or arrangement with the parties whose names need to be entered in the register referred to in section 301 of the Companies Act 1956, & therefore no entries need to be entered in such register.

(b) Since the Corporation has not entered into any transactions with the parties in respect of any contract or arrangements as mentioned in Sec 301 of the Act, the said clause is not applicable.

iv. हमारी बेहतरीन जानकारी तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों तथा अधिनियम के 58 ए और 58 एए अथवा अन्य संबंधित प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन जनता से कोई अमानतें स्वीकार नहीं की हैं.

v. हमारी राय में कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली मौजूद है जो कंपनी के आकार तथा व्यवसाय कार्य के अनुरुप है.

vi. हमे दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) (डी) के अंतर्गत अभिलेखों की देखरेख का निर्धारण नहीं किया गया.

vii. निगम के अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, राजस्व शुल्क तथा इस पर लागू होने वाली अन्य वस्तुपूरक सवैधानिक देयताएं वर्ष के दौरान उपयुक्त अधिकारी के पास सामान्यत: नियमित रूप से जमा कराई जाती हैं यद्यपि कुछ मामलों में थोड़ी बहुत देरी भी हुई है.

viii. हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त के संबंध में देय बकाया राशियों को लेकर जो 31 मार्च 2012 को अविवादित देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि तक अदा नहीं की गयी थीं.

ix. हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार बिक्रीकर आयकर, संपत्ति कर, सेवाकर, सीमा शुल्क और सेस आदि का कौई देय नहीं है जो कि किसी विवाद के कारण जमा न कराया गया हो.

x. वित्तीय वर्ष के अंत में निगम को हुए कुल संचित हानियां वर्ष के अंत में कुल शुद्ध मूल्य के 50% से अधिक हैं. निगम को चालू वित्तीय वर्ष में रोकड़ हानि नहीं हुई तथा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भी कोई रोकड़ हानि नहीं हुई.

xi. निगम के अभिलेखों के अनुसार निगम ने किन्हीं वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों से कोई ऋण नहीं लिये हैं.

xii. अभिलेखों की जांच पड़ताल तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने प्रतिभूतियां, शेयर्स को गिरवी रखकर या अन्य किसी तरह के ऋणपत्रों के आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं.

xiii. हमारी राय में निगम कोई चिटफंड अथवा निधि (म्यूच्युअल बेनिफिट फंड)/ सोसाइटी नहीं है इसलिये कंपनी के (लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट) ऑर्डर 2003 की धारा 4(xiii) की प्रावधाने निगम पर लागू नहीं होती.

xiv. हमारी राय में निगम शेयर्स, प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स तथा अन्य ऋणाधारों में कोई लेन देन नहीं करता. इसलिये कंपनीज (ऑडीटर्स रिपोर्ट) ऑर्डर 2003 की धारा 4(xiv) की प्रावधाने कंपनी पर लागू नहीं होती.

xv. हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने दूसरों द्वारा वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों द्वारा लिये गये ऋणों की कोई गारंटी नहीं दी है.

xvi. हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया.

xvii. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के तुलनपत्र की पूरी जांच पड़ताल के बाद हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि के आधार पर प्राप्त किये गये किसी भी कोष का उपयोग दीर्घकालीन निवेशों/विनियोगों के लिये नहीं किया गया.

iv. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, the Corporation has not accepted any deposits during the year from public within the meaning of directives issued by RBI & the provisions of Sections 58A, 58AA or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under.

v. In our opinion, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

vi. According to information & explanation given to us, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956.

vii. According to the records of the Corporation, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it have generally been regularly deposited during the year with the appropriate authorities though there has been a small delay in a few cases.

viii. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of above which were outstanding, as at March 31, 2012 for a period of more than six months from the date on which they became payable.

ix. According to the information & explanation given to us there are no dues of Sales Tax, Income Tax, Wealth tax, Service tax, Custom duty, Excise duty and Cess that have not been deposited on account of any dispute.

x. The accumulated losses of the Corporation as at the end of the financial year are more than 50% of the Net worth as on the year end. The Corporation has not incurred cash loss during the current financial year and also not incurred any cash loss during the preceding financial Year.

xi. According to the records of the corporation the corporation has not borrowed monies from any Financial Institutional or Bank.

xii. Based on our examination of the records and the information and explanations given to us, the Corporation has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

xiii. In our opinion the Corporation is not a chit fund or a nidhi / mutual benefit fund / society. Therefore the provisions of clause 4(xiii) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Corporation.

xiv. In our opinion the Corporation is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other securities. Accordingly, the provisions of clause 4 (xiv) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.

xv. According to the information and explanations given to us, the Corporation has not given any guarantee for loans taken by others from bank or financial institutions.

xvi. According to the information and explanations given to us, the Corporation has not taken any Term Loan during the year.

xvii. According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the Balance Sheet of the Company, we report that no funds raised on short-term basis have been utilised for of long-term investments/applications.

xviii. निगम ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में सम्मिलित पार्टियों और कंपनियों के शेयर्स का कोई प्राथमिकता आंबटन नहीं किया.

xix. निगम ने चालू वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किये.

xx. निगम ने चालू वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के द्वारा धन अर्जित नहीं किया है.

xxi. हमें प्रदान की गईं सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के दौरान निगम द्वारा की गई अथवा निगम के साथ की गई कोई धोखाधड़ी न तो सामने आई और न ही रिपोर्ट की गई.

कृते के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण क्र. डब्ल्यू 100186 की ओर से

राजेश जोशी
(साझेदार)
सदस्य क्र. 38526

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 29 जून 2012

xviii. The Corporation has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956

xix. The Corporation has not issued any debentures during the current year.

xx. The Corporation has not raised money by making a public issue during the year.

xxi. According to the information and explanations given to us, no fraud on or by the Corporation has been noticed or reported during the course of our audit.

For K. S. Aiyar & Co,
Chartered Accountants
Registration No: 100186W

Rajesh Joshi
(Partner)
Membership No. 38526

Place: Mumbai
Dated: 29th June 2012

वर्ष 2011-12 के लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन की तरफ से प्रत्युत्तर

पैरा 4 (क) से 4 (ङ) तक
कोई टिप्पणी नहीं.

पैरा 4(च)
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने उन विविध देनदारों, ऋणों, जमाओं और अग्रिमों की पुष्टि के संबंध में पत्र भेजे हैं जो 31 मार्च 2012 को लेखा पुस्तकों में बकाया दिखाये गये हैं. कुछ पार्टियों की ओर से इनके उत्तर भी मिले हैं. टी डी एस /वैट आदि के पुराने शेष का मिलान किया जा रहा है जबकि सभी चालू कर देयताओं का मिलान किया जा चुका है. लेखा पुस्तकों में उन विविध देनदारों, ऋणों, जमाओं और अग्रिमों का जो तीन साल से ज्यादा समय से बकाया हैं, और आगे लाये जाते रहे हैं, पर्याप्त प्रावधान किया गया है. इन सब के अलावा टी.वी. मार्केटिंग देनदारों से वसूली तथा अन्य लंबे समय से चली आ रही देनदारियों की वसूली के लिये अदालतों में मुकदमे भी दायर किये गये हैं.

वर्तमान दायित्व मुख्यत: मीडिया अभियान भुगतान के लेखा से संबंधित है. इसके बाद से बहुत सारी देनदारियों का निपटारा कर दिया गया है.

पैरा 4(छ)
जमा राशि के संबंध में पंचनिर्णय फैसला कॉर्पोरेशन के हक में आने से दो पार्टियों को रु. 18 लाख लौटाने के निर्देश जारी हुए. जमा राशि में से शेष रु. 12 लाख के बारे में पंचनिर्णय कार्यवाही चल रही है. कॉर्पोरेशन को आशा है कि पंचनिर्णय कार्यवाही का फैसला इसके पक्ष में ही आयेगा इसलिये लेखा खातों में उसका कोई प्रावधान नहीं किया गया.

पैरा 4(ज)
गांधी फिल्म की ओवरसीज वितरण आय का लेखा, जिसे कैलेंडर वर्ष के अनुसार आधे आधे (जून तथा दिसंबर) में वितरित किया जाता है, एजेंट्स से प्राप्त विवरण के अनुसार लेखा खातों में दर्ज किया गया है. चूंकि यह प्रथा निरंतर चली आ रही है, आय का लेखा कैलेंडर वर्ष के अनुसार करने से कोई बड़ा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

पैरा 4 (झ)
कोई टिप्पणी नहीं.

पैरा 4 (ञ)
आशा यह है कि लेखा परीक्षकों द्वारा पैरा 4 (च)) से 4 (झ) तक उठाये गये मुद्दों से कॉर्पोरेशन की शुद्ध आय तथा तत्संबंधी परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

Reply of Management to the Auditor's Comments on the Accounts for the Year 2011-12.

PARA 4 (a) to 4 (e)
No comments

PARA 4 (f)
The Corporation has sent letters seeking confirmation of balances in respect of Sundry Debtors, Loans and Advances as well as Deposits outstanding in the Books of Accounts as on March 31, 2012. Responses have received from some of these parties. Old balances of TDS/VAT etc. are being reconciled, while all current tax liabilities have been met. Adequate provisions have been made in the Books of Accounts for Sundry Debtors, Loans and Advances that are outstanding for more than 3 years and have been duly carried forward from previous years. Further, legal cases have been filed for recovery in respect of TV Marketing debtors and the other cases of outstanding dues.

The Current Liabilities are mainly on account of Media Business. Most of these dues have been cleared subsequently.

PARA 4 (g)
Arbitration awards have been issued in favour of the Corporation against two parties for recovery of the deposit amounting to Rs.18 Lakhs. In respect of the balance amount of Rs.12 Lakhs, arbitration proceedings are still underway. Since the Corporation is hopeful of getting arbitration award in its favour, no provision has been made for the same in the books of accounts.

PARA 4 (h)
The accounting of overseas distribution income for the film GANDHI which is distributed half yearly (June and December) on calendar year basis by the collection agent, is accounted for in the books as per the statement received from the agent. Since the practice has been followed consistently, there will not be any major impact due to accounting of this income on calendar year basis.

PARA 4 (i)
No comments

PARA 4 (j)
It is expected that there will be no negative impact on the net profits of the Corporation and respective assets and liabilities on account of the issues raised by the auditors in Paras 4 (f) to (i).

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2012 की समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1056 की धारा 619(4) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च 2012 की समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा अधिकारी द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है जो कि भारत के सनदी लेखाकार संस्था द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत अपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है. यह उनको दिनांक 29 जून 2012 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा किये गये काम को बताया गया है ।

मैंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के लेखाओं पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत करने के लिए ऐसी कोई टिप्पणी नही हैं ।

कृते भारत सरकार के नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक
(जॉन के सेलेट)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षक
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षक मंडळ-IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 अगस्त 2012

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 on the Accounts of National Film Development Corporation Limited for the Year Ended 31st March 2012.

The preparation of financial statement of **National Film Development Corporation Limited** for the year ended 2012 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the companies Act 1956 is the responsibility of the management of the company. the Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statement under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent Audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29.06.2012.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to review the report of Statutory Auditors on the accounts of National Film Development Corporation Limited for the year ended 31st March 2012 and as such have no comments to make under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(John K Sellate)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board-IV

Place : New Delhi
Dated : 08.08.2012.

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

नेहरु सेंटर, डॉ. ॲनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-400 018.

National Film Development Corporation Limited

(A Government of India Enterprise)

Nehru Center, Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai–400 018.